वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2016-17

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

रणनीतिक सहभागिता और क्षेत्रीय एकीकरण

क्षेत्रीय एकीकरण आर्थिक मजबूती के साथ–साथ संयोजकता, निवेश, बाजार विस्तार, नवोन्मेष, उत्पादों के उन्नयन तथा ज्ञान और संसाधनों को साझा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिणामतः व्यापार और निवेश एकीकरण के साथ–साथ क्षेत्र में आर्थिक विकास भी बढ़ता है। रणनीतिक सहभागिता, क्षेत्र के भीतर पारस्परिक लाभ के लिए एक समान लक्ष्य के प्रति एकीकरण की दिशा निर्धारित करते हुए इस प्रकार की सहकारिता का अधिकतम लाभ उठाने में सहायक होती है।

भारत सरकार की विभिन्न पहलें रणनीतिक साझेदारी के जरिए क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के प्रति भारत के रुख का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भारत सरकार की इन पहलों में अन्य के साथ–साथ क्षेत्रीय केंद्रित कार्यक्रम, क्षेत्रीय कॉन्क्लेव, 'एक्ट ईस्ट' नीति जैसी क्षेत्रीय केंद्रित नीतियों का संवर्द्धन तथा सांस्थानिक तंत्र के जरिए विभिन्न वित्तपोषण कार्यक्रम शामिल हैं, जो क्षेत्र में विकास सहभागी के रूप में भारत की भूमिका को परिभाषित करते हैं। ऐसी सहभागिता क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा को बढ़ावा देती है; साथ ही भारत और इसके सहभागी देशों के बीच संपर्क को बढ़ाते हुए इसे और बेहतर करती है।

रणनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की पहलों को सहयोग प्रदान करने में भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है और इसके लिए बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक की यह प्रतिबद्धता सहभागी देशों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर इसकी विभिन्न गतिविधियों में परिलक्षित भी होती है। एक्ज़िम बैंक एक संस्था के रूप में, सहभागी देशों के साथ विभिन्न स्तरों पर भारत की रणनीतिक सहभागिताओं को आकार देने की पहल करता है। इन सहभागिताओं में अन्य के साथ–साथ सहभागी देशों और संस्थाओं के साथ विस्तृत आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को विकसित करना शामिल है। बैंक यह कार्य राष्ट्रहित की परियोजनाओं के वित्तपोषण और सहयोग, ऐसी सहभागिताओं की पहल के लिए आवश्यक मंच प्रदान करने वाले क्षेत्रीय कॉन्क्लेवों के आयोजनों में सरकार के साथ भागीदारी और देश के लिए रणनीतिक महत्त्व के क्षेत्रों पर सुझाव देने के जरिए करता है।

विषय वस्तु

उप प्रबंध निदेशक का वक्तव्य
(प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार) 04

आर्थिक परिवेश 11

निदेशकों की रिपोर्ट 21

व्यवसाय परिचालन 29

वित्तीय विवरण 65

निर्यात विकास कोष 109

निदेशक मंडल

(17 मई, 2017 तक की स्थिति)

सुश्री रीता तेवतिया

सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

श्री रमेश अभिषेक

सचिव
औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

श्री अमर सिन्हा

सचिव
आर्थिक संबंध
विदेश मंत्रालय
भारत सरकार

श्रीमती अरुन्धती भट्टाचार्य

अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

श्रीमती गीता मुरलीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ईसीजीसी लिमिटेड

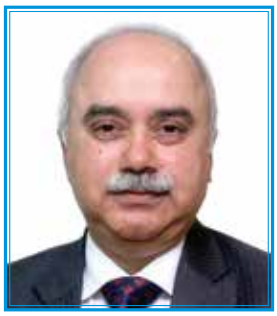

श्री राजीव ऋषि

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन

मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

श्री पंकज जैन

संयुक्त सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

डॉ. एम. डी. पात्रा

कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री डेविड रस्कीना

उप प्रबंध निदेशक
(प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार)
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

श्री देबाशिस मल्लिक

उप प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

श्री यदुवेन्द्र माथुर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
(यथा 19 फरवरी, 2017 तक)

उप प्रबंध निदेशक का वक्तव्य
(प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार)

वैश्विक आर्थिक वृद्धि में पिछले वर्ष थोड़ी गिरावट आई। यह गिरावट उन्नत और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिली। इसी प्रकार वैश्विक व्यापार में भी पिछले वर्ष गिरावट आई और यह गिरावट मुख्य रूप से उभरते बाजारों में निर्यातों में मंदी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मांग में कमी के चलते हुई। किन्तु इसके विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्था ने गत वर्ष बहुत अच्छी वृद्धि दर हासिल की और यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनी रही। निर्यात के मामले में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के संकेत दिखे और निर्यात एक लंबे अरसे तक गिरावट दर्ज करने के बाद वृद्धि की ओर अग्रसर हुए। नीतिगत स्तर पर भी हमारी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रुख रहा और हमने कई सुधार पहलों सहित बड़े बदलाव की ओर संकेत देते वस्तु एवं सेवा कर जैसे महत्त्वपूर्ण बिल को भी पास होते देखा।

किन्तु पिछला वित्तीय वर्ष उतार–चढ़ाव वाला भी रहा क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र पर, वैश्विक मंदी की चुनौतियां और उससे सम्बद्ध कॉर्पोरेट जगत पर दबाव का प्रभाव बना रहा। हालांकि एक्ज़िम बैंक को भी इन दबावों का सामना करना पड़ा किन्तु यह भारतीय बैंकिंग उद्योग में व्याप्त ट्रेंड की तुलना में कम रहा। एक्ज़िम बैंक ने कई तिमाहियों में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इस वर्ष भी लाभ अर्जित किया हालांकि यह गत वर्षों की तुलना में कम रहा। बैंक अनर्जक आस्तियों को कम करने और इसकी चुनौतियों से निपटने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

एक्ज़िम बैंक ने अपने अधिदेश के अनुरूप विदेशी सरकारों को ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करना, बीसी–एनईआईए के तहत बायर्स क्रेडिट के जरिए पड़ोसी देशों में विकासात्मक परियोजनाओं को रियायती दरों पर सहायता प्रदान करना जारी रखा। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने नियमित रूप से पूँजी प्रदान करने के साथ–साथ अपना मार्गनिर्देशन प्रदान करते हुए बैंक को अपना सहयोग जारी रखा है जिससे बैंक के वित्तपोषण प्रयासों को मजबूती मिली है।

व्यवसाय पहलें

बैंक की निवल आस्तियां इस वर्ष ₹ 1.026 ट्रिलियन की रहीं। बैंक ने भारत सरकार के समर्थन से 63 देशों में 215 ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान कीं जिनसे भारतीय परियोजना निर्यातकों को विकासशील देशों में विभिन्न परियोजनाओं को निष्पादित करने के अपने कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। बीसी–एनईआईए के तहत बैंक ने 3.07 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 22 परियोजनाओं के लिए 2.84 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की ऋण राशि प्रदान की। इसके साथ ही 41 पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए 5.34 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की राशि के लिए सिद्धांतत: प्रतिबद्धता जताई है। बैंक ने रामपाल, बांग्लादेश में एक नई विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से रियायती दर पर ऋण सुविधा के लिए एक करार के साथ अपने वित्तीय वर्ष का समापन किया। बैंक ने अपनी इस योजना के अंतर्गत भारत–बांग्लादेश फ्रेंडशिप पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए 1.60 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य का दीर्घावधि ऋण प्रदान किया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार के सहयोग और अपनी निर्यात विकास निधि का उपयोग करते हुए निर्यात संवर्द्धक की अपनी भूमिका को एक नया आयाम दिया है और भारत से ईरान को माल तथा सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात विकास निधि के अंतर्गत ₹ 9 बिलियन मूल्य की एक क्रेडिट लाइन स्थापित की है। इस सुविधा को बढ़ाकर अब ₹ 30 बिलियन कर दिया गया है और इस संबंध में एक संशोधित करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के अंतर्गत भारत से ईरान को स्टील रेल के निर्यात के वित्तपोषण सहित चाबहार पोर्ट के विकास का वित्तपोषण किया जाएगा।

बैंक भारतीय परियोजना निर्यातकों को वैश्विक पटल पर पहुंचाने के लिए अपने निधिक और गैर–निधिक कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त उन्हें सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करता है। अपने इन प्रयासों के अंतर्गत बैंक ने इस वर्ष फ्रांस में एक एरोनॉटिकल कंपनी के अधिग्रहण के साथ–साथ यूएस में एक विंड फॉर्म की स्थापना और एक ऑटो कंपोनेन्ट कंपनी खरीदने में भारतीय कंपनियों की मदद की है।

समाज के वंचित वर्गों के लिए कार्य

जहां उपरोक्त प्रयास स्थापित भारतीय निर्यातकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रहे हैं वहीं बैंक ने अपनी सुविचारित नीति के तहत भारत के ग्रासरूट्स उद्यमों में क्षमता निर्माण प्रयासों के जरिए उन्हें भी अपना सहयोग प्रदान करना जारी रखा है। इस दिशा में बैंक ने आदिवासी क्षेत्रों में हस्तशिल्प कारीगरों से लेकर किसानों की सहकारी समितियों को अपना सहयोग प्रदान किया है। ग्रामीण हस्तशिल्पी अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहुंच बना सकें इसके लिए उनमें आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए बैंक ने ग्रामीण शिल्पियों के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यशालाओं के जरिए बैंक ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़े हुए महत्त्वपूर्ण पहलुओं जैसे उत्पाद विकास, डिजाइन, गुणवत्ता आदि पर प्रशिक्षण के जरिए ग्रामीण हस्तशिल्पियों को इस बारे में जागरूक किया है।

बैंक विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए विदेशी बाजारों में ग्राहकों/वितरकों और भागीदारों की तलाश करने में भी मदद करता है। बैंक अपने विभिन्न प्रयासों के जरिए इन उद्यमियों के साथ जुड़कर उनमें क्षमता निर्माण करता है और उनकी आय में बढ़ोत्तरी कर उनकी जीवन शैली बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस दिशा में हमारे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं और महिलाओं द्वारा हाथ से तैयार किए गए स्टोल, रिसाइकल प्लास्टिक से तैयार उत्पाद, जैविक शहद, हैंडीक्राफ्ट जैसे उत्पादों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिली है। इसके साथ ही बैंक ने भारत के चार महानगरों में इन उत्पादों की प्रदर्शनी/मेले लगाने में भी मदद की है।

भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने और निर्यात ऋण तथा निर्यात बीमा के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों और विशेषकर एमएसएमई उद्यमियों को जानकारी प्रदान करने के लिए बैंक ने एक ऑनलाइन पोर्टल लांच किया है जिसे 'एक्ज़िम मित्र' नाम दिया गया है। 'एक्ज़िम मित्र' यानी निर्यातकों और आयातकों का दोस्त। इस प्लेटफॉर्म का जहां एक उद्देश्य व्यापारियों को निर्यात और आयात के लिए ऋणों आदि की उपलब्धता से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना है, वहीं दूसरी ओर यह पोर्टल निर्यात और आयात से संबंधित प्रश्नों के लिए एक हेल्पलाइन की तरह भी काम करेगा।

बैंक ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर की अफगानिस्तान के नेशनल डिसैबिलिटी सेंटर, काबुल में स्थाई रूप से एक जयपुर फूट सेंटर खोलने के लिए सहायता की है। इससे एक वर्ष में अफगानिस्तान के 1000 लोगों को अपना पैर लगवाने में मदद मिलेगी। युद्ध की विभीषिका का शिकार

होने के कारण अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज सबसे अधिक लोगों को कृत्रिम पैरों की आवश्यकता है। बैंक अफगानिस्तान में अन्य विकास गतिविधियों में भी सहयोग कर रहा है। बैंक ने मोज़ाम्बिक के तीन टेक्नीशियनों को जयपुर फूट सेंटर में प्रशिक्षण दिलाने में भी मदद की है।

संसाधन

अंतरराष्ट्रीय ऋण पूँजी बाजार में बैंक ने अपनी पैठ बनाए रखी है। वर्ष के दौरान बैंक यूएसए में नियम 144ए के तहत 1 बिलियन यूएस डॉलर का अपना पहला बॉन्ड अत्यंत प्रतिस्पर्द्धी दर पर जारी करने में सफल रहा। बॉन्ड को दो गुने से अधिक सब्स्क्रिप्शन मिला जिसमें 61 प्रतिशत निवेशक अमेरिका के थे। किसी भी भारतीय बैंक / संस्था द्वारा हासिल किया गया यह सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन रहा। बैंक को घरेलू तथा विदेशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई संप्रभु रेटिंग के समतुल्य की रेटिंग प्रदान की गई है जिसके चलते बैंक अत्यंत प्रतिस्पर्द्धी दर पर पूँजी जुटाने और इस लाभ को अपने ग्राहकों तक पहुंचाने में सफल रहा।

शोध एवं विश्लेषण

एक्ज़िम बैंक भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर अपने शोध अध्ययनों के जरिए न केवल संभावित निर्यात क्षेत्रों की पहचान करता है बल्कि भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए उचित कार्यनीतियां तैयार करने हेतु सुझाव भी देता है। बैंक के ऐसे प्रकाशनों को काफी सराहना मिली है। ये प्रकाशन बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए हैं जिन्हें कोई भी नि:शुल्क डाउनलोड कर सकता है। इस वर्ष बैंक द्वारा भारत में निर्यात और रोजगार अवसरों पर एक अनूठा प्रकाशन लाया गया है जिसमें रोजगार अवसरों को बढ़ाने में निर्यात की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही बैंक द्वारा सीएलएमवी (कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम), ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका), लैक (लातिनी अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र), मेना (मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका) सहित पूर्व अफ्रीका जैसे क्षेत्रों पर भी शोध अध्ययन प्रकाशित किए गए। इसी प्रकार बैंक द्वारा फार्मास्युटिकल, हेल्थकेयर, ऑटोमोटिव, खाद्य प्रसंस्करण और मशीनरी जैसे क्षेत्रों पर भी शोध अध्ययन प्रकाशित किए गए।

संस्थागत संबंध

एक्ज़िम बैंक विश्व की विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग के जरिए दुनिया के कई हिस्सों में अपनी गतिविधियां बढ़ाने में सफल रहा है। बैंक ब्रिक्स इंटरबैंक को–ऑपरेशन मैकेनिज़्म, एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम, एशिया – प्रशांत के एक्ज़िम बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं के नेटवर्क – जी–नेक्ज़िड, अफ्रीकी विकास बैंकों के संघ, विकास वित्त संस्थाओं के लैटिन अमेरिकी संघ आदि का सदस्य है। इसके साथ ही बैंक विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, ईबीआरडी और अफ्रीका के अन्य क्षेत्रीय बैंकों के साथ भी मिलकर काम करता है।

भारत सरकार द्वारा 15-16 अक्तूबर, 2016 के दौरान ब्रिक्स समिति की आठवीं बैठक की गोवा में मेजबानी के एक हिस्से के रूप में बैंक ने ब्रिक्स इंटरबैंक को–ऑपरेशन मैकेनिज़्म की वार्षिक बैठक की मेजबानी की। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए। इन कार्यक्रमों की थीम थी 'उत्तरदायी, समावेशी तथा सामूहिक समाधान निरूपित करना'।

पुरस्कार

बैंक ने भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) के साथ मिलकर 1994 में सीआईआई–एक्ज़िम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना की थी। यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (ईएफक्यूएम) मॉडल पर आधारित है। इस पुरस्कार के अंतर्गत पिछले वर्ष 19 कंपनियों को अलग–अलग श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया।

बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 1989 से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 2015 के इस पुरस्कार के लिए डॉ. चिन्मय तुम्बे के शोध आलेख 'माइग्रेशन एंड रेमिटेन्स इन इंडिया–हिस्टॉरिकल रीजनल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन्स' को चुना गया।

पिछले वर्ष ब्रिक्स फोरम की भारतीय अध्यक्षता के दौरान बैंक द्वारा ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की गई। इस पुरस्कार के अंतर्गत ₹ 1.50 मिलियन और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ब्राजीलीयन नागरिक डॉ. जोआवो प्रेट्स रोमेरो को उनके शोध 'तकनीकी विकास और ढांचागत परिवर्तनः आर्थिक वृद्धि में मांग एवं आपूर्ति की भूमिका' के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

बैंक को एशिया प्रशांत की विकास वित्त संस्थाओं के संघ एडफिएप द्वारा उत्कृष्ट विकास परियोजना 2017 का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल में सम्मानित और प्रतिष्ठित निदेशक हैं जिन्होंने बैंक के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अत्यंत प्रभावी मार्गदर्शन दिया है। बैंक के निदेशक मंडल में सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री रमेश अभिषेक, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री अमर सिन्हा, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय; डॉ. अरविन्द सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार; श्री पंकज जैन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय; डॉ. एम.डी. पात्रा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्रीमती अरुन्धती भट्टाचार्य, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; श्रीमती गीता मुरलीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लि.; श्री राजीव ऋषि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया; तथा श्री देबाशिस मल्लिक, उप प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक शामिल हैं।

बैंक के निदेशक मंडल में परिवर्तन भी हुआ है। श्री किशोर खरात, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आईडीबीआई बैंक लि.; तथा श्रीमती उषा अनंतसुब्रह्मण्यन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, पंजाब नेशनल बैंक ने कार्यालय परिवर्तन होने के फलस्वरूप अपने–अपने निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिए हैं। निदेशकों के रूप में दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए बैंक उनका आभार मानता है।

निदेशक मंडल में मेरे साथी और मैं श्री यदुवेन्द्र माथुर जो बैंक में तीन वर्षों तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे, को प्रसंशनीय एवं सम्मानीय सेवाएं प्रदान करने हेतु उनका आभार प्रकट करते हैं। आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से बैंक को सराहनीय प्रगति हासिल करने में मदद मिली है।

आज बैंक भारत सरकार के रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हुए भारतीय व्यवसाय को विदेशों तक ले जाने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। किन्तु वास्तव में हम लोग बदलती विश्व व्यवस्था में जी रहे हैं। हालांकि इस समय बैंक बढ़ती स्ट्रेस्ड आस्ति संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। मुझे यकीन है कि एक्ज़िम बैंक की प्रतिबद्ध एवं समर्पित टीम इन चुनौतियों से निपटकर बैंक को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

डेविड रस्कीना

प्रबंधन

बैठे हुए, बाएं से दाएं – सुनीता सिंदवानी, नदीम पंजेतन, डेविड रस्कीना, दीपाली अग्रवाल

खड़े हुए, बाएं से दाएं – तरुण शर्मा, सी. पी. रवीन्द्रनाथ मेनन, सैम्युअल जोसेफ, टी.डी. सिवाकुमार, डेविड सिनाटे, सुदत्त मंडल, संगीता शर्मा

बैठे हुए, बाएं से दाएं – मीना वर्मा, देबाशिस मल्लिक, पी. जे. मंजुनाथ, रीमा मार्फतिया

खड़े हुए, बाएं से दाएं – विक्रमादित्य उगरा, श्रीराम सुब्रमनियम, हर्षा बंगारी, प्रहलादन अय्यर, मंजिरी भालेराव, गौरव भंडारी, उत्पल गोखले

एक्ज़िम बैंक के कार्यक्रम

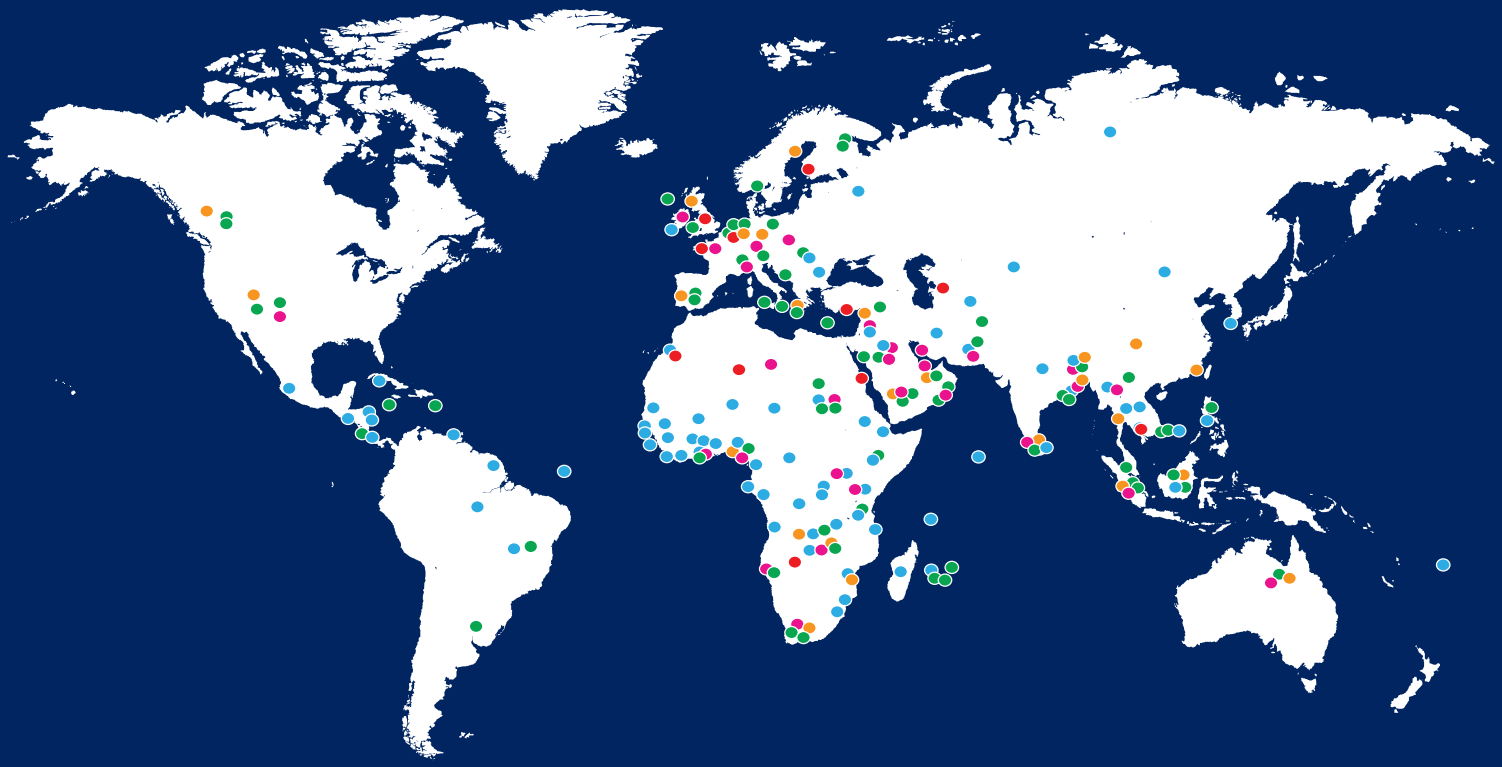

ऋण–व्यवस्था

ऋण–व्यवस्था (एलओसी) एक्ज़िम बैंक का एक ऐसा कार्यक्रम है, जो भारतीय निर्यातक कंपनियों को जोखिम रहित वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करता है। इससे उन्हें नए बाजारों में प्रवेश करने और विदेशी बाजारों में निर्यात बढ़ाने में मदद मिलती है। एलओसी कार्यक्रम को विदेशों में अच्छी पहचान मिली है। क्योंकि यह एलओसी प्राप्त करने वाले देशों को विकास और संरचनात्मक परियोजनाएं लगाने और मध्यम तथा दीर्घकालिक ऋण के आधार पर भारत से उपकरण, माल और सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाता है।

विदेशी निवेश वित्त

एक्ज़िम बैंक भारतीय कंपनियों को विदेशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही भारतीय कंपनियों को विदेशों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने, विदेशी बाजारों तक पहुंच बढ़ाने, प्रौद्योगिकी, कच्चे माल, बॉन्ड, बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यह भारतीय विदेशी निवेश में इक्विटी वित्त, ऋणों, गारंटियों और सलाहकारी सेवाओं को कवर देने वाला बैंक का एक व्यापक कार्यक्रम है।

क्रेता–ऋण

क्रेता–ऋण बैंक का एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत बैंक विदेशी खरीदारों को भारत से उनके आयातों के वित्तपोषण के लिए उन्हें ऋण सुविधा प्रदान कर भारतीय निर्यातों का सुगमीकरण करता है। क्रेता–ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातकों को दायित्व रहित आधार पर उचित मूल्य का भुगतान करता है।

परियोजना निर्यात

एक्ज़िम बैंक भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्थाओं में से एक है और भारतीय कंपनियों को दो दशक से ज्यादा समय से विभिन्न देशों में संविदाएं हासिल करने में सक्षम बनाता रहा है तथा उन देशों के विकास उद्देश्यों को पूरा करने में भी मददगार रहा है।

मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं

एक्ज़िम बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों में निर्यात क्षमता सृजन करने और उन क्षमताओं को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करता रहा है। इसके साथ ही भारतीय निर्यातक कंपनियों को उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए विदेशों में वितरक/खरीदार/भागीदार तलाशने में सहयोग कर उनके वैश्वीकरण प्रयासों में भी मदद करता है।

आर्थिक परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, 2016 में वैश्विक विकास दर 2015 की 3.4 प्रतिशत की तुलना में हल्की गिरावट के साथ 3.1 प्रतिशत रही। 2016 की दूसरी छमाही में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर उम्मीद से अधिक रही। इसके बावजूद, विशेष रूप से यूरो एवं यूएस में उत्पादन, क्षमता से कम रहने के चलते वर्ष के दौरान समग्र विकास दर 2015 की 2.1 प्रतिशत से गिरकर 2016 में 1.7 प्रतिशत रह गई। अमेरिका में कंपनियां भविष्य की मांग को लेकर ज्यादा आश्वस्त रहीं और उत्पादन ने वृद्धि दर में सकारात्मक योगदान देना शुरू किया। इससे वहां वृद्धि दर ने रफ्तार पकड़ी। वहीं दूसरी तरफ, ब्रेक्जिट के बाद यूके में हुई व्यय बढ़ोत्तरी से इसके प्रभावों से जल्दी उबरने में मदद मिली। जापान सहित कई अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निवल निर्यातों तथा जर्मनी और स्पेन में घरेलू मांग में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियां अनुमान से ज्यादा मजबूत रहीं। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर 2015 की 4.2 प्रतिशत की तुलना में मामूली गिरावट के साथ 2016 में 4.1 प्रतिशत रही। चीन की वृद्धि दर नीतिगत प्रोत्साहन के चलते स्थिर रही। जबकि लैटिन अमेरिका, विशेष रूप से अर्जेंटीना और ब्राजील की वृद्धि दर कमजोर रही। मध्य पूर्व और तुर्की के हिस्सों में वृद्धि भू–राजनीतिक कारणों के चलते धीमी रही। भारत में भी नोटबंदी सहित अन्य वृहद् आर्थिक कारणों के चलते आर्थिक गतिविधियां कुछ धीमी रहीं।

विश्व व्यापार

मात्रा के संदर्भ में वैश्विक पण्य व्यापार की वृद्धि 2016 में भी 2015 के स्तर अर्थात 2.2 प्रतिशत आंकी गई। सामान्य रूप में, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में कमजोरी और विशेष रूप में, चीन की अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना के चलते आयात मांग में आई कमी व्यापार विकास में प्रमुख अवरोध रहे। गैर–ईंधन प्राथमिक पण्यों का विश्व व्यापार 2016 में यूएस डॉलर के संदर्भ में 2.7 प्रतिशत कम हुआ, वहीं ईंधन की कीमतों में 15.9 प्रतिशत की गिरावट आई।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूँजी प्रवाह

2016 में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को निवल निजी निवेश 2015 के 262 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में दोगुना से ज्यादा 678 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। यह वृद्धि मुख्य रूप से उभरते एशिया में निजी अनिवासी पूँजी प्रवाह में दोबारा तेजी आने के चलते हुई।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं का चालू खाता शेष

2016 के लिए चालू खाता अधिशेष मुख्य रूप से उभरते एशिया के चालू खाता अधिशेष में संकुचन के चलते 2015 के 280 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में गिरकर 176 बिलियन यूएस डॉलर रह गया।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बाह्य ऋण

उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का बाह्य ऋण, निर्यात के प्रतिशत के रूप में 2014 के 92.3 प्रतिशत की तुलना में 2015 में बढ़कर 97.8 प्रतिशत हो गया। समग्र रूप से, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का ऋण सेवा भुगतान अनुपात 2014 के 10.1 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 11.9 प्रतिशत हो गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के मुताबिक, भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर वित्तीय वर्ष 2015-16 की 8.0 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में गिरकर 7.1 प्रतिशत रह गई, जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में दबाव के चलते दीर्घकालिक निवेश में गिरावट को दर्शाती है। भारत की विकास दर अन्य के साथ–साथ, मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण सुधारों तथा 7वें वेतन आयोग की वेतन सिफारिशें लागू होने के फलस्वरूप उच्चतर सरकारी खपत पर आधारित रही।

कृषि

अच्छे मानसूनों ने कृषि क्षेत्र को दोबारा मजबूती प्रदान की और वित्तीय वर्ष 2016-17 में वास्तविक सकल मूल्य योजन (जीवीए) में पिछले वर्ष की 0.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे पहले बीते दो वर्षों में इस क्षेत्र को मुख्य रूप से सूखे के कारण धीमी वृद्धि का सामना करना पड़ा था। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अनाज और तिलहन उत्पादन में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। इसके बावजूद, जीवीए में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के योगदान में मामूली गिरावट आई। यह योगदान वित्तीय वर्ष 2016-17 में मौजूदा मूल्यों पर जीवीए का 17.4 प्रतिशत रह गया, जो पिछले वर्ष 17.5 प्रतिशत था।

उद्योग

औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक जीवीए वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5.6 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष यह

8.8 प्रतिशत थी। यह विनिर्माण में गिरावट को दर्शाती है, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के 10.8 प्रतिशत से गिरकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.9 प्रतिशत रहा। इसके साथ ही यह खनन एवं उत्खनन गतिविधियों में आई बड़ी मंदी को भी दर्शाती है, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के 10.5 प्रतिशत से गिरकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1.8 प्रतिशत रही। निर्माण क्षेत्र मे वृद्धि वित्तीय वर्ष 2015-16 की 5.0 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1.7 प्रतिशत ही रही। वर्ष के दौरान विद्युत, गैस और जल आपूर्ति तथा निर्माण क्षेत्र में वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 की 5.0 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.2 प्रतिशत रही। जीवीए में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 की 29.6 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 28.8 प्रतिशत रहा।

सीएसओ ने वित्तीय वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष बनाकर हाल ही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) शुरू किया है, ताकि अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलावों को नोट किया जा सके और आईआईपी श्रृंखला के प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। नई श्रृंखला के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2016-17 में आईआईपी वृद्धि दर बढ़कर 5.0 प्रतिशत हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में 3.4 प्रतिशत थी। यह बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से खनन, विनिर्माण और विद्युत उत्पादन जैसी गतिविधियों के चलते हुई, जिनमें क्रमशः 5.3 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

आईआईपी के उपयोग–आधारित वर्गीकरण के अनुसार, वृद्धि मुख्य रूप से उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुओं पर आधारित रही, जिनके बाद क्रमशः उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, प्राथमिक वस्तुओं, बुनियादी ढांचा/निर्माण सामग्री, पूँजीगत माल और सहायक सामग्री का स्थान रहा। इन उप–क्षेत्रों में क्रमशः 9.0 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत, 3.8 प्रतिशत, 3.0 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सेवाएं

सेवा क्षेत्र की वास्तविक जीवीए वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2016-17 में पिछले साल के 9.7 प्रतिशत से गिरकर 7.7 प्रतिशत रह गई। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण तथा वित्तीय, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सेवाओं में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्रमशः 7.8 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत रही, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्रमशः 10.5 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत थी। वहीं दूसरी ओर 'लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं' क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6.9 प्रतिशत थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को दर्शाती है। वर्तमान कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में सेवा क्षेत्र का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 53.8 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल 52.9 प्रतिशत था।

बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर)

आईआईपी में शामिल आठ प्रमुख उद्योग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। यह उद्योग हैं – कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत उत्पादन। इनका आईआईपी में लगभग 38 प्रतिशत योगदान है। इन आठ उद्योगों में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष 4.0 प्रतिशत थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से स्टील और रिफाइनरी उत्पादों जैसे क्षेत्रों के चलते रही, जिनमें वर्ष के दौरान क्रमशः 9.3 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।

मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के वार्षिक औसत आधार पर मुद्रास्फीति दर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष के 4.9 प्रतिशत से घटकर 3.8 प्रतिशत रही। यह गिरावट वर्ष के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई कमी के चलते हुई, जिसका मुख्य कारण अच्छा मानसून रहा। कोर सीपीआई मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ईंधन समूह शामिल नहीं हैं, अस्थिर रहा। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण 'परिवहन और संचार' समूह के लिए मुद्रास्फीति बढ़ती रही।

वित्तीय वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति दर, वित्तीय वर्ष 2015-16 में (-) 3.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1.7 प्रतिशत हो गई। यह ट्रेंड वैश्विक पण्य और ईंधन कीमतों में बढ़ोत्तरी के चलते रहा।

पूँजी बाजार

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पिछले साल के 36.0 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले 35.0 बिलियन यूएस डॉलर रहा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत का निवल पोर्टफोलियो निवेश 6.9 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो पिछले साल (-) 4.1 बिलियन यूएस डॉलर था।

विदेश व्यापार और भुगतान का शेष

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत का पण्य निर्यात 276.5 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो पिछले साल 262.3 बिलियन यूएस डॉलर था। गैर–तेल के निर्यातों में लगातार दो साल की गिरावट के बाद आया सुधार मुख्यतः मूल्य प्रभाव की वजह से था।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत का आयात पिछले वर्ष के 381.0 बिलियन यूएस डॉलर से थोड़ा बढ़कर 382.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। हालांकि वैश्विक स्तर पर तेल की कम कीमतों से भारत के पेट्रोलियम निर्यात पर असर पड़ा, किन्तु इससे भारत को अपने तेल आयात बिल को कम रखने में मदद मिली।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में पेट्रोलियम और उसके उत्पादों का निर्यात 3.4 प्रतिशत बढ़कर 31.6 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जबकि गैर–तेल निर्यात में इसी अवधि के दौरान 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अयस्क और खनिज, समुद्री उत्पाद, जवाहरात और आभूषण तथा मूल धातुओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई।

भारत के पेट्रोलियम और उसके उत्पादों (मुख्य रूप से क्रूड) का आयात वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 86.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो पिछले वर्ष 82.9 बिलियन यूएस डॉलर का था। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान गैर–तेल आयात 295.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.7 प्रतिशत कम रहा। रसायन और संबंधित उत्पाद, जवाहरात और आभूषण तथा मूल धातुएं आयात की प्रमुख मदों में शामिल रहीं। गैर–तेल आयात श्रेणी में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई।

कुल मिलाकर, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत का व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 118.7 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 106.2 बिलियन यूएस डॉलर रहा।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत का सेवा निर्यात 5.7 प्रतिशत बढ़कर 163.1 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, जो पिछले वर्ष 154.3 बिलियन यूएस डॉलर का था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात 73.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। पिछले वर्ष के 74.2 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में थोड़ा घटकर भारत का सेवा आयात वित्तीय वर्ष 2015-16 के 84.6 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 95.7 बिलियन यूएस डॉलर रहा। इसके चलते सेवा अधिशेष पिछले साल के 69.7 बिलियन यूएस डॉलर से गिरकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 67.4 बिलियन यूएस डॉलर रह गया।

वित्तीय वर्ष 2016-17, के दौरान पूँजी और वित्तीय खाते के अंतर्गत निवल निवेश में बड़ी गिरावट आई और यह पिछले वर्ष के 23.2 बिलियन यूएस डॉलर से गिरकर 14.9 बिलियन यूएस डॉलर रह गया।

मार्च 2017 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2016 के 360.2 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 370.0 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। यह विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 11.6 माह के आयात के लिए पर्याप्त है। बाह्य ऋण मार्च 2016 में 485 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर मार्च 2017 के अंत में 471.9 बिलियन यूएस डॉलर का रह गया, जो मुख्य रूप से दीर्घकालिक ऋण हिस्से में गिरावट को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रमुख नीतिगत परिवर्तन

ऋण नीतिः

- रेपो दर को चरणों में घटाकर सितम्बर 2015 के 6.75 प्रतिशत से घटाकर अप्रैल 2016 में 6.50 प्रतिशत तथा मार्च 2017 में 6.25 प्रतिशत कर दिया गया। रिवर्स रेपो दर मार्च 2017 में 5.75 प्रतिशत पर समायोजित हुई जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर एवं बैंक दर दोनों को घटाकर 6.75 प्रतिशत किया गया।
- सांविधिक तरलता अनुपात को भी चरणों में घटाकर फरवरी 2015 के 21.50 से घटाकर अप्रैल 2016 में 21.25 प्रतिशत तथा पुनः मार्च 2017 में 20.50 प्रतिशत किया गया।

व्यापार नीतिः

- व्यापार को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2016 में विश्व व्यापार संघ के व्यापार सुगमीकरण करार के सत्यापन को पूरा कर लिया है एवं व्यापार लागतों में कमी कर तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के एकीकरण में सहायता प्रदान कर अर्थव्यवस्था में वृद्धि को गति दी।
- ''व्यवसाय सुगमता'' पहल के लिए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में भारत के विदेशी व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस (स्विफ्ट) लांच किया गया। स्विफ्ट आयातकों एवं निर्यातकों को सिंगल प्वाइंट पर अपने दस्तावेजों के निपटान हेतु ऑनलाइन लॉज करने तथा अन्य विनियामक एजेंसियों से ऑनलाइन वांछित अनुमति प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- भारत सरकार ने 4 मई, 2016 से भारत से माल निर्यात योजना (एमईआईएस) के संबंध में मार्केट कवरेज के लिए सभी देशों को शामिल कर लिया। इससे पहले यह प्रोत्साहन देशों के समूहों के अनुसार थे तथा निर्यातकों को गंतव्य देश में पहुंचने संबंधी लैंडिंग प्रमाण देना होता था। अब यह जरुरी नहीं होगा।

निवेश नीतिः

- बीमा एवं पेंशन, आस्ति निर्माण कंपनियों तथा स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति सुधार की घोषणा की गई। बीमा एवं पेंशन क्षेत्रों में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 49 प्रतिशत तक की विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी जो भारतीय प्रबंधन एवं नियंत्रण दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगा।
- फरवरी 2017 में सरकार ने घोषणा की, कि अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधान से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) श्रेणी । एवं ।। को छूट दी जाएगी। भारत में कर–प्रभार्य निवेश के शोधन या बिक्री के परिणाम स्वरूप या इससे उत्पन्न भारत से बाहर शेयरों के शोधन या ब्याज के मामले में अप्रत्यक्ष अंतरण प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- खराब ऋणों एवं अनर्जक आस्तियों के समाधान के लिए सरकार ने ऑटोमैटिक रूट के जरिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) में तदनुसार संशोधन प्रस्तावित है। सरकार ने यह भी कहा है कि एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के प्रत्येक भाग में 100 प्रतिशत तक एफपीआई की अनुमति दी जाएगी जो क्षेत्रीय सीमाओं के अध्यधीन होगी।
- भारत में तैयार किए गए खाद्य उत्पादों की मार्केटिंग में अनुमोदन रूट के जरिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। इससे किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए ''मेगा फूड पार्कों'' को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।

वैश्विक उत्पादन, व्यापार एवं विश्व व्यापार मूल्य

(% परिवर्तन)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (अ)	2018 (अ)
I. वैश्विक विकास दर (वास्तविक जीडीपी)	4.2	3.5	3.4	3.5	3.4	3.1	3.5	3.6
(क) विकसित अर्थव्यवस्थाएं	1.7	1.2	1.3	2.0	2.1	1.7	2.0	2.0
अमेरिका	1.6	2.2	1.7	2.4	2.6	1.6	2.3	2.5
कनाडा	3.1	1.7	2.5	2.6	0.9	1.4	1.9	2.0
यूरो क्षेत्र	1.5	-0.9	-0.3	1.2	2.0	1.7	1.7	1.6
यूके	1.5	1.3	1.9	3.1	2.2	1.8	2.0	1.5
जापान	-0.1	1.5	2.0	0.3	1.2	1.0	1.2	0.6
(ख) उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	6.3	5.4	5.1	4.7	4.2	4.1	4.5	4.8
उभरता एवं विकासशील एशिया	7.9	7.0	6.9	6.8	6.7	6.4	6.4	6.4
चीन	9.5	7.9	7.8	7.3	6.9	6.7	6.6	6.2
भारत	**6.6**	**5.5**	**6.5**	**7.2**	**7.9**	**6.8**	**7.2**	**7.7**
लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र	4.7	3.0	2.9	1.2	0.1	-1.0	1.1	2.0
मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका	4.4	5.5	2.1	2.7	2.6	3.8	2.3	3.2
उपसहारीय अफ्रीका	5.0	4.3	5.3	5.1	3.4	1.4	2.6	3.5
सीआईएस देश	4.6	3.5	2.1	1.1	-2.2	0.3	1.7	2.1
रूस	4.0	3.5	1.3	0.7	-2.8	-0.2	1.4	1.4
उभरता और विकासशील यूरोप	6.5	2.4	4.9	3.9	4.7	3.0	3.0	3.3
II. विश्व पण्य व्यापार (मात्रात्मकवृद्धि %)	7.0	2.4	3.4	3.1	2.2	2.2	3.9	4.0
वैश्विक पण्य निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर में)	17,910	18,039	18,476	18,569	16,165	15,713	16,803	17,597
III. विश्व व्यापार मूल्य (यूएस डॉलर, % परिवर्तन)								
विनिर्माण	4.3	2.8	-3.0	-0.4	-2.4	-5.4	2.8	1.7
तेल	31.6	1.0	-0.9	-7.5	-47.2	-15.7	28.9	-0.3
गैर ईंधन प्राथमिक पण्य	18.0	-10.1	-1.4	-3.9	-17.4	-1.9	8.5	-1.3

नोटः अ=अनुमान

स्त्रोत: आईएमएफ, विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) अप्रैल 2017

भारतीय अर्थव्यवस्था के संक्षिप्त आंकड़े

संकेतक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
जीडीपी (वर्तमान मूल्य पर, बिलियन यूएस डॉलर)	1365.4	1708.5	1823.0	1829.0	1863.2	2042.4	2073.7[f]	2230.8[f]
जीडीपी प्रति व्यक्ति (बिलियन यूएस डॉलर)	1146.7	1411.7	1482.1	1462.9	1466.4	1581.6	1579.8[f]	-
वास्तविक जीडीपी वृद्धि (%)	8.6	8.9	6.7	5.5**	6.4**	7.5**	8.0**	7.1[p]**
जीवीए में क्षेत्रीय हिस्सा* (%)								
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	14.6	14.6	18.5**	18.3**	18.6**	18.0**	17.5**	17.4[p]**
उद्योग	28.3	27.9	32.5**	31.7**	30.8**	30.2**	29.6**	28.8[p]**
सेवाएं	57.1	57.5	49.0**	50.0**	50.6**	51.8**	52.9**	53.8[p]**
जनसंख्या (मिलियन)	1190.7	1210.2	1230.0	1250.2	1270.6	1291.4	1312.6[f]	-
मुद्रास्फीति दर (सीपीआई, वार्षिक औसत %)	12.2	10.4	8.3	10.1***	9.3***	5.8***	4.9***	3.8***
मुद्रास्फीति दर (डब्ल्यूपीआई, वार्षिक औसत %)	3.8	9.6	8.9	6.9**	5.2**	1.3**	-3.7**	1.7**
सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	6.5	4.8	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5[e]
विनिमय दर (₹/यूएस डॉलर औसत)	47.4	45.6	47.9	54.4	60.5	61.1	65.5	67.1
विनिमय दर (₹/यूरो औसत)	67.1	60.2	65.9	70.1	81.2	77.5	72.3	73.6
निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	178.8	249.8	306.0	300.4	314.4	310.3	262.3	276.5
% परिवर्तन	-3.5	39.8	22.5	-1.8	4.7	-1.3	-15.5	5.4
तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	28.2	36.4	56.7	60.9	63.2	56.7	30.6	31.6
% परिवर्तन	2.3	29.0	55.9	7.3	3.8	-10.2	-46.1	3.4
गैर-तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	150.6	213.4	249.2	239.5	251.2	253.6	231.7	244.9
% परिवर्तन	-4.6	41.8	16.8	-3.9	4.9	0.9	-8.6	5.7
आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	288.4	369.8	489.3	490.7	450.2	448.0	381.0	382.7
% परिवर्तन	-5.1	28.2	32.3	0.3	-8.3	-0.5	-15.0	0.5
तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	87.1	106.0	155.0	164.0	164.8	138.3	82.9	86.9
% परिवर्तन	-7.0	21.6	46.2	5.9	0.4	-16.0	-40.0	4.7
गैर-तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	201.2	263.8	334.3	326.7	285.4	309.7	298.1	295.9
% परिवर्तन	-4.2	31.1	26.7	-2.3	-12.6	8.5	-3.8	-0.7
व्यापार शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	-109.6	-120.0	-183.3	-190.3	-135.8	-137.7	-118.7	-106.2
सेवाओं का निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	96.0	124.6	140.9	145.7	151.8	158.1	154.3	163.1
सॉफ्टवेयर निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	49.7	53.1	62.2	65.9	69.4	73.1	74.2	73.7
सेवाओं का आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	60.0	80.6	76.9	80.8	78.7	81.6	84.6	95.7
सेवा शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	36.0	44.0	64.0	64.9	73.1	76.5	69.7	67.4
चालू खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	-38.4	-47.9	-78.2	-87.8	-32.4	-26.8	-22.1	-15.2
चालू खाता शेष-जीडीपी का प्रतिशत (%)	-2.8	-2.8	-4.2	-4.8	-1.7	-1.3	-1.1	-0.7
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन यूएस डॉलर)	279.1	304.8	294.4	292.0	304.2	341.6	360.2	370.0
बाह्य ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	260.9	317.9	360.8	409.4	446.2	474.7	485.0	471.9
बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात (%) में	18.2	18.2	20.5	22.3	23.9	23.2	23.5	20.2
अल्पावधि ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	52.3	65.0	78.2	96.7	91.7	85.5	83.4	88.0
अल्पावधि ऋण/कुल ऋण (%)	20.1	20.4	21.7	23.6	20.5	18.0	17.2	18.6
कुल ऋण सेवा अनुपात (%)	5.8	4.4	6.0	5.9	5.9	7.6	8.8	8.3
सकल विदेशी निवेश (बिलियन यूएस डॉलर)	37.7	36.0	46.6	34.3	36.0	45.1	55.6	60.0
जीडीआर/एडीआर (बिलियन यूएस डॉलर)	3.3	2.0	0.6	0.2	0.02	1.3	0.4	-
एफआईआई (निवल) (बिलियन यूएस डॉलर)	29.0	29.4	16.8	27.6	5.0	40.9	-4.0	7.7
एफडीआई जावक (बिलियन यूएस डॉलर)	15.1	17.2	10.9	7.1	9.2	4.0	8.9	7.0
मेमो मदें:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017[@]**
वैश्विक जीडीपी (% परिवर्तन)	5.4	4.2	3.5	3.4	3.5	3.4	3.1	3.5
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	3.1	1.7	1.2	1.3	2.0	2.1	1.7	2.0
उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	7.4	6.3	5.4	5.1	4.7	4.2	4.1	4.5
विश्व पण्य व्यापार (मात्रा % परिवर्तन)	14.3	6.9	2.4	3.4	3.1	2.2	2.2	3.9
विश्व पण्य निर्यात (ट्रिलियन यूएस डॉलर)	14.9	17.9	18.0	18.5	18.6	16.2	15.7	16.8
विश्व पण्य निर्यात के मूल्य में वृद्धि (%)	20.7	20.2	0.7	2.4	0.5	-12.9	-2.8	3.9

*नोट: [e]-भारत सरकार के पूर्वानुमान; [p]- ईएससी, भारत सरकार के प्रावधानिक अनुमान; [f]-आईआईएफ अनुमान; [@]-आईएमएफ अनुमान; - उपलब्ध नहीं; वर्तमान मूल्य पर सकल मूल्य योजन की मूल कीमत **-आंकड़े संशोधित आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार; ***-नई सीपीआई के लिए 2012 = 100 पर आधारित।*

स्त्रोत: *आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न अंक; केन्द्रीय बजट; भारतीय रिजर्व बैंक मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट एवं साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक; वित्त मंत्रालय; सी एस ओ; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ) तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)।*

चुनिंदा क्षेत्रों का प्रदर्शन

ऑटोमोटिव उत्पाद

1 ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा विनिर्माता

2 दुपहिया और बसों का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता

5 भारी ट्रकों का 5वां सबसे बड़ा विनिर्माता

6 कारों का छठा सबसे बड़े विनिर्माता

8 वाणिज्यिक वाहनों का 8वां सबसे बड़ा विनिर्माता

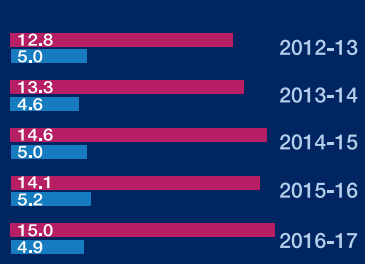

$15.0 बिलियन
+6.4%

$4.9 बिलियन
-5.8%

2016-17 वर्ष–दर–वर्ष

भारत की जीडीपी का 7.1%

टेक्सटाइल और गारमेंट

$35.9 बिलियन
-0.3%

$5.5 बिलियन
+3.8%

2016-17 वर्ष–दर–वर्ष

46% गारमेंट

भारत के कुल टेक्सटाइल और गारमेंट के निर्यात का हिस्सा

1 सबसे बड़ा कपास और जूट उत्पादक

2 दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल विनिर्माण क्षमता
दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल और गारमेंट निर्यातक

5% वैश्विक व्यापार में हिस्सा

कृषि और संबंधित उत्पाद

8.9%
भारत के कुल निर्यात का हिस्सा

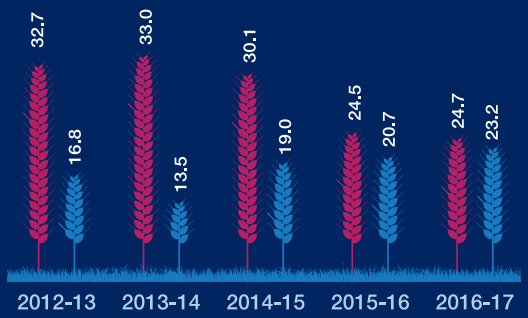

$24.7 बिलियन
+0.8%

$23.2 बिलियन
+12.1%

2016-17 वर्ष–दर–वर्ष

फार्मास्युटिकल उत्पाद

$13.0 बिलियन
+0.8%

$1.7 बिलियन
+6.2%

2016-17 वर्ष–दर–वर्ष

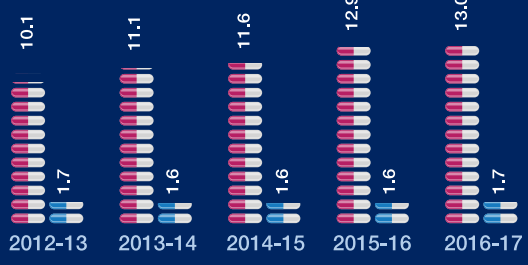

10 2016 में 10वां सबसे बड़ा निर्यातक रहा, वैश्विक निर्यात में 2.6% हिस्सा

4.7%
भारत के कुल निर्यात का हिस्सा

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस • डाटा बिलियन यूएस डॉलर में • निर्यात आयात

चुनिंदा क्षेत्रों का प्रदर्शन

पेट्रोलियम (कच्चा तेल और उत्पाद)

$31.7 बिलियन
+3.6%

$86.9 बिलियन
+4.8%

2016-17 वर्ष–दर–वर्ष

635 मिलियन मीट्रिक टन का तेल भंडार

54 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का प्राकृतिक गैस भंडार

96 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का अनुमानित शेल गैस भंडार

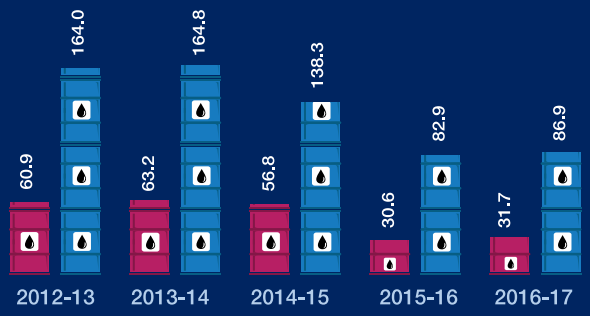

आयात–कच्चा तेल | निर्यात–पेट्रोलियम उत्पाद

रसायन और संबंधित उत्पाद

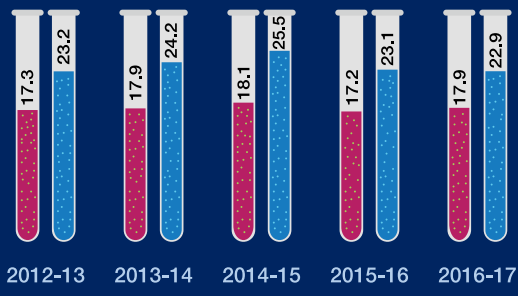

3 रसायनों का एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक

7 विश्व में सातवां सबसे बड़ा उत्पादक

$17.9 बिलियन
+4.1%

$22.9 बिलियन
-0.9%

2016-17 वर्ष–दर–वर्ष

रसायनों और संबंधित उत्पादों का भारत के कुल निर्यात का **67.5%** कार्बनिक रसायन

इलेक्ट्रॉनिक्स

$5.7 बिलियन
0.0%

$41.9 बिलियन
+4.8 %

2016-17 वर्ष–दर–वर्ष

2020 तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार 400 बिलियन यूएस डॉलर का होने की उम्मीद

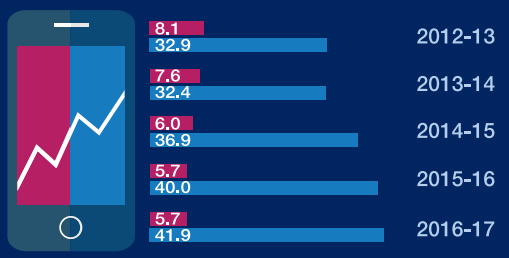

पूँजीगत माल

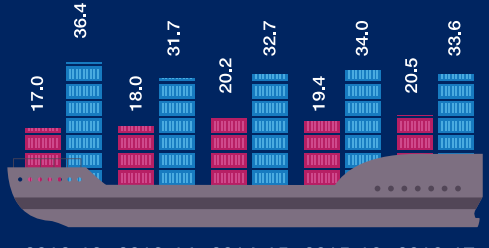

$20.5 बिलियन
+5.7%

$33.6 बिलियन
-1.2%

2016-17 वर्ष–दर–वर्ष

3.1%

पूँजीगत माल का उत्पादन 2016-17 के दौरान की दर से 3.1% बढ़ा

उच्चतर निर्यात

- बिजली के ट्रांसफॉर्मर
- केबल
- हाई वोल्टेज स्विचगियर उत्पाद[1]

[1](इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ईमा)

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस • डाटा बिलियन यूएस डॉलर में • निर्यात आयात

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन–पत्र तथा लेखों के साथ, भारतीय निर्यात–आयात बैंक (बैंक) द्वारा निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

परिचालनों तथा वित्तीय निष्पादन की समीक्षा

ऋण परिसंपत्तियां

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 की ₹ 725.76 बिलियन ऋण राशि के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अपने विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के अंतर्गत ₹ 647.78 बिलियन की ऋण राशि मंजूर की। वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹ 518.22 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने ₹ 446.94 बिलियन के ऋण का संवितरण किया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ऋण भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹ 398.17 बिलियन की तुलना में ₹ 371.14 बिलियन रहे। 31 मार्च, 2017 को निवल ऋण–राशि ₹ 1,026.41 बिलियन की रही, जो गत वर्ष की तुलना में 3.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक द्वारा दिए गए निवल ऋणों में 31 प्रतिशत रुपया ऋण व अग्रिम एवं शेष 69 प्रतिशत विदेशी मुद्रा ऋण था। यथा 31 मार्च, 2017 को अल्पावधि ऋण निवल ऋणों तथा अग्रिमों का 19 प्रतिशत था।

गैर–निधिक सुविधाएं

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 की ₹ 26.94 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 61.15 बिलियन की गैर–निधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की गईं। इनमें परियोजना गारंटियां, वित्तीय गारंटियां तथा साख पत्र शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2015-16 की ₹ 25.69 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 45.13 बिलियन की कुल गारंटियां जारी की गईं। इनमें परियोजना गारंटियां तथा वित्तीय गारंटियां शामिल थीं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹ 7.66 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 7.49 के साख–पत्र बिलियन जारी किए गए। यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक की बहियों में कुल गारंटियां 31 मार्च, 2016 के ₹ 105.78 बिलियन की तुलना में ₹ 112.36 बिलियन रहीं तथा यथा 31 मार्च, 2016 के ₹ 9.77 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2017 को ₹ 9.95 बिलियन के रहे। बैंक का कुल गैर–निधिक पोर्टफोलियो यथा 31 मार्च, 2016 के ₹ 115.55 बिलियन से 6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2017 को ₹ 122.31 बिलियन रहा।

आय/व्यय

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सामान्य निधि लेखे में ₹ 3.13 बिलियन का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 4.53 बिलियन का लाभ दर्ज किया गया था। आयकर के लिए ₹ 2.71 बिलियन का प्रावधान करने के बाद 2016-17 के दौरान कर पश्चात लाभ की राशि ₹ 0.41 बिलियन रही जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में यह ₹ 3.16 बिलियन थी। इस लाभ में से ₹ 0.37 बिलियन की राशि आरक्षित निधि में अंतरित कर दी गई है। शेष ₹ 0.04 बिलियन की राशि भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अनुसार भारत सरकार को अंतरित की जाएगी।

ऋणों पर ब्याज, विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और शुल्क आदि को मिलाकर कारोबारी आय वित्तीय वर्ष 2015-16 के

देश : तंजानिया

कार्यक्रम : ऋण–व्यवस्था

मूल्य : 178.13 मिलियन यूएस डॉलर

उद्देश्य : वीए टेक वाबाग लि. द्वारा अपर रुवू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तार।

प्रभाव : इसका उद्देश्य अपर रुवु जल आपूर्ति व्यवस्था की जल प्रसंस्करण एवं वितरण क्षमता में वृद्धि कर जल आपूर्ति को प्रतिदिन 82 मिलियन लीटर से बढ़ाकर 200 मिलियन लीटर करना तथा दार–अस–सलाम क्षेत्र में जल आपूर्ति बढ़ाना है।

पहला चरण चालू हो गया है तथा दार–अस–सलाम के 2 मिलियन लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

देश : सूडान

कार्यक्रम : ऋण–व्यवस्था

मूल्य : 350 मिलियन यूएस डॉलर

उद्देश्य : उम दाबाकीर पॉवर स्टेशन (कोस्ती) में 4x125 मेगावाट की सायकल विद्युत संयंत्र की स्थापना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. द्वारा निष्पादित।

प्रभाव : सूडान में स्थापित यह सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। यह विद्युत संयंत्र सूडान की कुल विद्युत आवश्यकताओं की छठे हिस्से की आपूर्ति करता है। इस संयंत्र से उत्पन्न बिजली को चीनी तथा सीमेंट फैक्टरियों को भी आपूर्ति की जाती है।

₹ 55.65 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 59.14 बिलियन रही। निवेश आय, बैंक जमा राशियों आदि पर ब्याज से आय वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹ 32.16 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 33.21 बिलियन रही। वित्तीय वर्ष 2016-17 में ब्याज व्यय ₹ 65.65 बिलियन रहा जिसमें उधारियों के बढ़ने के कारण गत वर्ष की तुलना में ₹ 4.87 बिलियन की वृद्धि हुई। प्रशासनिक खर्च (आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान को छोड़कर) वित्तीय वर्ष 2015-16 के 2.52 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल व्यय का 2.56 प्रतिशत रहा।

उधारियां

यथा 31 मार्च, 2017 को कुल उधार राशियां ₹ 960.73 बिलियन की रहीं जो 31 मार्च, 2016 के ₹ 933.17 की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं।

संसाधन

वर्ष के दौरान बैंक को भारत सरकार से ₹ 5.00 बिलियन की पूँजी प्राप्त हुई। यथा 31 मार्च, 2017 को ₹ 68.59 बिलियन की चुकता पूँजी तथा ₹ 51.64 बिलियन की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन ₹ 1,080.96 बिलियन रहे। एक्ज़िम बैंक के संसाधन आधार में रुपया बॉन्ड, जमा प्रमाण–पत्र, वाणिज्यिक पत्र, सावधि जमा राशियां, विदेशी मुद्रा बॉन्ड, विदेशी मुद्रा ऋण तथा दीर्घावधि स्वैप आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न परिपक्वता अवधि (वर्ष के दौरान जुटाए गए तथा चुकता किए गए को छोड़कर) के कुल ₹ 404.08 बिलियन के संसाधन जुटाए। जिनमें ₹ 216.04 बिलियन के रुपया संसाधन तथा 2.90 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन थे।

रुपया संसाधन

बैंक ने अपनी टियर 1 पूँजी बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 8.60 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कूपन दर से ₹ 5.00 बिलियन की राशि के अपने पहले बासेल III अनुवर्ती अतिरिक्त टियर I बॉन्ड जारी किए। यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक के कुल रुपया संसाधन ₹ 472.80 बिलियन रहे।

विदेशी मुद्रा संसाधन

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने 2.90 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए। यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक के पास 11.47 बिलियन यूएस डॉलर समतुल्य के विदेशी मुद्रा संसाधन थे। बैंक ने अपने जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुलाई 2016 में 144ए/रेग एस बॉन्ड के जरिए 10 वर्ष के लिए 1.00 बिलियन यूएस डॉलर की राशि जुटाई। बैंक इस निर्गम को यूएस ट्रेजरी दर से 187.50 बेसिस पॉइंट पर लाने में कामयाब रहा। बैंक ने 3.383 प्रतिशत की विद्यमान दर की तुलना में 3.375 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर बॉन्ड जारी किए, जो मजबूत बाजार स्थितियों में निगेटिव प्रीमियम को दर्शाता है। यह वर्ष 2000 के बाद से किसी भी भारतीय संस्था द्वारा सबसे कम दर पर जारी किया गया बॉन्ड है। इस उपलब्धि ने अन्य भारतीय बॉन्ड जारीकर्ताओं के लिए 144ए/रेग एस बॉन्ड बाजारों में पहुंच बनाने के लिए एक बेंचमार्क तैयार किया। जनवरी 2017 में बैंक ने 144ए/रेग एस बॉन्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश ग्रेड बॉन्ड श्रेणी में 'असेट्स ट्रिपल ए कंट्री अवार्ड 2016' का खिताब जीता। बैंक ने अब तक विभिन्न विदेशी मुद्राओं में संसाधन जुटाए हैं।

अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू रेटिंग

बैंक को मूडीज ने बीएए3 (सकारात्मक) रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड

पुअर्स ने बीबीबी–(स्थिर) तथा फिच ने बीबीबी–(स्थिर) रेटिंग तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जेसीआरए) द्वारा बीबीबी+ (स्थिर) रेटिंग प्रदान की है। उपरोक्त सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक को निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग प्रदान की गई है जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य की रेटिंग है। बैंक के घरेलू ऋण इंस्ट्रूमेंट्स को दीर्घावधि ऋण इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्रिसिल, इकरा तथा केयर जैसी रेटिंग एजेंसियों से 'एएए' तथा अल्पावधि ऋण इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्रिसिल, इकरा एवं केयर रेटिंग एजेंसियों से ए1+ जैसी सर्वोच्च रेटिंग प्रदान की गई है। बैंक द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त टियर 1 (एटी1) बॉन्ड को क्रिसिल द्वारा एए+/स्थिर तथा इकरा द्वारा एए+ (हाइब्रिड) (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उस ऋण/कर्ज को गैर–निष्पादक आस्ति (एनपीए) के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके संबंध में देय ब्याज और/या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है। 31 मार्च, 2017 को बैंक की सकल गैर–निष्पादक आस्तियां ₹ 99.62 बिलियन रही हैं, जो बैंक के कुल ऋणों तथा अग्रिमों का 9.24 प्रतिशत है। यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक की निवल गैर–निष्पादक आस्तियां ₹ 48.03 बिलियन (प्रावधान घटाकर) रहीं जो इसके निवल ऋणों तथा अग्रिमों (प्रावधान घटाकर) का 4.68 प्रतिशत हैं। यथा 31 मार्च, 2017 को प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 54.54 प्रतिशत था।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियां' वे आस्तियां होती हैं जिनके ब्याज और/अथवा जिनके मूलधन की किस्तें 90 दिनों से अधिक अतिदेय होती हैं। जब ऐसी अवमानक आस्तियां 12 माह से अधिक अवधि तक गैर–निष्पादक संपत्ति के रूप में बनी रहती हैं, तो उन्हें 'संदिग्ध आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'हानि आस्तियां' वे होती हैं जो वसूली के योग्य नहीं समझी जातीं। यथा 31 मार्च, 2017 को सकल गैर–निष्पादक आस्तियों में से 40 प्रतिशत आस्तियां अवमानक तथा 60 प्रतिशत आस्तियां संदिग्ध रहीं। यथा 31 मार्च, 2017 को निवल गैर–निष्पादक आस्तियों में से अवमानक आस्तियां 68 प्रतिशत तथा संदिग्ध आस्तियां 32 प्रतिशत रहीं। यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक की कोई हानि आस्तियां नहीं थीं।

पूँजी पर्याप्तता

जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत की तुलना में यथा 31 मार्च, 2017 को 15.81 प्रतिशत रहा। 31 मार्च, 2016 को यह 14.55 प्रतिशत था। ऋण–इक्विटी अनुपात 31 मार्च, 2017 को 7.99:1 रहा जबकि 31 मार्च, 2016 को यह 8.12:1 था।

अधिकतम ऋण (एक्सपोजर) सीमा मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय दीर्घावधि ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 31 मार्च, 2002 से एकल उधारकर्ता और समूह उधारकर्ताओं के लिए अधिकतम ऋण सीमा वित्तीय संस्था की कुल पूँजी निधियों (टीसीएफ) की क्रमश: 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत निर्धारित की है। बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष मामलों में यह सीमा पाँच प्रतिशत तक और बढ़ाई जा सकती है अर्थात एकल उधारकर्ता के लिए यह सीमा वित्तीय संस्था की टीसीएफ की 20 प्रतिशत तक

देश : संयुक्त राज्य अमेरिका

कार्यक्रम : विदेशी निवेश वित्त

मूल्य : 50 मिलियन यूएस डॉलर

उद्देश्य : कैलिफोर्निया, यूएसए की दो संवितरक कंपनियों, एग्री वैली इरीगेशन एलएलसी तथा इरीगेशन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एलएलसी में 80 प्रतिशत तक नियंत्रण अधिकार खरीदने के लिए।

प्रभाव : जैन इरीगेशन सिस्टम्स लि. के इस अधिग्रहण एवं एकीकरण से कैलिफोर्निया में सबसे बड़ी सिंचाई कंपनी तैयार हुई है जो इस क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है तथा सिंचाई/कृषि क्षेत्र में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है।

कार्यक्रम : कार्यशील पूँजी दीर्घावधि ऋण

मूल्य : ₹ 10 मिलियन

उद्देश्य : स्टीलैप्स टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. (एसटीपीएल) भारत की पहली डेयरी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स कंपनी है, जो डेयरी फार्म के बेहतर प्रबंधन एवं निगरानी सेवाएं प्रदान करती है। बैंक ने कंपनी की कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के लिए वित्त प्रदान किया।

प्रभाव : एसटीपीएल ने डेयरी फार्म के लिए क्लाउड, मोबिलिटी एवं डाटा एनालिटिक्स से समेकित ऑटोमेशन टूल तैयार किया है। एसटीपीएल ने स्वतः दूध उत्पादन प्रबंधन प्रणाली, 'स्मार्ट मू' विकसित की है जिससे पशुपालकों को दूध उत्पादन, भंडारण तथा डाटा नियंत्रण में सहायता मिलती है और इससे इन्हें ज्यादा लाभ बढ़ाने में मदद मिलती है।

और उधारकर्ता समूहों के लिए टीसीएफ की 45 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। एकल उधारकर्ताओं और उधारकर्ता समूहों के लिए इस अधिकतम ऋण सीमा (क्रमश: 20 प्रतिशत और 45 प्रतिशत) को क्रमश: अतिरिक्त पांच प्रतिशत बिंदुओं (अर्थात टीसीएफ का 5 प्रतिशत) और दस प्रतिशत बिंदुओं (अर्थात टीसीएफ का 10 प्रतिशत) तक और बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि बढ़ाई गई सीमा भारत में बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए हो। यथा 31 मार्च, 2017 को एकल तथा समूह उधारकर्ताओं को बैंक की वित्तीय सहायता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत सीमा के भीतर थी। यथा 31 मार्च, 2017 को एक उधारकर्ता को एक्सपोजर बैंक के टीसीएफ के 15 प्रतिशत से अधिक अर्थात 16.01 प्रतिशत था जिसके लिए निदेशक मंडल/प्रबंध समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों को ऋण सहायता के लिए अपनी आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित करें ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण का समान रूप से फैलाव हो सके। बैंक द्वारा प्रत्येक उद्योग क्षेत्र के लिए उद्योग ऋण सीमा, सभी उद्योग क्षेत्रों को बैंक के क्रेडिट एक्सपोजर की 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है। यथा 31 मार्च, 2017 को किसी भी एकल उद्योग को बैंक का एक्सपोजर सभी उद्योग क्षेत्रों को बैंक के कुल एक्सपोजर के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं था।

भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन

वर्तमान में, तुलन–पत्र और लाभ–हानि खाता भारतीय निर्यात–आयात बैंक के सामान्य विनियम, 1982 तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं। भारतीय जीएएपी से भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए एक्ज़िम बैंक ने आरबीआई के निर्देशानुसार एक संचालन समिति बनाई है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस समिति के सदस्य हैं। भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन संबंधी एक्ज़िम बैंक की कार्य–योजना में नियमित प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं के जरिए जीएएपी से असमानताओं के तकनीकी मूल्यांकन, लेखा नीतियों के चयन, व्यवस्था परिवर्तन के मूल्यांकन और डाटा आवश्यकताओं के साथ–साथ व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव के विश्लेषण एवं कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक्ज़िम बैंक द्वारा 30 सितंबर, 2016 को समाप्त छमाही के लिए भारतीय लेखा मानकों पर आधारित प्रोफार्मा वित्तीय विवरण आरबीआई को समय पर प्रस्तुत किए जा चुके हैं। एक्ज़िम बैंक भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन के लिए इन व्यवस्थागत परिवर्तनों और अपेक्षित जानकारी के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है।

सहभागिताओं के जरिए संभावनाओं का विस्तार

एक्ज़िम बैंक ने केन्या में कृषि यंत्रीकरण के लिए केन्या गणराज्य को 100 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की। इस ऋण–व्यवस्था करार पर एक्ज़िम बैंक की ओर से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर तथा केन्या सरकार की ओर से नेशनल ट्रेजरी के कैबिनेट सेक्रेटरी श्री हेनरी के. रोटिच द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्या के राष्ट्रपति महामहिम श्री उहुरू केन्याट्टा उपस्थित थे।

एक्ज़िम बैंक द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के अंतर्गत सेनेगल गणराज्य सरकार को ताम्बाकौंडा कोल्दा–झिगुंनचोर लिंक के लिए 225 केवी ट्रांसमिशन लाइन तैयार करने तथा इन क्षेत्रों में नेटवर्क के विस्तार एवं सुधार हेतु 200 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की गई है। इस करार पर नई दिल्ली में एक्ज़िम बैंक की ओर से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर तथा सेनेगल गणराज्य की ओर से भारत में सेनेगल के राजदूत महामहिम श्री एल हादजी इबो बोए द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

आबिदजान में एक्ज़िम बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन 14 जून, 2016 को किया गया। इस समझौते ('अकॉर्ड द सीज') पर एक्ज़िम बैंक की ओर से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर तथा कोत दि'वार गणराज्य की ओर से विदेश मंत्री माननीय श्री अब्दुल्लाह अल्बर्ट त्वाकुसे माबरी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी तथा कोत दि'वार के माननीय राष्ट्रपति श्री अलासाने क्वातरा उपस्थित थे।

सहभागिताओं के जरिए संभावनाओं का विस्तार

एक्ज़िम बैंक ने मंगोलिया सरकार को रेलवे एवं संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए 1 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की है। इस ऋण–व्यवस्था करार पर एक्ज़िम बैंक की ओर से उप प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना तथा मंगोलिया सरकार की ओर से भारत में असाधारण एवं पूर्णाधिकार राजदूत माननीय श्री गोंचिंग गनबोल्ड द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर जनरल (डॉ) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त), विदेश राज्यमंत्री, भारत सरकार तथा माननीय श्री एल. पुरेवसुरेन, विदेश मंत्री, मंगोलिया सरकार उपस्थित थे।

श्री देबाशिस मल्लिक, उप प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक तथा श्री मोटाजे लूइस–पॉल, आर्थिक, आयोजना एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री, कैमरून गणराज्य, बीसी–एनईआईए के अंतर्गत 93.50 मिलियन यूएस डॉलर की एक ऋण–व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर करते हुए। यह ऋण 225 केवी कौंगसाम्बा – बाफौसम तथा आउंदे – अबांग बांग ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए दिया गया।

माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी और पपुआ न्यू गिनी के माननीय प्रधानमंत्री श्री पीटर ओ नील की उपस्थिति में पपुआ न्यू गिनी को 100 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था के लिए सहमति करार पर हस्ताक्षर।

विशिष्ट अतिथियों का स्वागत

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल ने एक्ज़िम बैंक, प्रधान कार्यालय का दौरा किया।

विदेश मामलों के राज्य मंत्री श्री एम जे अकबर ने एक्ज़िम बैंक, प्रधान कार्यालय का दौरा किया।

एक्ज़िम बैंक ने सार्क चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की।

व्यवसाय परिचालन

एक्ज़िम बैंक निर्यातों के
वित्तपोषक के रूप में

परियोजना, उत्पाद एवं सेवा निर्यात

बैंक विभिन्न प्रकार की निर्यात ऋण सुविधाएं जैसे परियोजना निर्यात वित्त तथा सलाहकारी सेवाएं, पूँजी उपकरण वित्त, निर्यात परियोजना नकदी प्रवाह घाटा वित्तपोषण तथा गारंटियां आदि प्रदान करता है। बैंक भारतीय परियोजना निर्यातकों को निधिक सहायता तथा परियोजना संबंधी गारंटी सुविधाओं सहित व्यापक वित्तपोषण सुविधाएं प्रदान करता है।

निर्यात संविदाएं

वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक द्वारा समर्थित प्रमुख परियोजना संविदाएं:

- आबिदजान ट्रांसपोर्ट कंपनी (सोट्रा), कोत दि'वार को 500 बसों, 62 फ्लीट मेंटेनैंस वाहनों, पुर्जों तथा संबंधित सेवाओं की आपूर्ति के लिए टाटा मोटर्स लि. द्वारा निष्पादित की जा रही संविदा।
- वियतनाम बॉर्डर गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम को तीव्र गति की पेट्रोलिंग बोट की आपूर्ति हेतु लार्सन एंड टूब्रो लि. द्वारा निष्पादित की जा रही संविदा।
- केईसी इंटरनेशनल लि. द्वारा निष्पादित की जा रही मलेशिया में मुरूम सब–स्टेशन से सामालाजु 2 सब–स्टेशन तक (लगभग 166 किमी.) क्वैड एएससीआर ड्रैक कन्डक्टर, 3 फेज वाली 275 केवी डबल सर्किट लाइन की डिजाइन, आपूर्ति एवं निर्माण संविदा।
- अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा निष्पादित की जा रही लुसाका सिटी डिकॉन्जेशन परियोजना।
- वीए टेक वाबाग लि. द्वारा निष्पादित की जा रही पी.टी. परटामिना (परसेरो), इंडोनेशिया को रिफायनरी यूनिट V, बालिकपापन में रिफायनरी डेवलपमेंट मास्टर प्लान हेतु सी वाटर रिवर्स ऑसमोसिस प्लांट के लिए आपूर्ति, स्थापना एवं कमिशनिंग संविदा।
- टाटा कन्सल्टिंग इंजीनियर्स लि. द्वारा निष्पादित की जा रही आसफान, सउदी अरब गणराज्य में सेंटर ऑपरेशन ऑफ–साइट सुविधा के लिए डिजाइन सलाहकारी सेवाएं संविदा।

निर्यात ऋण एवं गारंटियां

वर्ष के दौरान बैंक ने आपूर्तिकर्ता ऋण, क्रेता ऋण और निर्यात परियोजना नकदी प्रवाह घाटा वित्त (ईपीसीडीएफ) कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल ₹ 198.88 बिलियन की राशि मंजूर की। पिछले वर्ष ये मंजूरियां ₹ 262.24 बिलियन की थीं। इन मंजूरियों के अंतर्गत संवितरित राशि गत वर्ष के ₹ 260.10 बिलियन की तुलना में ₹ 200.90 बिलियन रही। वर्ष के दौरान अनुमोदित तथा जारी की गई गारंटियों की राशि गत वर्ष के क्रमशः ₹ 16.41 बिलियन तथा 20.99 बिलियन की तुलना में क्रमशः ₹ 40.06 बिलियन तथा ₹ 30.67 बिलियन रही। ये गारंटियां बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा वितरण, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सलाहकारी सेवाएं तथा जल शुद्धिकरण जैसे क्षेत्रों में विदेशी परियोजनाओं से संबंधित थीं।

क्रेता–ऋण

क्रेता–ऋण एक्ज़िम बैंक का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत बैंक भारतीय निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए

देश : मॉरीशस

कार्यक्रम : ऋण–व्यवस्था

मूल्य : 18 मिलियन यूएस डॉलर

उद्देश्य : गोवा शिपयार्ड लि. द्वारा तैयार की गई पैट्रोलिंग वेसल की आपूर्ति।

प्रभाव : इस वेसल की आपूर्ति सितम्बर 2016 में की गई है। यह सस्ती, भरोसेमंद, क्रूजिंग, अच्छी स्पीड वाली तथा टिकाऊ वेसल है तथा इससे द्वीप से बाहर भी सेवाएं ली जा सकती हैं। यह वेसल आधुनिक नेविगेशन सिस्टमों तथा उच्च मशीनरी कंट्रोल सिस्टमों से लैस है। इससे देश की समुद्रतटीय सुरक्षा में काफी मदद मिलेगी।

देश : टोगो

कार्यक्रम : ऋण–व्यवस्था

मूल्य : 13.09 मिलियन यूएस डॉलर

उद्देश्य : कॉसमोस इंटरनेशनल लि. द्वारा कृषि उपकरण जैसे बुल्डोजर, उत्खनक, व्हील लोडर्स, सिंचाई पंपों एवं ड्रिप सिंचाई यंत्रों की आपूर्ति।

प्रभाव : इस परियोजना के चालू होने से इस क्षेत्र के हर किसान के पास अब अपनी आधा हेक्टेयर जमीन है जिसमें वे खुद खेती करते हैं। कृषि उपकरणों को चलाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु एक प्रशिक्षण केन्द्र की भी स्थापना की गई है।

विदेशी क्रेताओं को भारत से उनके आयातों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए ऋण देता है। क्रेता–ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातकों को पात्र मूल्य का भुगतान उनकी बिना किसी जिम्मेदारी के करता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, क्रेता–ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा 8 विदेशी कंपनियों को कुल ₹ 11.74 बिलियन की ऋण सुविधाएं प्रदान की गई। क्रेता ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल ₹ 13.09 बिलियन के संवितरण किए गए जिनमें बांग्लादेश, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, थाइलैंड, यूएई तथा यूएसए देशों के लिए निर्यात शामिल हैं। क्रेता–ऋण के अंतर्गत निर्यात किए गए सामानों में परिवहन वाहन, ऑटो स्पेअर पार्ट्स, इंजीनियरिंग सामान, कृषि आधारित उत्पाद एवं वस्तुएं, स्वर्ण तथा हीरे के आभूषण, स्टील तार तथा तार निर्मित राड, ईंधन तथा फर्नेश ऑयल एवं धागे आदि शामिल हैं। लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के कई निर्यातकों ने क्रेता–ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत दायित्व रहित भुगतान सुविधा का लाभ उठाया।

बैंक भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहा है। भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसी–एनईआईए) नामक उत्पाद के प्रारम्भ से भारतीय परियोजना निर्यातों को सहायता प्रदान करने में बैंक के इन प्रयासों को बल मिला है। बैंक द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 तक 3.07 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 22 परियोजनाओं को 2.84 बिलियन यूएस डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिनमें श्रीलंका में एक जल शोधन संयंत्र की स्थापना तथा जल भंडारण परियोजना; बैरा पोर्ट, मोजाम्बिक में एकीकृत एलपीजी तथा ब्युटिमेन स्टोरेज सुविधा की स्थापना; श्रीलंका के विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत जल आपूर्ति परियोजना; जिम्बाब्वे, तंजानिया एवं सेनेगल को वाहनों एवं स्पेयर्स की आपूर्ति संविदा; कैमरून, इथियोपिया तथा सेनेगल में ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं; घाना में रेलवे लाइन निर्माण परियोजना, मालदीव तथा जाम्बिया में सड़क परियोजना तथा सूरीनाम में सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। बैंक ने बीसी–एनईआईए कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख भारतीय परियोजना निर्यातकों की ओर से 6.21 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 41 परियोजनाओं को कुल 5.34 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान करने के लिए सिद्धांततः सहमति दी है।

ऋण–व्यवस्थाएं

एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करता है ताकि इन देशों के क्रेता आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से विकासपरक तथा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए उपकरणों, सामान तथा सेवाओं का आयात कर सकें। वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को सहायता प्रदान करने के लिए कुल 2.27 बिलियन यूएस डॉलर की 15 ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की हैं। एक्ज़िम बैंक द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान की गई ऋण–व्यवस्थाओं में घाना, गुयाना, केन्या, मलावी, मॉरीशस, मंगोलिया, नेपाल, निकारागुआ, नाइजर, सेनेगल, सिअरा लिओन तथा तंजानिया की सरकारों को दी गई ऋण–व्यवस्थाएं शामिल हैं। ये ऋण–व्यवस्थाएं कृषि एवं सिंचाई विकास, विभिन्न लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास, टेक्सटाइल फैक्टरी के आधुनिकीकरण, रेलवे तथा इससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, ट्रांसमिशन

लाइनों एवं उपस्टेशनों के लिए परियोजनाएं तथा जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार आदि के लिए वित्तपोषण प्रदान करेंगी तथा निर्यात को बढ़ावा देंगी। एक्ज़िम बैंक में कुल 15.87 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण–वचनबद्धताओं के साथ 63 से अधिक देशों को शामिल करते हुए 215 ऋण–व्यवस्थाएं उपभोग के लिए उपलब्ध हैं, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में कई अन्य ऋण–व्यवस्थाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

भारत सरकार की रियायती वित्तपोषण योजना

एक्ज़िम बैंक ने बांग्लादेश के रामपाल, जिला–बेगरहाट में 1320 मेगावाट (2x660 मेगावाट) की अल्ट्रा–सुपर क्रिटिकल मैत्री सुपर थर्मल पॉवर परियोजना के वित्तपोषण के लिए 1.60 बिलियन यूएस डॉलर का मियादी ऋण प्रदान किया है। यह ऋण बांग्लादेश पॉवर डेवलपमेंट बोर्ड, बांग्लादेश और एनटीपीसी लि., इंडिया की बराबर हिस्सेदारी वाली संयुक्त उपक्रम कंपनी बांग्लादेश–इंडिया फ्रेंडशिप पॉवर कंपनी लि. को प्रदान किया गया है। इस मियादी ऋण सुविधा करार पर मार्च 2017 में हस्ताक्षर हुए। इस टर्नकी परियोजना का कार्य अंतरराष्ट्रीय बिडिंग के जरिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. को मिला है। इस परियोजना को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का चयन किया गया है। मैत्री सुपर थर्मल पॉवर परियोजना बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉवर प्लांट परियोजना होगी। यह पॉवर प्लांट बांग्लादेश सरकार की देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए तैयार की गई योजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य बांग्लादेश में ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ–साथ देश में बिजली की कमी को दूर करना है। इस सुविधा के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹ 1.05 बिलियन संवितरित किए गए।

निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन

बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कई वित्तपोषण कार्यक्रमों के जरिए सहायता करता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एक्ज़िम बैंक ने निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु अपने इन विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल ₹ 192.85 बिलियन के ऋण मंजूर किये और ₹ 211.69 बिलियन की राशि संवितरित की।

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

वर्ष के दौरान, बैंक ने 41 निर्यात उन्मुख इकाइयों को ₹ 32.14 बिलियन राशि के दीर्घावधि ऋण मंजूर किये और ₹ 38.27 बिलियन राशि संवितरित की। उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत 12 निर्यातक कंपनियों को उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 12.21 बिलियन मंजूर किये गये। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संवितरणों की राशि ₹ 11.38 बिलियन रही। इसी प्रकार 11 कंपनियों को ₹ 25.31 बिलियन की दीर्घावधि कार्यशील पूँजी ऋण मंजूर किए गए जिनके अंतर्गत संवितरणों की राशि ₹ 22.71 बिलियन रही।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)

कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक्ज़िम बैंक को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान करने तथा अनुमोदित परियोजनाओं को सीधे सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक ने ₹ 184.29 बिलियन राशि की 229 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया। अनुमोदित और संवितरित ऋणों की समग्र राशि क्रमशः ₹ 66.69 बिलियन तथा ₹ 38.56 बिलियन रही। कपड़ा उद्योग को प्रौद्योगिकी

देश : बांग्लादेश

कार्यक्रम : ऋण–व्यवस्था

मूल्य : 79.95 मिलियन यूएस डॉलर

उद्देश्य : राइट्स लि. द्वारा 120 रेल बोगियों की आपूर्ति।

प्रभाव : बांग्लादेश रेलवे द्वारा इन बोगियों का उपयोग बेहतर कनेक्टिविटी एवं बड़े पैमाने पर सस्ती जन परिवहन प्रणाली के लिए किया जा रहा है। इन बोगियों का उद्घाटन बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना द्वारा किया गया।

देश	:	मॉरीशस
कार्यक्रम	:	ऋण–व्यवस्था
मूल्य	:	46 मिलियन यूएस डॉलर
उद्देश्य	:	मॉरीशस की पुलिस को इन्टरसेप्टर नावों तथा वायुयानों की आपूर्ति। गोवा शिपयार्ड लि. द्वारा तैयार की गई 10 इन्टरसेप्टर नावों तथा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. द्वारा तैयार किए गए एक वायुयान एचएएल–डीओ–228-202 की आपूर्ति की गई।
प्रभाव	:	एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें यह अपनी विशिष्टताओं एवं पैरामीटरों पर खरा उतरा है और इसे जून 2016 में सौंप दिया गया है। 10 इन्टरसेप्टर नावों का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर फरवरी 2016 में सौंप दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप द्वीप राष्ट्र में बेहतर समुद्री निगरानी हो सकेगी।

उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता वस्त्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों तथा भारत के कई राज्यों में फैली हुई है।

विदेशी निवेश वित्त

भारतीय बाह्य निवेश को सहायता प्रदान करने के लिए इक्विटी वित्त, ऋण, गारंटियां और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से बैंक के पास कई कार्यक्रम हैं। वर्ष के दौरान 21 कंपनियों को 12 देशों में उनके विदेशी निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल ₹ 38.91 बिलियन की निधिक तथा गैर–निधिक सहायता मंजूर की गई। एक्ज़िम बैंक ने अब तक 78 देशों में 451 कंपनियों को 587 उद्यमों की स्थापना हेतु मदद की है। वर्ष के दौरान बैंक ने विदेशी निवेश के जरिए फ्रांस में एक एयरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग कंपनी का अधिग्रहण, यूएसए में विंड फार्म की स्थापना के लिए भारत से विंड टर्बाइन्स के निर्यात, यूएसए में सिंचाई उत्पादों के क्षेत्र में संवितरण कंपनियों के अधिग्रहण तथा यूएसए में एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अधिग्रहण के लिए सहायता प्रदान की है। आज तक, बैंक द्वारा विदेशी निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत कुल ₹ 529.13 बिलियन की राशि प्रदान की गई है जिसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे फार्मास्युटिकल्स, घर सज्जा, रेडीमेड कपड़े, निर्माण, का गज एवं कागज उत्पाद, कपड़ा, रसायन, रंजक, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी सामान, प्राकृतिक संसाधन (कोयला तथा वन), धातु तथा धातु प्रसंस्करण, कृषि तथा कृषि आधारित उत्पाद तथा अक्षय ऊर्जा आदि शामिल हैं।

आपाती साख–पत्र/साख–पत्र

निर्यात उन्मुख इकाइयों के कारोबार को सुगम बनाने के लिए बैंक मुख्य रूप से आयात वित्तपोषण के लिए साख–पत्र (एलसी) जारी करता है। बैंक प्रतिस्पर्धी दरों पर गारंटियों/एसबीएलसी के जरिए निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए वित्तीय गारंटियां भी प्रदान करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 14.46 बिलियन की वित्तीय गारंटियां प्रदान कीं। 31 मार्च, 2016 की 46.31 बिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2017 को बैंक का वित्तीय गारंटी पोर्टफोलियो ₹ 43.73 बिलियन रहा। वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 7.49 बिलियन के 175 साख–पत्र जारी किए। इसके अलावा बैंक निर्यात दस्तावेज़ों के परक्रमण (निगोसिएशन) तथा संग्रहण (कलेक्शन) का भी कार्य करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 37.90 बिलियन के 1,510 निर्यात दस्तावेजों को हैंडल किया है।

ज्ञान के जरिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा

एक्ज़िम बैंक का अध्ययन ''भारत में निर्यातों एवं रोजगार के बीच अंतर-संबंध'' का विमोचन। इस अवसर पर श्री डी.के. सिंह, आईएएस, अध्यक्ष, एपीडा; श्री पंकज जैन, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय; श्री टी.सी.ए. रंगनाथन, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक; डॉ. सी. वीरामनी, एसोसिएट प्रोफेसर, आईजीआईडीआर; श्री यदुवेन्द्र माथुर, आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक; तथा श्री डेविड रस्कीना, उप प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक उपस्थित थे।

जयपुर में आयोजित चौथे भारत-सीएलएमवी व्यवसाय कॉन्क्लेव के दौरान एक्ज़िम बैंक का अध्ययन ''सीएलएमवी-भारत संबंधः एशियाई बाजारों का प्रवेश द्वार'' का विमोचन किया गया।

भारत अफ्रीका परियोजना सहभागिता पर आयोजित सीआईआई-एक्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव के दौरान श्री आदि गोदरेज, अध्यक्ष, सीआईआई अफ्रीका समिति तथा अध्यक्ष, गोदरेज समूह द्वारा एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन ''चुनिंदा अफ्रीकी देशों में भारत का निवेशः संभावनाएं एवं अवसर'' का विमोचन किया गया।

ज्ञान के जरिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा

एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर से बैंक के प्रकाशन ''रक्षा उपकरण उद्योगः आत्मनिर्भरता एवं निर्यातों का बढ़ावा'' की पहली प्रति प्राप्त करते हुए जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) माननीय विदेश राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार।

एक्ज़िम बैंक के अध्ययन ''भारत–अफ्रीका हेल्थकेयर सहयोगः आगे की राह'' का विमोचन करते हुए जाम्बिया के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री जोसेफ कासोन्दे।

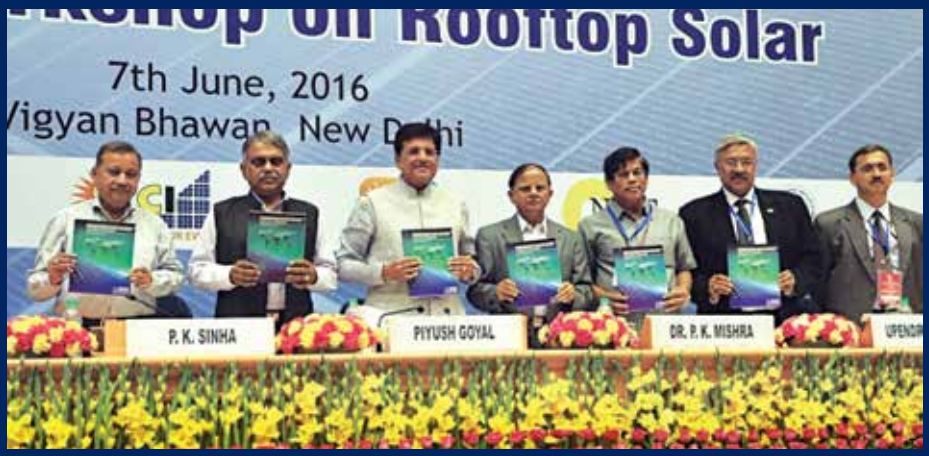

एक्ज़िम बैंक के अध्ययन ''अंतरराष्ट्रीय सौर संधिः बढ़ती संभावनाएं'' का विमोचन श्री पीयूष गोयल, माननीय ऊर्जा, कोयला तथा नवीन एवं अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया।

नई दिल्ली में एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर, बैंक के प्रासंगिक आलेख ''भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योगः चुनौतियां एवं संभावनाएं'' की पहली प्रति सुश्री रीता ए. तेवतिया, वाणिज्य सचिव को देते हुए।

एक्ज़िम बैंक के कार्यक्रम

ऋण–व्यवस्थाएं

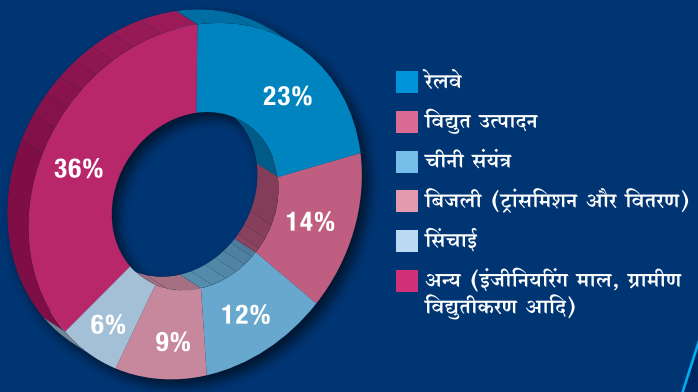

215 एलओसी दी गईं

63 देशों को

2016-17 में **2.27** बिलियन यूएस डॉलर की **15** एलओसी दी गईं

15.87 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की ऋण वचनबद्धताएं

विदेशी निवेश वित्त

2016-17 में **21** कंपनियों को निधिक और गैर–निधिक सहयोग

₹ **38.91** बिलियन 12 देशों में उनके विदेशी निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए

78 देशों में **451** कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं

587 उपक्रमों को अब तक एक्ज़िम बैंक वित्त प्रदान कर चुका है

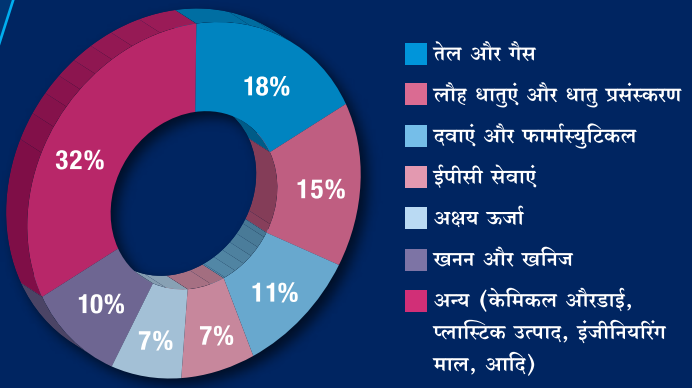

एनईआईए के अंतर्गत क्रेता–ऋण

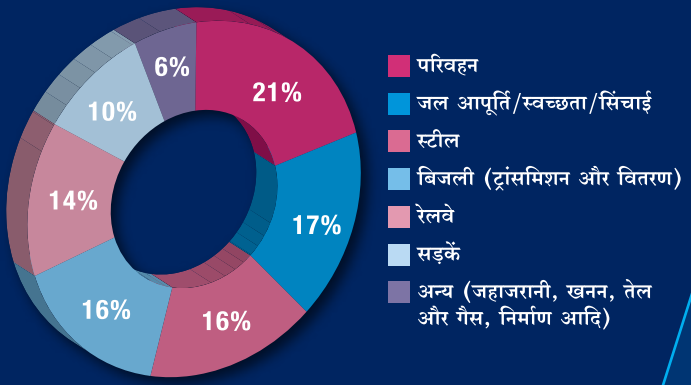

2.84 बिलियन यूएस डॉलर की कुल राशि

3.07 बिलियन यूएस डॉलर की 22 परियोजनाओं के लिए (31 मार्च, 2017)

6.21 बिलियन यूएस डॉलर की 41 परियोजनाओं के लिए

5.34 बिलियन यूएस डॉलर की कुल राशि की सिद्धांतत: प्रतिबद्धता

क्रेता–ऋण

₹ **11.74** बिलियन का क्रेता ऋण

8 विदेशी कंपनियों को

6 देशों में निर्यात के लिए दिया गया

क्रेता ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ **13.09** बिलियन का संवितरण

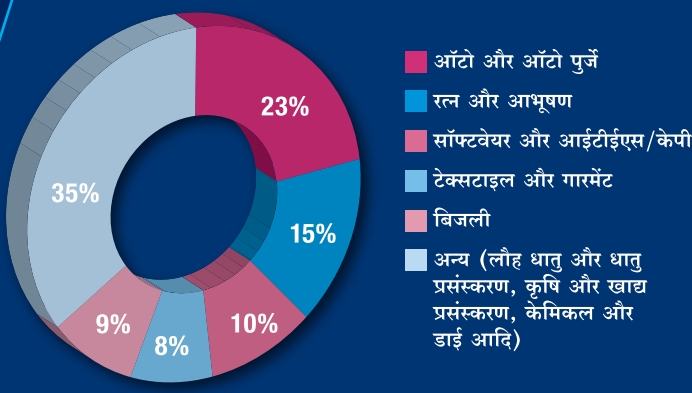

व्यवसाय परिचालन

एक्ज़िम बैंक निर्यात
सुगमकर्ता के रूप में

ग्रासरूट पहलें एवं विकास

बैंक अपनी ग्रासरूट पहलों के जरिए ग्रामीण भारत में स्थित उद्यमों के वैश्वीकरण में मदद करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों, बुनकरों तथा ग्रामीण उद्यमियों के लिए नए अवसरों का सृजन कर समाज के तुलनात्मक रूप से वंचित वर्गों की मदद करना है।

वर्ष के दौरान बैंक ने गुजरात को–ऑपरेटिव सोसायटी को सहयोग दिया जिसमें 1500 से अधिक आदिवासी महिलाएं काम करती हैं। इस सोसायटी का लक्ष्य महिलाओं को प्रबंधकीय एवं उद्यम संबंधी कौशल प्रदान कर उनके लिए हस्तशिल्प, कृषि सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण तथा माइक्रो फाइनांस क्षेत्र में आय के अवसरों का सृजन करना है। बैंक ने सोसायटी की कार्यशील पूँजी जरूरतों के लिए ऋण दिया है तथा सोसायटी के लिए हस्तशिल्प उत्पादों के विकास पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भी किया है। इसी प्रकार राजस्थान की एक सामाजिक संस्था को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसमें लगभग 3500 कारीगर काम करते हैं। इसका उद्देश्य कारीगरों तथा किसानों को स्थाई जीविकोपार्जन सुनिश्चित कराना है। बैंक ने कुमाऊँ, उत्तराखंड की एक को–ऑपरेटिव सोसायटी के कारीगरों एवं किसानों की मदद करना जारी रखा है जो प्राकृतिक रंगों से अहिंसा सिल्क एवं ऊनी कपड़े तैयार करते हैं; नीलगिरी–तमिलनाडु की सामाजिक संस्था को भी सहायता प्रदान की गई जिसमें लगभग 2000 कारीगर काम करते हैं जो अधिकांशतः आदिवासी समुदाय के हैं। यह संस्था कृषि एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देने एवं पिछड़े तथा वंचित समुदायों के छोटे–छोटे उत्पादकों, वनवासियों, बुनकरों तथा शिल्पकारों को मार्केटिंग प्लेटफार्म देने में मदद करती है। भागलपुर, बिहार के हैंडलूम उत्पादों को तैयार करने वाली सामाजिक संस्था तथा उड़ीसा की एक संस्था जिसमें 2000 से ज्यादा आदिवासी और सामाजिक रूप से पिछड़े कारीगर काम करते हैं, को भी बैंक ने शिल्प विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं

बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों में निर्यात क्षमता लाने, उसको बढ़ावा देने तथा भारतीय कंपनियों के उत्पादों एवं सेवाओं हेतु विदेशों में वितरकों/खरीदारों/भागीदारों की तलाश के जरिए उनके वैश्वीकरण प्रयासों में मदद करता है। एक्ज़िम बैंक विदेश में प्लांट या परियोजनाएं स्थापित करने या विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण में भी सहयोग करता है। बैंक अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों की समझ, विदेशों में अपनी मौजूदगी और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अपने संस्थागत संबंधों का लाभ उठाते हुए सफलता शुल्क आधार पर भारतीय कंपनियों की मार्केटिंग गतिविधियों में मदद करता है।

उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना

वर्ष के दौरान बैंक ने 16 कंपनियों के साथ अधिदेशों (मैंडेट) पर हस्ताक्षर किए जिनकी कुल संख्या अब 159 हो गई है। ये कंपनियां बैंक तथा एक्ज़िम मित्र पोर्टल पर अपलोड सूचना के जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बनाएंगी। बैंक ने विभिन्न कंपनियों के उत्पादों को देश–विदेश में बिक्री करने में भी मदद की है और ₹ 8 मिलियन के कुल 129 ऑर्डर हासिल हुए हैं। बैंक ने फेयर ट्रेड ग्लोबल मार्केट प्लेस पर कपड़ों का प्लेसमेंट, मुंबई एयरपोर्ट के रिटेल स्टोर्स पर रिसाइकल्ड प्लास्टिक उत्पादों और विभिन्न काश्मीरी शिल्प उत्पादों का प्लेसमेंट तथा एक लोकप्रिय होटल चेन में ऑर्गेनिक शहद के प्लेसमेंट में मदद की है। इसके अलावा हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट सामानों को यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण पूर्व एशिया तथा कुछ यूरोपीय देशों में पहुंचाने में मदद की गई है। बैंक ने स्वयं जूट, चमड़ा, हैंडमेड पेपर, हैंडलूम, नीडल वर्क, लकड़ी तथा धातु से तैयार हस्तशिल्प सामग्रियों की खरीद की है।

उत्पादों के विपणन के अलावा बैंक ने निम्नलिखित भारतीय कंपनियों को विदेशों में भागीदार तलाशने में भी मदद की है:

- वाटर मेकर्स इंडिया प्रा.लि. ने इसीम्को समूह के साथ कोलंबिया में एयर टू वाटर जेनरेटर की आपूर्ति के लिए करार किया है।
- मेल्हैम आइकॉस एनवायरमेंट प्रा. लि. तथा इसीम्को समूह के बीच कोलंबिया में सूखा कचरा एवं जल प्रबंधन के क्षेत्र में परियोजना विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन करार पर हस्ताक्षर किए गए।
- कारा वेंचर्स ने नोविका, यूएसए के ई–कॉमर्स प्लेटफार्म पर अपने हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा बेचने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए।
- भारतीय शिल्प एवं हैंडलूम उत्पादों को ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म पर बेचने वाली कंपनी जयपोर तथा 4 माइक्रो एवं ग्रासरूट एंटरप्राइज़ेज के बीच आपूर्ति करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

- खमीर क्राफ्ट सोसायटी ने अपने रिसायकल्ड प्लास्टिक उत्पादों को मुंबई अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल पर बेचने के लिए म्यूजियम स्टोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम

बैंक कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कर घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु विभिन्न हस्तशिल्प कारीगरों एवं शिल्पकारों की मदद कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, बैंक ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश की एक संस्था के साथ मिलकर इस क्षेत्र की 50 मास्टर महिला कारीगरों के लिए एक उत्पाद एवं डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन में सहायता की है। इस सोसायटी में लगभग 1200 कारीगर कार्यरत हैं तथा ये एप्लीक एवं पैचवर्क तकनीकी का उपयोग कर हस्तशिल्प उत्पाद तैयार कर रहे हैं। बैंक ने नीलगिरी बॉयोस्फेयर रिज़र्व की एक कंपनी के साथ जुड़े चुनिंदा आदिवासियों के लिए 'शहद गुणवत्ता नियंत्रण, रख-रखाव, प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित करने में सहायता की है। कर्नाटक की एक सामाजिक संस्था, जो ग्रामीण को-ऑपरेटिव सोसायटियों के उत्पादों को मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है, के साथ मिलकर चंदेरी तथा महेश्वर क्लस्टर्स, मध्य प्रदेश के 50 मास्टर बुनकरों के लिए 'ऑनलाइन तथा निर्यात व्यवसाय, क्रय-विक्रय, उत्पादन, गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स तथा अनुपालन' थीम पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामपुर, हिमाचल प्रदेश की एक को-ऑपरेटिव सोसायटी के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के चुनिंदा कारीगरों के लिए निर्यात अवसरों, अनुपालन एवं कौशल उन्नयन पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान बैंक ने, उदयपुर, राजस्थान के एक ट्रस्ट, जिसमें 700 से ज्यादा महिला कारीगर काम कर रही हैं, की 80 महिला कारीगरों के लिए पैचवर्क, कढ़ाई तथा सिलाई पर तीन महीने की एक कार्यशाला आयोजित करने में सहायता गई।

एक्ज़िम बैंक ने नेशनल सेंटर फॉर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट (एनसीडीपीडी) के साथ मिलकर ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका) देशों के 46 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मास्टर कारीगरों के लिए ''ब्रिक्स हस्तशिल्प कारीगरी विनिमय कार्यक्रम'' का आयोजन किया। इस दस दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन कैम्पस, जयपुर, राजस्थान में किया गया था। यह कार्यक्रम थ्रेड वर्क के जरिए तैयार की जाने वाली सामग्री को तैयार करने पर केंद्रित था। बैंक ने तमिलनाडु में 14 महिला बुनकरों के लिए तीन महीने का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम से लूमिंग गतिविधियों के बारे में महिला बुनकरों के ज्ञान तथा कौशल में वृद्धि हुई। बैंक ने अखिल भारतीय कारीगर तथा शिल्पकार कल्याण संघ (एआईएसीए) तथा गोंड ट्राइबल आर्ट लि. (जीटीए) के साथ मिलकर भोपाल, मध्य प्रदेश में 20 गोंड तथा मधुबनी कलाकारों के लिए दस दिवसीय उत्पाद विकास कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में निर्यात बाजार के लिए उपयुक्त नई तकनीकों एवं पैटर्न का उपयोग कर 50 से ज्यादा उत्पाद तैयार किए गए। बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई कार्यशालाएं उत्पाद विकास, डिजाइन एवं गुणवत्ता के संबंध में काफी सफल रहीं तथा इससे कारीगरों को ऐसे प्रोटोटाइप विकसित करने में मदद मिली है जिनकी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी मांग है।

कार्यक्रमों/प्रदर्शनियों का आयोजन

बैंक ने 'सिक्योर गिविंग' के साथ मिलकर मुंबई, पुणे, चेन्नै तथा बैंगलूरू में पारम्परिक और जनजातीय तथा लोक-कला प्रदर्शनियां आयोजित करने में सहायता प्रदान की। इन कला प्रदर्शनियों में पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश की पेंटिंगों की बिक्री हुई। बैंक ने स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों तथा छोटी कंपनियों को निर्यात संवर्द्धन परिषद पर हैंडीक्राफ्ट्स होम एक्स्पो, सूरजकुंड तथा काला घोड़ा कला उत्सव में बूथ दिलाकर उन्हें सहयोग प्रदान किया।

सामाजिक कल्याण

वर्ष के दौरान, बैंक ने नेशनल डिसएबिलिटी इंस्टीट्यूट काबुल, अफगानिस्तान में स्थाई जयपुर फूट सेंटर की स्थापना के लिए भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस), जयपुर को सहायता प्रदान की। बीएमवीएसएस, जयपुर फूट की पैतृक कंपनी है जहां विश्व में सबसे ज्यादा कृत्रिम पैर/जोड़ों का निर्माण और उपयोग किया जाता है। अपनी शुरुआत से ही, बीएमवीएसएस ने 1.4 मिलियन से ज्यादा दिव्यांगों तथा पोलियो रोगियों को कृत्रिम जोड़ों, कैलिपर्स तथा अन्य सुविधाएं एवं सामान प्रदान कर उन्हें पुनः स्थापित किया है जिससे यह विश्व में विकलांगों को सेवा प्रदान करनी वाली सबसे बड़ी संस्था बन गई है। बीएमवीएसएस सभी लाभार्थियों को निःशुल्क सुविधाएं तथा सामान मुहैया कराता है। हालांकि इसका अधिकाधिक काम भारत में है किन्तु बीएमवीएसएस के एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के 27 देशों में भी

58 कैंप लगाए हैं। बैंक ने भी मोजाम्बिक के तीन टेक्नीशियनों को जयपुर फूट टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण दिलाने हेतु भी बीएमवीएसएस को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

एक्ज़िम मित्र

एक्ज़िम बैंक विदेशी व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने में एक उत्प्रेरक तथा प्रमुख संस्थान के रूप में काम कर रहा है। अपने विभिन्न प्रयासों के जरिए एमएसएमई उद्यमों के बीच व्यापार वित्त तथा ऋण बीमा सुविधाओं के लिए उपलब्ध सूचनाओं की कमी को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है। बैंक द्वारा अपने दुहरे उद्देश्यों – निर्यात वित्तपोषण के साथ–साथ निर्यात व्यापार से संबन्धित सूचनाओं पर जानकारी प्रदान करने के लिए अपनी एक नई पहल के रूप में ''एक्ज़िम मित्र'' पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस ऑनलाइन प्लेटफार्म का नाम 'एक्ज़िम मित्र' रखा गया है जिसका अर्थ होता है 'निर्यातकों तथा आयातकों का दोस्त'। इस पोर्टल का उद्देश्य व्यापार वित्त एवं निर्यात ऋण बीमा विकल्पों, निर्यात अवसरों की जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ इस क्षेत्र में एक हेल्पलाइन की तरह कार्य करना है।

इस पोर्टल पर बड़ी संख्या में निर्यातकों तथा आयातकों को निर्यात व्यापार से संबंधित प्राथमिक जानकारी एक ही स्थान पर मुहैया कराई जाती है। यह पोर्टल निर्यातकों तथा आयातकों के लिए एक गेटवे की तरह काम करता है। पोर्टल पर ग्राहकों को संभावित बाजारों तथा उत्पादों को चिह्नित करने, उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में वैश्विक मानकों को समझने, माल ढुलाई की अनुमानित लागत का पता लगाने, निर्यातकों तथा आयातकों को उपलब्ध निर्यात ऋण और बीमा सुविधाओं की जानकारी तथा इस संबंध में सहायता देने वाली एजेंसियों के बारे में जानकारी देने सहित अनेक सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

पोर्टल पर बैंक अधिकाधिक सेवाएं शामिल करने की प्रक्रिया में हैं। इसके लिए बैंक ने मेसर्स पिटनी बाउज आईएनसी के साथ एक गठबंधन किया है जिसके जरिए 140 से अधिक देशों की कंट्री गाइड्स के अलावा ड्यूटी एवं करों की आसानी से गणना करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह टूल उत्पाद वर्गीकरण को सुगम बनाने, आयात ड्यूटी कर की गणना करने एवं प्रतिबंधों आदि की जानकारी सहित उनके अनुपालन एवं प्रबंधन की जानकारी देता है।

एक्ज़िम बैंक का उद्देश्य विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की इकाइयों/फ़र्मों को अपने व्यापार को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने में सहयोग करते हुए उन्हें बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करना है।

एक्ज़िम बैंक ने निर्यातकों के लिए व्यापार और ऋण संबंधी सूचनाओं के लिए पोर्टल (www.eximmitra.in) लॉन्च किया।

समावेशी विकास हेतु पहल

बैंक ने जयपुर में ब्रिक्स हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स एक्सचेंज कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पांच ब्रिक्स देशों के हैंडीक्राफ्ट कारीगरों ने भाग लिया।

एक्ज़िम बैंक ने पूरे देश में पारम्पारिक तथा जनजातीय कला प्रदर्शनियों को बढ़ावा देने के लिए कंसर्न इंडिया फाउंडेशन को सहायता प्रदान की।

बैंक ने भोपाल में गोंड एवं मधुबनी शिल्पकारों के लिए एक उत्पाद विकास कार्यशाला का आयोजन किया।

पुरस्कार और सम्मान

एक्ज़िम बैंक को मकाऊ, चीन में आयोजित एडफिएप वार्षिक बैठक के दौरान सामाजिक पहल के लिए एडफिएप पुरस्कार तथा 'श्योर पॉवर एलएलसी' के वित्तीय उत्पाद के स्ट्रक्चरिंग के लिए 'व्यापार विकास श्रेणी' के लिए मेरिट अवार्ड मिला।

एक्ज़िम बैंक को जीएमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत 1 बिलियन यूएस डॉलर का पहला 144ए बॉन्ड जारी करने के लिए असेट ट्रिपल ए कंट्री पुरस्कार मिला।

हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) मुंबई तथा महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा एक्ज़िम बैंक को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुए।

व्यवसाय परिचालन

एक्ज़िम बैंक निर्यात
संवर्द्धक के रूप में

शोध एवं विश्लेषण

बैंक का शोध एवं विश्लेषण समूह अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश पर विभिन्न शोध तकनीकों के जरिए शोध अध्ययन करता है। समूह द्वारा क्षेत्रीय, उद्योग खंड और नीति संबंधित तीन विस्तृत श्रेणियों में किए जाने वाले शोध अध्ययन प्रासंगिक आलेखों, कार्यकारी आलेखों और पुस्तकों आदि के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान 16 शोध अध्ययन प्रकाशित किए गए। ये निम्नलिखित हैं:

- भारतीय औषधि उद्योग: चुनौतियां एवं संभावनाएं
- भारत में प्रवासन एवं विप्रेषण
- तकनीकी उन्नति एवं संरचनात्मक परिवर्तन: आर्थिक वृद्धि में मांग एवं आपूर्ति की भूमिका
- भारत में निर्यात एवं रोजगार के बीच अंतर–संबंध
- सीएलएमवी भारत संबंध: एशियाई बाजारों के लिए प्रवेश द्वार
- राजस्थान से निर्यातों को बढ़ावा: रणनीति एवं नीतिगत परिदृश्य
- आंध्र प्रदेश से निर्यातों को बढ़ाने की संभाव्यता
- भारत–अफ्रीका स्वास्थ्य सेवा सहयोग: आगे की राह
- अफ्रीका में संपोषी निवेश अवसर: ब्रिक्स के लिए संभावनाएं
- अंतर–ब्रिक्स व्यापार: भारतीय परिदृश्य
- मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका (मेना) के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाना
- लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई (एलएसी) क्षेत्र में भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ाना: चुनिंदा देशों पर फोकस
- भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग: अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य
- चुनिंदा पूर्व अफ्रीकी देशों में भारत का निवेश: परिदृश्य एवं अवसर
- प्रसंस्कृत खाद्यों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार: भारतीय परिदृश्य
- भारत में मशीनरी सेक्टर: व्यापार घाटे को कम करने हेतु विकल्पों की तलाश

सूचना और सलाहकारी सेवाएं

बैंक कई प्रकार की सूचना, सलाहकारी और सहायता सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवाएं जहां बैंक के वित्तपोषण कार्यक्रमों की पूरक हैं, वहीं बैंक की नीति निर्माता की भूमिका को भी रेखांकित करती हैं। ये सेवाएं बैंक के हितधारकों को प्रदान की जाती हैं, जिनमें राज्य सरकारें, भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र तथा विदेश स्थित संस्थाएं शामिल हैं। इन सेवाओं में नीतिगत सुझाव एवं राज्य सरकारों के लिए शोध अध्ययन, बाजार संबंधी सूचनाएं, क्षेत्र और व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की पहचान, भागीदारों की खोज, निवेश सुगमीकरण तथा भारत और विदेश दोनों में संयुक्त उपक्रमों का विकास शामिल हैं।

देश : अल्जीरिया

कार्यक्रम : निर्यात परियोजना नकदी प्रवाह घाटा वित्त

मूल्य : 10 मिलियन यूएस डॉलर

उद्देश्य : आवास एवं शहरी नियोजन मंत्रालय, अल्जीरिया सरकार द्वारा शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी लि. को ओएद त्लैलात में 700 घरों के लिए निर्माण संविदा।

प्रभाव : यह परियोजना 700 परिवारों को सस्ते घर उपलब्ध कराएगी और इसके साथ ही अल्जीरिया में बेहतर टाउन प्लानिंग और आवास सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

देश : कुवैत

कार्यक्रम : बैंक गारंटी

मूल्य : 117.38 मिलियन यूएस डॉलर

उद्देश्य : एक्ज़िम बैंक ने कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कुवैत शहर में बनवाए जा रहे न्यू अल सबा हॉस्पिटल के डिजाइन, निर्माण तथा परिचालन और रखरखाव के लिए शापूरजी पालोनजी मिडइस्ट एलएलसी को बैंक गारंटी के जरिए सहयोग प्रदान किया।

प्रभाव : यह आधुनिक अस्पताल मध्यपूर्व में न केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा बल्कि भारतीय परियोजना निर्यातक की विदेशों में परियोजना निर्यात क्षमताओं को भी प्रदर्शित करेगा।

वर्ष के दौरान बैंक ने श्रीलंका निर्यात ऋण बीमा निगम को सहयोग संबंधी अपना नियत कार्य पूरा किया। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा बैंक को वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया था। इसमें बैंक द्वारा पूर्व के एक असाइनमेंट के हिस्से के रूप में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए एक सिस्टम बनाना भी शामिल था। इससे श्रीलंका के निर्यात ऋण सांस्थानिक ढांचे को मजबूत करने, निर्यात ऋण के बेहतर प्रवाह से देश के निर्यात आधार को विस्तार देने तथा देश की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिली।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईटीसी) जेनेवा ने 'सपोर्टिंग इंडियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फॉर अफ्रीका (सीता) परियोजना' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में एक्ज़िम बैंक को एक कार्य सौंपा था। यह कार्य था– रवांडा में व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निर्यात ऋण और निर्यात ऋण बीमा के लिए क्षमता सृजन। वर्ष के दौरान आईटीसी द्वारा रवांडा के किगाली में स्टेकहोल्डरों की एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें आईटीसी द्वारा सौंपे गए कार्य की सिफारिशों पर चर्चा की गई। रवांडा के व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने इन सिफारिशों की सराहना की और अब वह इन सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहता है। इस संबंध में मंत्रालय ने एक्ज़िम बैंक को दूसरे चरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि रवांडा में निर्यात ऋण गारंटी एजेंसी स्थापित करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके और संस्था के परिचालन की नींव रखी जा सके। बैंक द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है और इस कार्य के परिचालन के लिए उपयुक्त स्टेकहोल्डरों से परामर्श जारी है।

विदेशों में बहुपक्षीय निधिक परियोजनाएं

बैंक अपनी सूचना और सहयोग सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों को विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) और यूरोपीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (ईबीआरडी) द्वारा निधिक परियोजनाओं में कारोबार स्थापित कराने में मदद करता है। ऐसी बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाएं आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और परामर्शदाताओं को कारोबार के अच्छे अवसर प्रदान करती हैं। ऐसी परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की बढ़ती सहभागिता को देखते हुए एक्ज़िम बैंक इन एजेंसियों के साथ मिलकर सेमिनार आयोजित कराता रहा है।

एडीबी के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय अवसरों के बारे में जानकारी के लिए बैंक ने एडीबी के साथ मिलकर 'एशियाई विकास बैंक के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय अवसर' विषय पर नई दिल्ली और चेन्नै में दो चर्चापरक सेमिनारों का आयोजन किया।

विश्व बैंक का प्रोक्योरमेंट पोर्टफोलियो 172 देशों में 1800 से ज्यादा परियोजनाओं के लिए लगभग 42 बिलियन यूएस डॉलर का है। विश्व बैंक प्रोक्योरमेंट के लिए भारतीय कंपनियां बिडिंग में भागीदारी करती रही हैं और काफी हद तक सफल रही हैं। जुलाई 2016 से विश्व बैंक ने नई प्रोक्योरमेंट व्यवस्था लागू की है, जो व्यवसाय के ज्यादा अनुकूल है और वेंडरों सहित स्टेकहोल्डरों से मिले फीडबैक को गंभीरता से लेती है। विश्व बैंक की परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की प्रभावी भागीदारी बढ़ाने की संभावनाओं को देखते हुए बैंक ने

विश्व बैंक समूह के साथ मिलकर नई दिल्ली में एक चर्चापरक कार्यशाला का आयोजन किया।

अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) के अध्यक्ष माननीय डॉ. अकिनूमी एडिसिना तथा भारतीय कारोबारी समूहों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ नई दिल्ली में एक चर्चापरक सत्र का आयोजन किया गया। इस चर्चापरक सत्र से अफ्रीका में एएफडीबी निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय अवसर तलाश रही भारतीय कंपनियों को विशेष रूप से एएफडीबी के हाई–5 एजेंडा के ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण अवसरों की जानकारी मिली।

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र

बैंक के एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र (ईसीएल) ने हमेशा की तरह इस वर्ष भी क्षमता निर्माण गतिविधियों का आयोजन किया है। ईसीएल द्वारा भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाने और भारतीय निर्यातकों व आयातकों की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सेमिनारों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही समसामयिक विषयों पर निर्यातकों एवं आयातकों के लिए सेमिनारों एवं सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है।

वर्ष के दौरान आयोजित सेमिनारों में व्यापार संघों, भारतीय निर्यातक संघ संगठन (फिओ), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), ईसीजीसी लिमिटेड, त्रिपुरा राज्य सरकार और अग्रणी वाणिज्यिक बैंकों के अधिकारियों ने जानकारी प्रदान की।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ईसीएल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 11 निर्यात संवर्द्धन सेमिनारों का आयोजन किया गया:

- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के साथ मिलकर कोच्चि और बेंगलूरु में 'ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम' पर सेमिनारों का आयोजन किया गया।
- फिओ के साथ मिलकर 'विदेश व्यापार में अवसर और चुनौतियां', भारत में विदेश व्यापार का संवर्द्धन, निर्यात ऋण और ऋण सुगमीकरण, वैश्विक व्यापार परिदृश्य–भारत के निर्यात–आयात व्यापार पर प्रभाव जैसे विषयों पर विजयवाड़ा, आगरा, सूरत, गंगटोक और कोलकाता में पांच सेमिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया।
- सभी स्टेकहोल्डरों और निर्यातक समुदाय को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से ईसीएल ने फिओ के साथ मिलकर लखनऊ में 'निर्यातकों के साथ खुली चर्चा बैठक' का आयोजन किया, ताकि निर्यात बढ़ाने में उनकी समस्याओं/मसलों को समझने में मदद मिले। इस चर्चा की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव, भारत सरकार द्वारा की गई।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का निर्यात कौशल बढ़ाने और उत्तर पूर्व क्षेत्र के निर्यातकों तथा

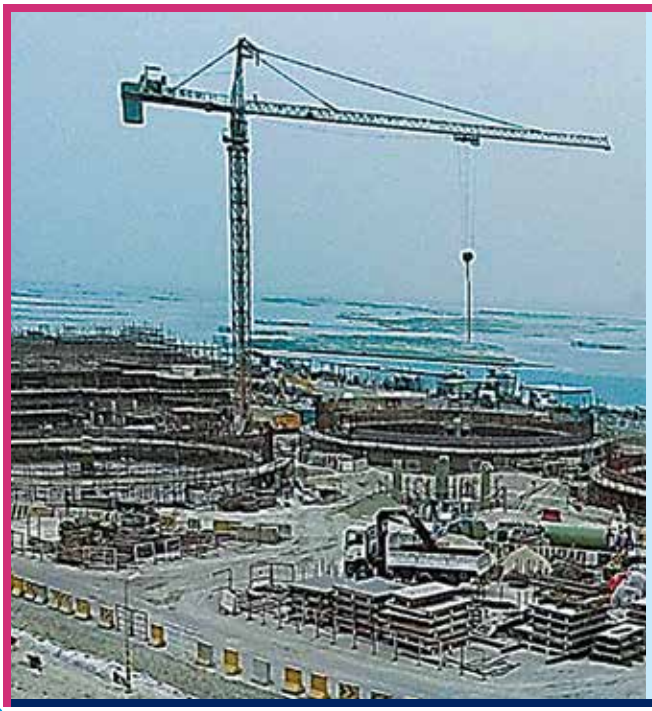

देश : बहरीन

कार्यक्रम : बैंक गारंटी

मूल्य : ₹ 1.25 बिलियन

उद्देश्य : बहरीन में अल मदीना अल शमालिया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के डिजाइन, निर्माण, परिचालन एवं रखरखाव संविदा के लिए वीए टेक वाबाग को ₹ 6.25 बिलियन के समतुल्य की बैंक गारंटी।

प्रभाव : यह ट्रीटमेंट प्लांट एरोबिक डायजेशन और थर्मल ड्राइंग तकनीक के जरिए स्लज ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट सुविधा जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस होगा। इससे साफ किया गया पानी अलमरीना – अलशमालिया के 13 द्वीपों में पानी की जरुरत को पूरा करेगा।

देश : सेनेगल

कार्यक्रम : राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता–ऋण

मूल्य : 69.75 मिलियन यूएस डॉलर

उद्देश्य : सेनेगल सरकार द्वारा प्रवर्तित पीएलसी डकार डेम डिक्क तथा अशोक लीलैंड लिमिटेड के बीच 82.06 मिलियन यूएस डॉलर की संविदा के अंतर्गत बसों, स्पेयर्स और अन्य सेवाओं को वित्तपोषण।

प्रभाव : इन बसों की आपूर्ति से डकार की जनता के लिए सस्ती सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित होगी। इससे कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद मिलेगी।

उद्यमियों को वैश्विक बाजारों के घटनाक्रम से अपडेट रखने के लिए आईसीसी के साथ मिलकर 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उद्यमिता को बढ़ावा' विषय पर अगरतला में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

- राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बेंगलूरु के एक्ज़िमिअस केंद्र में एक चर्चापरक सत्र का आयोजन किया गया।

- अफ्रीकी छात्रों को भारत–अफ्रीका साझेदारी के विभिन्न आयामों से परिचित कराने और रोजगार के अवसरों का सृजन कर अफ्रीकी छात्रों की राह सुगम बनाने के उद्देश्य से 'भारत–अफ्रीकाः उज्ज्वल भविष्य के साथी' विषय पर मुंबई स्थित पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत–अफ्रीका संबंधों को और सुदृढ़ बनाना तथा भविष्य के स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था।

संस्थागत संबद्धताएं

देश के व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने बहुपक्षीय एजेंसियों, निर्यात ऋण एजेंसियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं, व्यापार संवर्द्धन निकायों तथा निवेश संवर्द्धन बोर्डों के साथ अपने संस्थागत संबंधों का एक नेटवर्क विकसित किया है।

एशियाई एक्ज़िम बैंक फोरम

एईबीएफ की स्थापना 1996 में भारतीय निर्यात–आयात बैंक की पहल पर की गई थी। एशियाई एक्ज़िम बैंक फोरम का उद्देश्य परस्पर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर एशियाई एक्ज़िम बैंकों के बीच दीर्घकालिक व सुदृढ़ संबंध बनाना है। एशियाई एक्ज़िम बैंक्स फोरम (एईबीएफ) की 22वीं बैठक नवंबर 2016 में इंडोनेशिया के बाली में हुई। बैठक की मेजबानी इंडोनेशियाई एक्ज़िम बैंक द्वारा की गई। बैठक की थीम 'पारस्परिक सहयोग से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यापार सुधार में एईबीएफ की भूमिका' थी। बैठक की अध्यक्षता इंडोनेशियाई एक्ज़िम बैंक ने की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम की सदस्य संस्थाओं के उच्चाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में एशियाई विकास बैंक ने भी स्थाई अतिथि के रूप में हिस्सा लिया इसके अलावा इसमें निर्यात विकास बैंक, ईरान तथा अफ्रीकी निर्यात आयात बैंक ने पर्यवेक्षक के रुप में भाग लिया। बैठक में निर्यात ऋण बैंक तुर्की को सहायक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सहयोग बढ़ाने के क्रम में, अन्य के साथ–साथ ऋण–व्यवस्था स्थापना के रूप में सहयोग को और अधिक मजबूत करने की फोरम की तत्परता को प्रदर्शित करते हुए एक गैर–बाध्यकारी दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर इंडोनेशिया के उप वित्त मंत्री श्री मार्दियाज्मो की उपस्थिति में सभी प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने किए।

यह फोरम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए जानकारियों के आदान–प्रदान के लिए एक सुदृढ़ मंच भी प्रदान करता है। इसके जरिए सदस्य संस्थाओं के स्टाफ को वित्तपोषण, पूँजी बाजार, निर्यात से पूर्व वित्तपोषण, लघु, मध्यम उद्यमों को वित्तपोषण, पण्य वित्तपोषण, देश जोखिम, विदेशों में निवेश जैसे विविध क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियां सीखने में मदद

मिलती है। वर्ष के दौरान सदस्य संस्थाओं द्वारा दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और बैंक सहित विभिन्न संस्थाओं की इसमें बड़ी भागीदारी रही।

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी–नेक्ज़िड) की स्थापना एक्ज़िम बैंक की पहल पर अंकटाड के तत्त्वावधान में मार्च 2006 में जेनेवा में की गई थी। नेटवर्क ने विभिन्न विकासशील देशों के एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के सहयोग से दक्षिण–दक्षिण सहयोग तथा निवेश को बढ़ाने में अच्छा कार्य किया है। नेटवर्क ने 2016 में 'जी–नेक्ज़िडः दक्षिण–दक्षिण व्यापार, निवेश और सहयोग संवर्द्धन के 10 वर्ष' शीर्षक प्रकाशन के साथ अपनी स्थापना का पहला दशक मनाया।

विकास वित्त संस्थाओं का लैटिन अमेरिकी संघ

विकास वित्त संस्थाओं का लैटिन अमेरिकी संघ (एएलआईडीई), लैटिन अमेरिका के विकास बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तथा लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई (एलएसी) क्षेत्र में हित रखने वाली ऐसी ही समरूप संस्थाओं का संघ है। विकासात्मक सहयोग और सदस्यों के बीच अनुभवों के आदान–प्रदान, एलएसी क्षेत्र के विकास में भागीदारी को मजबूत करने, सूचनाओं के आपसी आदान–प्रदान, समान हित वाले विषयों पर शोध, व्यावसायिक लेन–देन को बढ़ावा देने, तकनीकी सहयोग तथा क्षेत्रीय एकीकरण में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के प्राथमिक उद्देश्य से स्थापित इस संघ के आज 90 से ज्यादा सदस्य हैं। एक्ज़िम बैंक एलएसी क्षेत्र में अपनी संस्थागत संबद्धताएं बढ़ाने के लिए फरवरी 2017 में इस संघ का सहायक सदस्य बना। इस सदस्यता से बैंक को क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय अवसरों संबंधी सूचना, अग्रणी एलएसी विकास वित्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ नेटवर्किंग, एएलआईडीई द्वारा प्रकाशित शोध और अध्ययनों तथा विकास बैंकों के परिचालन वाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में होने वाली विशिष्ट गतिविधियों में सहभागिता करने में मदद मिलेगी।

ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था

भारत को 2016 के लिए ब्रिक्स फोरम की अध्यक्षता मिली और भारत से मनोनीत विकास बैंक होने के नाते ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था की अध्यक्षता एक्ज़िम बैंक को मिली। बैंक ने ब्रिक्स की समग्र थीम 'उत्तरदायी, समावेशी और सामूहिक समाधान तैयार करना' पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। बैंक द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गएः ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए दो संपर्क कार्यक्रम; दो टेक्निकल ग्रुप बैठकें; दो कौशल विकास कार्यशालाएं; वैकल्पिक रेटिंग एजेंसी स्थापित करने के प्रस्तावों पर दो मंथन सत्र; उभरते बाजारों के लिए एक आर्थिक शोध संस्थान की स्थापना; और ब्रिक्स देशों के हस्तशिल्प कारीगरों के लिए एक्सचेंज कार्यक्रम।

ब्रिक्स सम्मेलन के हिस्से के रूप में बैंक ने 'ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं का निर्माणः विकास बैंकों और निर्यात ऋण एजेंसियों की सहयोगात्मक भूमिका' विषय पर एक सेमिनार

देश : कोत दि'वार

कार्यक्रम : राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण

मूल्य : 87.46 मिलियन यूएस डॉलर

उद्देश्य : कोत दि'वार के आर्थिक एवं वित्त मंत्रालय को टाटा मोटर्स लि., भारत से 500 बसों, 62 फ्लीट मेंटेनेंस सपोर्ट वाहनों, स्पेयर पार्ट्स एवं संबंधित सेवाओं की खरीद के लिए।

प्रभाव : यह बसें कोत दि'वार की जनता को सस्ती सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। आधुनिक तकनीक से लैस ये बसें ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारतीय क्षमता का परिचायक होंगी।

देश	:	संयुक्त राज्य अमेरिका
कार्यक्रम	:	विदेशी निवेश वित्त
मूल्य	:	40 मिलियन यूएस डॉलर
उद्देश्य	:	भारत से विंड टर्बाइन के निर्यात तथा यूएसए में विंड फार्म की स्थापना के वित्तपोषण के लिए सुज़लॉन ग्रुप को वित्तीय सहयोग प्रदान किया।
प्रभाव	:	हालांकि यूएसए में विंड टर्बाइन से भारी मात्रा में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होता है, किन्तु एक्ज़िम बैंक की सहायता से सुज़लॉन को विकसित देश में अपनी जगह बनाने में मदद मिली है।

का आयोजन किया। इसके साथ ही बैंक ने ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था की वार्षिक बैठक; ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था के सदस्य विकास बैंकों और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच एक चर्चापरक सत्र; और वार्षिक वित्तीय फोरम का भी आयोजन किया।

एक्ज़िम बैंक ने ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था के सदस्य विकास बैंकों के साथ-साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के साथ बहुपक्षीय सामान्य सहयोग करार किया। इस करार के जरिए ब्रिक्स विकास बैंकों और एनडीबी के बीच सूचनाओं, जानकारियों और अनुभवों के आदान-प्रदान; गारंटी और प्रति गारंटी देने; सह-वित्तपोषण; और बॉन्ड जारी करने पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इस करार पर गोवा में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन 2016 से इतर ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था की वार्षिक बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

अफ्रीका-इंडिया पार्टनरशिप डे

भारतीय एक्ज़िम बैंक अफ्रीकी विकास बैंक समूह (एएफडीबी) की वार्षिक बैठक के एक हिस्से के रूप में अफ्रीका-इंडिया पार्टनरशिप डे मनाता रहा है, जो 2013 में माराकेश से शुरू हुआ और फिर किगाली (2014), आबिदजान (2015) और लुसाका (2016) में मनाया गया। इंडिया-अफ्रीका पार्टनरशिप डे एएफडीबी समूह की वार्षिक बैठक का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। एक्ज़िम बैंक ने एएफडीबी समूह की वार्षिक बैठक के हिस्से के रूप में लुसाका, जांबिया में फिक्की के साथ मिलकर चौथे अफ्रीका-इंडिया पार्टनशिप डे का आयोजन किया। इस दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर भारत के अनुभव अफ्रीका के साथ साझा करने के उद्देश्य से आधे दिन का एक सेमिनार भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 25 भारतीय कंपनियों से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल लुसाका आया और अफ्रीकी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय विशेषज्ञता, कौशल तथा प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारियां साझा कीं। इस कार्यक्रम में अफ्रीकी देशों की सरकारों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों तथा अफ्रीका और भारत की विकास वित्त संस्थाओं, बैंकों, कॉर्पोरेट घरानों के सीईओ सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम भारत और अफ्रीका के बीच पारस्परिक भागीदारी को और मजबूती प्रदान करने की संभावनाएं दर्शाता है।

एशिया प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं का संघ

एशिया प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) की मकाऊ में आयोजित 40वीं वार्षिक बैठक के दौरान बैंक को उत्कृष्ट विकास परियोजना पुरस्कार (आउटस्टैंडिंग

देश	:	रवांडा
कार्यक्रम	:	क्रेता–ऋण
मूल्य	:	30 मिलियन यूएस डॉलर
उद्देश्य	:	यम्न लि. रवांडा एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) है, जिसकी स्थापना रवांडा में स्थानीय रुप से उपलब्ध पीट फायर्ड पॉवर परियोजना के विकास के लिए की गई है। शापूरजी पालोनजी जी एंड कं. लि. को इस पीट आधारित पॉवर प्लांट की ईपीसी संविदा प्राप्त हुई है।
प्रभाव	:	रवांडा में बिजली की कमी है। इस परियोजना से विद्युत उत्पादन क्षमता 2015 के लगभग 110 मेगावाट से बढ़कर 2019 में लगभग 190 मेगावाट तक होने की संभावना है तथा इससे 35-40 प्रतिशत कम लागत पर बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है। इस परियोजना से निर्माण के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों को और चालू होने के बाद 200 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है।

डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अवॉर्ड) 2017 प्रदान किया गया। एडफिएप विकास पुरस्कार उन सदस्य संस्थाओं को प्रदान किया जाता है, जिनके प्रयासों से संबद्ध देशों में वित्तपोषित योजनाओं से विकासात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ हो। एक्ज़िम बैंक द्वारा वर्ष 2017 का एडफिएप विकास पुरस्कार भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस), जयपुर को नेशनल डिसएबिलिटी इंस्टीट्यूट काबुल, अफगानिस्तान में स्थायी जयपुर फूट सेंटर स्थापित करने हेतु प्रदान किए गए सहयोग के लिए दिया गया। बैंक को अमेरिका में पवन ऊर्जा परियोजना को सहयोग प्रदान करने हेतु श्योर पॉवर एलएलसी के लिए एक वित्तपोषण उत्पाद विकसित करने के लिए 'व्यापार विकास' श्रेणी में एक मेरिट पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

एक्ज़िम बैंक की पहलें

ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार

भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था 2016 के अंतर्गत बैंक ने 'भारतीय एक्ज़िम बैंक ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार' की स्थापना की। इस पुरस्कार का उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य देशों से संबंधित समसामयिक विषयों पर केंद्रित शोध अध्ययनों को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र और ₹ 1.50 मिलियन की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार के लिए ब्रिक्स के पांचों सदस्य देशों के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2016 के लिए इस पुरस्कार के विजेता डॉ. जोआवो प्रेट्स रोमेरो रहे। उन्हें यह पुरस्कार 'तकनीकी प्रगति और संरचनात्मक परिवर्तनः आर्थिक वृद्धि में मांग और आपूर्ति की भूमिका' शीर्षक वाली उनकी डॉक्टोरल थीसिस के लिए दिया गया। डॉ. रोमेरो को 2015 में कैंब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री मिली।

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार

बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पुरस्कार (ईरा) की स्थापना 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार तथा विकास और संबद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार के अंतर्गत ₹ 0.35 मिलियन की राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2015 का यह पुरस्कार डॉ. चिन्मय तुम्बे को उनकी डॉक्टोरल थीसिस 'भारत में प्रवासन और प्रेषणः ऐतिहासिक, क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक आयाम' के लिए दिया गया। डॉ. तुम्बे को भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूरु से 2013 में डिग्री मिली थी।

व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार

एक्ज़िम बैंक और कंफेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) द्वारा 'सी आई आई–एक्ज़िम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार' की स्थापना 1994 में भारतीय कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों (टीक्यूएम) को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट (ईएफक्यूएम) मॉडल पर आधारित है। यह वार्षिक पुरस्कार काफी प्रतिष्ठित है तथा उद्योग जगत में इसकी मान्यता है। किसी कंपनी को यह पुरस्कार पारदर्शी एवं कड़ी परीक्षण प्रक्रिया के बाद ईएफक्यूएम मॉडल पर प्रदान किया जाता है। 2016 में 19 कंपनियों को अलग–अलग स्तरों पर पुरस्कृत किया गया। बोश लिमिटेड, डीजल सिस्टम्स बिजनेस – जयपुर प्लांट; नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड; गोदरेज इंटीरियो डिविजन, गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड; और भिलाई स्टील संयंत्र, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सीआईआई–एक्ज़िम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार की विजेता रहीं।

स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान

एक्ज़िम बैंक स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान माला की शुरुआत 1986 में की गई थी। इस व्याख्यान माला को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले समसामयिक व्यापार और विकास मुद्दों पर बहस तथा चर्चा के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में ख्याति प्राप्त है। वर्ष 2017 के लिए यह व्याख्यान कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, यूएसए में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के जॉर्ज सी. पार्डी और हेलेन एन. पार्डी उपाधि प्राप्त प्रोफेसर बैरी आयकनग्रीन ने दिया। उनके व्याख्यान का विषय था पूँजी प्रवाहः हम क्या जानते हैं?

निर्यात संवर्द्धन के लिए राज्यों को एक्ज़िम बैंक द्वारा सहयोग

देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के वित्तपोषण, सुगमीकरण और संवर्द्धन के लिए स्थापित देश की शीर्ष निर्यात वित्त संस्था होने के नाते एक्ज़िम बैंक देश के राज्यों से निर्यात बढ़ाने तथा क्षेत्रीय उद्यमियों को विदेशों में व्यापार अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बैंक ने राजस्थान सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने 'राजस्थान से निर्यातों को बढ़ावाः रणनीति एवं नीतिगत परिदृश्य' और 'आंध्र प्रदेश से निर्यातों को बढ़ाने की संभाव्यता' नामक दो शोध अध्ययन प्रकाशित किए। इनमें राज्य में परंपरागत रूप से मजबूत उद्योगों का विशिष्ट रूप से उल्लेख करते हुए उनकी चुनौतियों और समाधानों पर विचार किया गया। एक्ज़िम बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 'पश्चिम बंगाल की निर्यात रणनीति' शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। इसके साथ ही बैंक के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय में एक निर्यात सुगमीकरण केंद्र भी शुरू किया गया।

देश : यूनाइटेड किंगडम

कार्यक्रम : विदेशी निवेश वित्त

मूल्य : 4.60 मिलियन जीबीपी

उद्देश्य : ब्रेनटैग कलर्स लिमिटेड, यूके के पेपर कलर डिविजन की आस्तियों के वाटरसाइड कलर्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण के लिए। यह भारतीय कंपनी सिद्धार्थ कलरकेम प्राइवेट लिमिटेड की अनुषंगी है और एचएएलआईएफएएक्स, पश्चिम योर्कशायर, यूके में स्थित है।

प्रभाव : एक्ज़िम बैंक ने भारतीय कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी एवं मशीनरी प्राप्त करने तथा यूके के विकसित बाजारों में अपनी पहुंच बनाने में मदद की है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सुगमीकरण

एक्ज़िम बैंक ने एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर 'एशियाई विकास बैंक परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय अवसर' विषय पर नई दिल्ली में एक चर्चापरक सत्र का आयोजन किया।

एक्ज़िम बैंक ने सेंटर फॉर एडवांस्ड फायनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग के साथ मिलकर मुंबई में ब्रिक्स देशों के विकास बैंकों के लिए कौशल विकास और उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया।

मेजर जनरल श्री अनुज माथुर और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक श्री वी.एस. कौमुदी ने एक्ज़िम मित्र पोर्टल लॉन्च किया। एक्ज़िम बैंक का यह पोर्टल निर्यातकों और आयातकों के लिए सभी जरूरी सूचनाएं एक जगह मुहैया कराता है। इसे एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर और उप प्रबंध निदेशकों श्री डेविड रस्कीना तथा श्री देबाशिस मल्लिक की उपस्थिति में लॉन्च किया गया।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के जॉर्ज सी. पार्डी और हेलेन एन. पार्डी उपाधि प्राप्त प्रोफेसर बैरी आयकनग्रीन ने एक्ज़िम बैंक का 32वां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान दिया। तस्वीर में साथ हैं – कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री एस.एस.मूंदड़ा, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा श्री डेविड रस्कीना, प्रबंध निदेशक एवं श्री देबाशिस मल्लिक, उप प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सुगमीकरण

एक्ज़िम बैंक का अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक (ईरा) पुरस्कार 2015 डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा डॉ. चिन्मय तुम्बे को दिया गया। इस दौरान श्री यदुवेन्द्र माथुर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक और श्री डेविड रस्कीना, उप प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक भी उपस्थित रहे।

एक्ज़िम बैंक द्वारा संस्थापित ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार ब्राजील के जोआवो प्रेट्स रोमेरो को मिला। इस पुरस्कार का यह पहला वर्ष था। उन्हें यह पुरस्कार 'तकनीकी प्रगति और संरचनात्मक परिवर्तनः आर्थिक वृद्धि में मांग और आपूर्ति की भूमिका' शीर्षक वाले शोध के लिए दिया गया। यह पुरस्कार श्री शक्तिकांत दास, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया।

एक्ज़िम बैंक द्वारा भारतीय कंपनियों के लिए अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष डॉ. अकिनूमी एडिसिना के साथ नई दिल्ली में चर्चापरक सत्र आयोजित किया गया।

एक्ज़िम बैंक द्वारा कोलकाता में परियोजना निर्यातों पर स्टेकहोल्डरों का सेमिनार आयोजित किया गया।

संस्थागत संबद्धताएं: विकास का सेतु

एक्ज़िम बैंक ने निर्यात–आयात बैंकों और विकास वित्तीय संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी–नेक्ज़िड) के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की।

गोवा में आयोजित ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था की वार्षिक बैठक के दौरान ब्रिक्स विकास बैंकों के प्रमुख।

एक्ज़िम बैंक ने 12वीं सीआईआई–एक्ज़िम बैंक इंडिया–अफ्रीका कॉन्क्लेव का नई दिल्ली में आयोजन किया।

संस्थागत संबद्धताएं: विकास का सेतु

एक्ज़िम बैंक लैटिन अमेरिका की विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एलीडे) का सदस्य बना।

एक्ज़िम बैंक ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित एशियाई एक्ज़िम बैंक फोरम की 22वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया।

एक्ज़िम बैंक ने दिसंबर 2016 में जेनेवा में आयोजित जी–नेक्ज़िड की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। इसमें ओईसीडी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र और अंकटाड ने भी हिस्सा लिया।

मानव शक्ति संवर्द्धन

एक्ज़िम बैंक के कर्मचारियों ने 'स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथॉन' के दौरान अंगदान की मुहिम को बढ़ाने में योगदान किया।

एक्ज़िम बैंक द्वारा हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान हिन्दी सिनेमा पर आधारित एक संगीत संध्या का आयोजन किया गया।

एक्ज़िम बैंक के कर्मचारियों द्वारा 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' मनाया गया।

एक्ज़िम बैंक द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 100 से अधिक कर्मचारियों ने रक्तदान किया।

व्यवसाय परिचालन

एक्ज़िम बैंक

संस्थागत ढांचा

मानव संसाधन प्रबंधन

यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 340 थी, जिनमें प्रबंधन स्नातक, सनदी लेखाकार, बैंकर, अर्थशास्त्री, विधि, पुस्तकालय एवं प्रलेखीकरण विशेषज्ञ, इंजीनियर, भाषा विशेषज्ञ, मानव संसाधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल हैं। इन 290 प्रोफेशनल स्टाफ सदस्यों की सहायता कुशल और प्रतिबद्ध प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है। बैंक एक 'लर्निंग संस्था' है, जो अपने अधिकारियों के कौशलों का निरंतर उन्नयन करने के लिए विभिन्न सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। अधिकारियों को उनके कौशल विकास के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के 258 अधिकारियों ने बैंक परिचालनों से संबंधित विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में कार्यशील पूँजी प्रबंधन एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, प्रोजेक्ट प्लानिंग, परियोजना निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली, व्यापार वित्त, ऋण जोखिम, रुपया संसाधन, संप्रेषण कौशल तथा सांगठनिक कौशल के लिए नेतृत्व विकास आदि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित 38 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 70 प्रतिशत अधिकारियों को नामित किया गया था। इसके अलावा आंतरिक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कौशल विकास कार्यशाला, प्रस्तुति कौशल, एक्ज़िम बैंक के कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विकासात्मक प्रभाव, शीर्ष कार्यपालकों के लिए कोर एडवांस्ड मैक्रो–इकनॉमिक कोर्स, फ्रेंच और स्पैनिश जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण, नए भर्ती हुए अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम, प्रभावी संप्रेषण कौशल प्रशिक्षण, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की आधारभूत अवधारणाएं जैसे विषयों पर 10 सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक की सेवा में कुल 340 कर्मचारियों में से 33 अनुसूचित जाति, 22 अनुसूचित जन–जाति और 48 अन्य पिछड़ा वर्ग से तथा 10 दिव्यांग श्रेणी से हैं। बैंक ने इन स्टाफ सदस्यों को सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक संप्रेषण कौशल संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैंक ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एनईआरआईएसटी), अरुणाचल प्रदेश; के अनुसूचित जाति और जन–जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना जारी रखा है। बैंक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) यूनिवर्सिटी, ओडिशा; भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली; दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं नई दिल्ली के आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां देता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति

इस अधिनियम के अनुपालन में बैंक ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। बैंक अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है और इसके लिए अपने कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य–स्थल प्रदान करता है। वर्ष के दौरान कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

ट्रेजरी

बैंक की एकीकृत ट्रेजरी अतिरिक्त निधियों के निवेश, मुद्रा बाजार तथा फॉरेक्स परिचालनों तथा सिक्यूरिटीज की खरीद–बिक्री सहित निधि प्रबंधन का कार्य देखती है। बैंक

देश : फ्रांस
कार्यक्रम : विदेशी निवेश वित्त
मूल्य : 12 मिलियन यूएस डॉलर
उद्देश्य : ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लि. की विदेशी अनुषंगी ह्यूरॉन ग्रैफेन्टैडेन एस.ए.एस., फ्रांस की दीर्घावधि कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के लिए आंशिक वित्तपोषण।
प्रभाव : भारतीय कंपनी को प्रौद्योगिकी अंतरण का फायदा मिला तथा उसे यूरोपीय संघ जैसे विकसित बाजार में पहुंच बनाने में मदद मिली।

ने फ्रंट, मिडल तथा बैक ऑफिस कार्यों को अलग किया है और एक आधुनिकतम डीलिंग रूम स्थापित किया है। बैंक की ट्रेजरी अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे विदेशी मुद्रा सौदे, निर्यात दस्तावेज़ों की वसूली/परक्रामण, अंतरदेशीय/विदेशी साख-पत्र/गारंटियां जारी करना तथा संरचित ऋण आदि प्रदान करती है। बैंक अपने बाजार जोखिमों तथा तुलन पत्र जोखिमों को कम करने तथा न्यून लागत पर निधियां जुटाने के लिए वित्तीय व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) संव्यवहारों का भी उपयोग करता है। बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इंफिनेट) का एक सदस्य है तथा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीआरबीटी) से रजिस्ट्रेशन ऑथरिटी भी प्राप्त है। बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के निगोशिएटेड डीलिग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट के माध्यम से सौदा करने के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त है, जो भारत सरकार की प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का एक मंच प्रदान करता है। बैंक की प्रतिभूतियां तथा विदेशी मुद्रा लेन-देन मुख्यतः भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा प्रदान की गई गारंटित निपटान सुविधा के जरिए किये जाते हैं। बैंक सीसीआईएल के अनुषंगी लेन-देन दायित्व खंड (सीबीएलओ) का भी एक सक्रिय सदस्य है। बैंक सीसीआईएल के रेपो डीलिंग सिस्टम, क्लियर कॉर्प ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) का भी सदस्य है। यह सीसीआईएल द्वारा शुरू किया गया प्रत्यक्ष ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म है, जो सभी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों की मार्केट में खरीद बिक्री में T+0/T+1 आधार पर सहायता प्रदान करता है। सीसीआईएल सभी सीआरओएमएस की केंद्रीय काउंटरपार्टी के रूप काम करती है और उसके द्वारा सभी निपटानों की गारंटी दी जाती है। बैंक ने लंदन शाखा से कनेक्टिविटी के साथ केन्द्रीकृत स्विफ्ट सुविधा कार्यान्वित की है जो 'मल्टिपल बैंक आइडेंटिफायर कोड्स' को संभालने में सक्षम है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने में अपने प्रयासों को जारी रखा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों के अनुपालन में परिपत्र, प्रेस-विज्ञप्तियां, सूचनाएं एवं रिपोर्टें द्विभाषिक रूप में जारी की गई हैं। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुपालन में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए हैं।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया तथा विभिन्न मानदंडों पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य-योजना तैयार की गई। बैंक के अधिकारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित करने के लिए लक्ष्य के अनुसार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। यूनीकोड फॉन्ट के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया तथा कम्प्यूटरों पर इसके प्रयोग हेतु अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बैंक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक)/राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/वित्तीय सेवाएं विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सक्रियता से भाग लिया तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित किया।

अधिकारियों को हिन्दी सीखने और अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू प्रोत्साहन योजना को वर्ष के दौरान संशोधित किया गया। योजना में नई प्रोत्साहन श्रेणियां जोड़ी गईं और पुरस्कारों की संख्या तथा पुरस्कार राशि भी बढ़ाई गई। बैंक की गृह पत्रिका एक्ज़िमिअस में सर्वश्रेष्ठ हिन्दी रचनाओं के लिए पुरस्कार दिए गए। अधिकारियों की हिन्दी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को चिह्नित किया गया और उन्हें हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान तथा प्रवीणता प्राप्त करने के लिए हिन्दी शिक्षण हेतु नामित किया गया। सरकार के निदेशों के अनुकरण में बैंक में 14 सितंबर, 2016 से हिन्दी पखवाड़ा भी मनाया गया।

बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। बैंक के व्यवसाय और परिचालन संबंधी सूचना व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी वेबसाइट पर उपलब्ध है और अपडेट की गई है। एक्ज़िम बैंक का नवीनतम पोर्टल 'एक्ज़िम मित्र' भी हिन्दी-अंग्रेजी में साथ-साथ लॉन्च किया गया।

बैंक के परिचालनों एवं प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद के अलावा बैंक के त्रैमासिक प्रकाशन 'एक्ज़िमिअसः एक्सपोर्ट एडवांटेज़' के सभी अंकों का हिन्दी रूपांतरण 'एक्ज़िमिअसः निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया। बैंक के एक द्विमासिक प्रकाशन 'एग्री एक्सपोर्ट एडवांटेज़' के अंकों को भी हिन्दी में 'कृषि निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया। हिन्दी तथा अंग्रेजी के अलावा इसे 10 अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग विषयक सरकार की नीति के अनुसार बैंक के पुस्तकालय (ज्ञान केंद्र) को विदेश व्यापार, वाणिज्य, वित्तपोषण, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य विषयों पर नई पुस्तकों से समृद्ध बनाया गया। राजभाषा विभाग, गृह

देश	:	यूनाइटेड किंगडम
कार्यक्रम	:	विदेशी निवेश वित्त
मूल्य	:	10 मिलियन जीबीपी
उद्देश्य	:	अकॉर्ड हेल्थकेयर लि. (एएचएल) द्वारा एक्टाविस यूके लि. एवं एक्टाविस आयरलैंड लि. के अधिग्रहण हेतु आंशिक वित्तपोषण।
प्रभाव	:	दो संस्थाओं के साथ मिलने से एएचएल यूके तथा आयरलैंड में जेनरिक दवाओं की सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता तथा यूरोपीय स्तर पर एक प्रमुख कंपनी बन जाएगी।

मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित टॉलिक, मुंबई और महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा) ने बैंक के प्रधान कार्यालय को हिन्दी में सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए सभी वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित टॉलिक, हैदराबाद ने बैंक के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय को हिन्दी में सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए सभी वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया।

बैंक की गृह पत्रिका 'एक्ज़िमिअस' को 32 प्रतिभागी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की द्विभाषिक पत्रिका श्रेणी में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगातार सातवीं बार पुरस्कृत किया गया। बैंक के स्टाफ सदस्यों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते। बैंक की गृह पत्रिका एक्ज़िमिअस को गृह पत्रिका श्रेणी में एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) से रजत ट्रॉफी और पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई) से दूसरा पुरस्कार मिला।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने बैंक के कोलकाता, चेन्नै और नई दिल्ली कार्यालयों का निरीक्षण किया और बैंक में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की समीक्षा की। समिति के सुझावों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी

विभिन्न घटकों के बीच सूचना के बेहतर प्रसार और प्रयोक्ता तथा प्रणाली क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बैंक ने ज्ञान प्रबंधन, संचार उपकरणों को उन्नत करना जारी रखा है। परिचालन व्यवसाय आसूचना, बैंक व्यापी सिस्टम; प्रलेखन प्रबंधन एवं कार्य प्रवाह; नेटवर्क; ढांचागत सुविधा तथा सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रणालियों को सक्षम बनाया गया है तथा उनका उन्नयन किया गया है। बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरुप अपने परिचालन एवं प्रक्रियाओं को मजबूत किया है। बैंक की रिवैम्प की गई कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.eximbankindia.in) ने बैंक में किए गए विभिन्न शोध कार्य–कलापों, व्यावसायिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार अग्रताओं पर सूचना का व्यवस्थित ढंग से प्रचार–प्रसार करना जारी रखा है। इसके अलावा, इस पर बैंक के विभिन्न ऋण कार्यक्रमों तथा सूचना एवं सलाहकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध है। बैंक एशियाई एक्ज़िम बैंक्स फोरम की वेबसाइट का भी प्रबंधन करता है। वर्ष के दौरान ब्रिक्स की अध्यक्षता के एक हिस्से के रूप में बैंक ने ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था पर एक नया पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का उद्देश्य ब्रिक्स के सदस्य विकास बैंकों और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच सूचनाएं साझा करते हुए बेहतर सहयोग का मार्ग प्रशस्त करना है। बैंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, फायरवाल और बैकअप सॉल्यूशन से अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी उन्नत किया है। एक्ज़िम बैंक आरटीजीएस/एनईएफटी का प्रयोग करते हुए भुगतानों एवं निपटानों को अब स्वतंत्र रूप से संभाल रहा है। शेयरपॉइंट पोर्टल बैंक की आंतरिक प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन में मददगार है।

कॉर्पोरेट सुशासन

एक्ज़िम बैंक अपने सभी प्रकार के संप्रेषणों के संबंध में पूरी पारदर्शिता तथा ईमानदारी बरतता है और सभी संबंधी पार्टियों को पूर्ण, सही और स्पष्ट सूचना प्रदान करना सुनिश्चित करता है। बैंक कॉर्पोरेट सुशासन की उत्कृष्ट पद्धतियों के अनुपालन

के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए सदैव तत्पर रहता है। इस पर समुचित नियंत्रण के लिए बैंक ने एक व्यवस्था विकसित की है तथा इसकी उपादेयता की निरंतर समीक्षा करता रहता है। व्यवसाय/वित्तीय निष्पादन से संबंधित मामले, विश्लेषण आंकड़े/सूचना आदि को निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसी) को समीक्षा के लिए आवधिक आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। सभी कानूनों, विनियमों तथा अन्य प्रक्रियाओं, भारत सरकार/रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियमों के पालन के संबंध में बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक अनुपालन नीति है और एक वरिष्ठ अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में उत्तरदायी बनाया गया है, जो किसी भी प्रकार के विचलन को लेखा परीक्षा समिति (एसी) को रिपोर्ट करता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की पांच बैठकें तथा प्रबंधन समिति की सात बैठकें आयोजित की गई।

लेखा परीक्षा समिति

बैंक की लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्यों की देख-रेख करना तथा उसे मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि प्रबंधन के एक माध्यम के रूप में उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो और वह सांविधिक/बाहरी/आंतरिक/संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाये गये सभी मुद्दों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे। निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरणों की जांच लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है। इसके साथ ही लेखा परीक्षा समिति आवधिक आधार पर बैंक की निधि प्रबंधन समिति तथा आस्ति-देयता समिति की भी समीक्षा करती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की पांच बैठकें हुई।

जोखिम प्रबंधन

बैंक में एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति (आईआरएमसी) गठित है जो परिचालन समूहों से स्वतंत्र है और यह सीधे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति (आईआरएमसी) विभिन्न जोखिमों (ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों), निवेश नीतियों तथा उनसे संबंधित विनियामक एवं अनुपालन मुद्दों के बारे में बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को), निधि प्रबंधन समिति (एफएमसी) तथा ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के परिचालनों की देख-रेख करती है, जिनमें से सभी में क्रॉस-फंक्शनल प्रतिनिधित्व होते हैं। जहां आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक में आस्ति-देयता प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को देखती है और बैंक के समग्र बाजार जोखिम (चलनिधि, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम) का विश्लेषण करती है वहीं ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), ऋण-नीति और प्रक्रियाओं की देखरेख और बैंक के ऋण जोखिमों का विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है। बैंक के पास आस्ति गुणवत्ता और ऋण समीक्षा में सुधार के लिए आधुनिक ऋण जोखिम प्रबंधन मॉडल (सीआरएम) है जिससे (गुणवत्ता तथा मात्रात्मक पैरामीटरों/उपायों की व्यापक श्रेणी के जरिए) बैंक को बेहतर ऋण मूल्यांकन निर्णय लेने तथा उत्कृष्ट पोर्टफोलियो प्रबंधन क्षमता में मदद मिलती है। संबंधित प्रस्तावों के लिए ऋण अधिकारियों द्वारा दी गई रेटिंग की समीक्षा स्वतंत्र रूप से एक रेटिंग समिति द्वारा की जाती है। बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालनगत जोखिम नीति लागू है। परिचालनगत जोखिम कार्यक्रम (ओआरई) बैंक की कार्यकारी समिति द्वारा चिह्नित होते हैं और वार्षिक रूप से उनकी समीक्षा की जाती है। बैंक स्वतंत्र निगरानी और परिचालनगत जोखिम कार्यक्रम होने पर आईआरएमसी को तिमाही आधार पर डाटा की नियमित रिपोर्टिंग के लिए एक बाहरी लेखा परीक्षा फर्म के साथ भी काम करता है। व्यवसाय निरंतरता तथा आकस्मिकता प्रबंधन (बीसीडीआरपी) के लिए बैंक अपने हर कार्यालय की समेकित वार्षिक समीक्षा करता है। व्यवसाय निरंतरता बनाए रखने तथा जोखिमों के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से प्रत्येक कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जाती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीसीडीआरपी की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

एल्को की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक/बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं की तुलना में बैंक की मुद्रावार संरचनात्मक नकदी तथा ब्याज दर संवेदनशीलता की स्थितियों की समीक्षा करना, नकदी प्रवाहों के आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों की निगरानी करना और एक उपयुक्त एएलएम रणनीति तैयार करना शामिल है। मुद्राओं की उपलब्धता में कमी का आकलन करने के लिए समय-समय पर योजनाएं तैयार की गईं। जोखिम पर मूल्य की गणना, भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बैंक की ट्रेडिंग के लिए रोके गए तथा बिक्री के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के लिए की गई है। निधि प्रबंधन समिति (एफएमसी) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बोर्ड द्वारा अनुमोदित निधि प्रबंधन/संसाधन योजना के अनुसार निवेशों/विनिवेशों तथा संसाधन जुटाने पर निर्णय लेती है और वर्ष के दौरान समिति ने इसकी समीक्षा की। एल्को बैंक की दीर्घकालिक न्यूनतम उधार दर (एलटीएमएलआर) एवं भारतीय रुपए में मध्यम/लंबी अवधि

की फ्लोटिंग दर निर्धारण में प्रयुक्त होने वाली बेंचमार्क दर को भी अनुमोदित करती है, जो बैंक की वेबसाइट पर भी डाली जाती है।

ऋण निगरानी समूह

दबावग्रस्त ऋण आस्तियों की बेहतर निगरानी तथा अनर्जक आस्तियों में रिकवरी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक में ऋण प्रशासन समूह (एलएजी) कार्यरत है। ऋण प्रशासन समूह बोर्ड अनुमोदित वसूली नीति के जरिए अनर्जक आस्तियों की वसूली सुनिश्चित करता है और नए स्लिपेज को रोकने सहित जिन अनर्जक आस्तियों को व्यवहार्य बनाया जा सकता हैं उन्हें अर्जक आस्ति श्रेणी में लाने हेतु उनका पुनर्वास करता है। एलएजी ऐसे अनर्जक खातों से रिकवरी पर भी फोकस करता है जहां कानूनी कार्रवाई की जानी है। ऋण खातों के एबीसी वर्गीकरण (क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन की मॉनिटरिंग सहित) की एक प्रणाली विद्यमान है। बैंक में अलग–अलग समितियों द्वारा अतिदेय व अनर्जक आस्तियों की मासिक समीक्षा की जाती है। बैंक पुनर्संरचना (एसडीआर, एस4ए, 5:25, द्विपक्षीय पुनर्संरचना, सीडीआर/जेएलएफ के अंतर्गत पुनर्संरचना आदि) को मिलाकर एक बहुआयामी रणनीति के जरिए अनर्जक आस्तियों की वसूली को उच्च प्राथमिकता देता है। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई, कोर्ट रिसीवर के जरिए आस्तियों की बिक्री, वार्ताओं के जरिए वसूली, एक बार में ही निपटान, आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम और दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत आस्तियों का कब्जा लेकर भी वसूली की जाती है।

सभी निपटान प्रस्तावों की जांच करने तथा इन्हें आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी)/अन्य को अंतरित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विधि तथा बैंकिंग के क्षेत्रों में गहन अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से युक्त एक स्वतंत्र जांच समिति गठित है।

बैंक में केवाईसी, एएमएल और सीएफटी उपाय

बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानकों, धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति है।

बैंक ने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धनशोधन निवारण (एएमएल) तथा धनशोधन निषेध (सीएफटी) नीतियां अपनाई हैं। केवाईसी, एएमएल तथा पीएमएल नीतियों में शामिल हैं – ग्राहक स्वीकार्यता नीति, ग्राहक पहचान प्रक्रिया, संव्यवहारों की निगरानी और जोखिम प्रबंधन।

बैंक द्वारा बैंकरों के एक्युटी डेटाबेस को भी एक्सेस किया जाता है जो विश्व के प्रमुख बिजनेस पब्लिशर्स, रीड बिजनेस इंफोर्मेशन, जो रीड एल्सीवियर समूह की इकाई है, की एक ऑनलाइन डेटाबेस सेवा है। यह बैंकरों के लिए अनुपालन डेटाबेस है। अद्यतित एक्युटी डेटाबेस काफी व्यापक है और इसमें विश्व के सभी प्रमुख बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा वित्तीय नियामकों द्वारा जारी चेतावनी सूचियों का समावेश है। बैंक के सभी ग्राहकों को न्यूनतम केवाईसी अपेक्षाओं के अधीन लाया जाता है। इससे स्वाभाविक व्यक्ति/कानूनी व्यक्ति तथा 'लाभकर्ता स्वामित्व' की पहचान में मदद मिलती है। केवाईसी नीतियां तथा प्रक्रियाएं सावधि जमा खाता धारकों, प्रतिनिधि बैंकों, नए स्टाफ की भर्ती तथा ट्रेजरी संव्यवहारों से संबंधित प्रतिपक्षी पार्टियों पर भी लागू की जाती हैं। केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के संबंध में बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय व्यवहार के अनुरूप वोल्फ्सबर्ग ग्रुप एएमएल प्रश्नावली के माध्यम से अन्य बैंकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं तथा तरीकों के अनुसार कतिपय संव्यवहारों के बारे में रिकार्ड/सूचना भी रखता है तथा यह रिकार्ड, संव्यवहार की तारीख से दस वर्षों तक सुरक्षित रखे जाते हैं। बैंक ने केवाईसी, एएमएल तथा सीएफटी के उपायों के अनुपालन के लिए एक मुख्य अधिकारी भी नियुक्त किया है। केवाईसी, एएमएल तथा सीएफटी नीति को बैंक की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

ऋणदाताओं के लिए आचार संहिता

ऋणदाताओं के लिए आचार संहिता बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप ऋणदाताओं के लिए उचित आचार संहिता विद्यमान है, जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। इस नीति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष की जाती है। ऋणदाताओं के लिए आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर अपलोड है।

पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) फ्रेमवर्क

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन नीति' लागू है। आईबीए ने दिशानिर्देशों के सिद्धांत 2 अर्थात ग्रहण मूल्यांकन प्रक्रिया में ईएसजी आधारित जोखिम विश्लेषण को शामिल करने के साथ–साथ सिद्धांत 4 अर्थात ग्रीन फायनेंस के नए तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हरित निवेश की दिशा में आगे बढ़ने के एक्ज़िम बैंक के प्रयासों की सराहना की है। एक्ज़िम बैंक, बैंकों के लिए संपोषी फ्रेमवर्क

पर भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की अगुआई वाले मंच का भी सदस्य है।

जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। बैंक अपने विभिन्न वित्तपोषण कार्यक्रमों के जरिए भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपोषी बैंकिंग को बढ़ावा दे रहा है। बैंक अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कचरा प्रबंधन, जन परिवहन और ऊर्जा दक्ष परिवहन जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है। बैंक अपनी ग्रिड पहलों के जरिए समावेशी विकास को भी बढ़ावा दे रहा है।

बैंक ईएसजी संबंधी मानकों के लिए अपने आंतरिक परिचालनों की भी समीक्षा कर रहा है। बैंक ने ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल ऑडिट के साथ-साथ अन्य उपाय भी किए हैं। बैंक बैठकों की कार्यसूची ऑनलाइन भेजने के साथ-साथ ई-ग्रीटिंग; और विभिन्न अवसरों एवं समारोहों के लिए ई-आमंत्रण पत्रों के माध्यम से कागज के प्रयोग को घटा रहा है। बैंक ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर इनडोर प्लांट्स का वितरण कर अपने 'गो ग्रीन' प्रयासों को बढ़ावा दिया।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित अनुसार एक्ज़िम बैंक एक लोक प्राधिकरण है। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय नागरिक सूचना प्राप्त करने के लिए बैंक के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारियों को अपने आवेदन भेज सकते हैं। इनके पते बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक को कुल 113 आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं (58 ऑनलाइन तथा 55 हॉर्डकॉपी में जिनमें एक्ज़िम बैंक को अंतरित किए गए मामले शामिल हैं) तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उनके 30 दिनों के अंदर जवाब भी भेज दिए गए हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने आरटीआई वार्षिक रिटर्न भी फाइल किया है (निर्देशानुसार इसे तिमाही आधार पर www.rtiar.nic.in पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया है)।

संयुक्त उपक्रम

भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा स्थापित ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टैंट्स लि. (जीपीसीएल) एक्ज़िम बैंक तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली 11 अन्य प्रतिष्ठित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक संयुक्त उपक्रम है जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। जीपीसीएल एक नवोन्मेषी संकल्पना थी जिसकी स्थापना कृषि, ऊर्जा, उद्योग, खनन, परिवहन, जल संसाधन आदि क्षेत्रों से जुड़ी अग्रणी कंपनियों की भागीदारी में की गई थी। जीपीसीएल ने गत वर्ष अपनी प्रोक्योरमेंट सेवाओं के दायरे को बढ़ाया है जिनमें ई-प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन परियोजना की पहचान करना, पूर्व व्यवहार्य अध्ययन, रिपोर्टों को तैयार और उनका मूल्यांकन करना, ऋणदाता इंजीनियर के रूप में काम करना, परियोजना का ड्यू डिलीजेंस करना, परियोजना की निगरानी करना, मूल्यांकन, क्षमता निर्माण तथा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋण एजेंसियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना शामिल है। कंपनी ने ₹ 14.93 मिलियन के कर पूर्व लाभ के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 59.48 मिलियन की आय दर्ज की है।

बैंक ने अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी), भारतीय स्टेट बैंक तथा आईएल एंड एफएस के साथ मिलकर अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक परियोजना विकास कंपनी चालू की है जिसे कुकुजा परियोजना विकास कंपनी (कुकुजा पीडीसी) नाम दिया गया है। कंपनी की प्रारंभिक पूँजी 25 मिलियन यूएस डॉलर है तथा उस पूँजी में बैंक का शेयर 4.88 मिलियन यूएस डॉलर है। कंपनी मॉरीशस में पंजीकृत है। अफ्रीका की कुछ परियोजनाओं पर पीडीसी द्वारा पहले से ही विचार किया जा रहा है तथा पीडीसी अपना औपचारिक परिचालन वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारंभ करेगी।

बैंक वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सरकार की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत मिलकर कार्य कर रहा है। बैंक कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार एवं वियतनाम (सीएलएमवी) में भारतीय निवेशों को बढ़ावा देने के लिए शुरूआती स्तर पर ₹ 5 बिलियन से गठित परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) के अंतर्गत एक एम्पावर्ड संस्था है तथा इसने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान की है जिसके आधार पर चिह्नित परियोजनाओं को चालू करने के लिए क्षेत्र में विशेष निधियों (एसपीवी) की स्थापना की जाएगी।

पुरस्कार एवं सामाजिक दायित्व

एक्ज़िम बैंक को पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आंतरिक पत्रिका और ग्रासरूट पहलों के लिए तीन पुरस्कार मिले।

एक्ज़िम बैंक को एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया से आंतरिक पत्रिका और कॉर्पोरेट फिल्म के लिए दो पुरस्कार मिले।

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर ने अफगानिस्तान के 1000 दिव्यांगों (एम्प्युटी) के लिए नेशनल डिसएबिलिटी इंस्टीट्यूट–काबुल (एनडीआई) को सामानों तथा उपकरणों को भेजते हुए। बैंक ने नेशनल डिसएबिलिटी इंस्टीट्यूट काबुल, अफगानिस्तान में स्थाई जयपुर फूट सेंटर की स्थापना के लिए भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस), जयपुर को सहायता प्रदान की है। बीएमवीएसएस जयपुर फूट की पैतृक कंपनी है जहां विश्व में सबसे ज्यादा कृत्रिम पैर/जोड़ों का उपयोग किया जाता है।

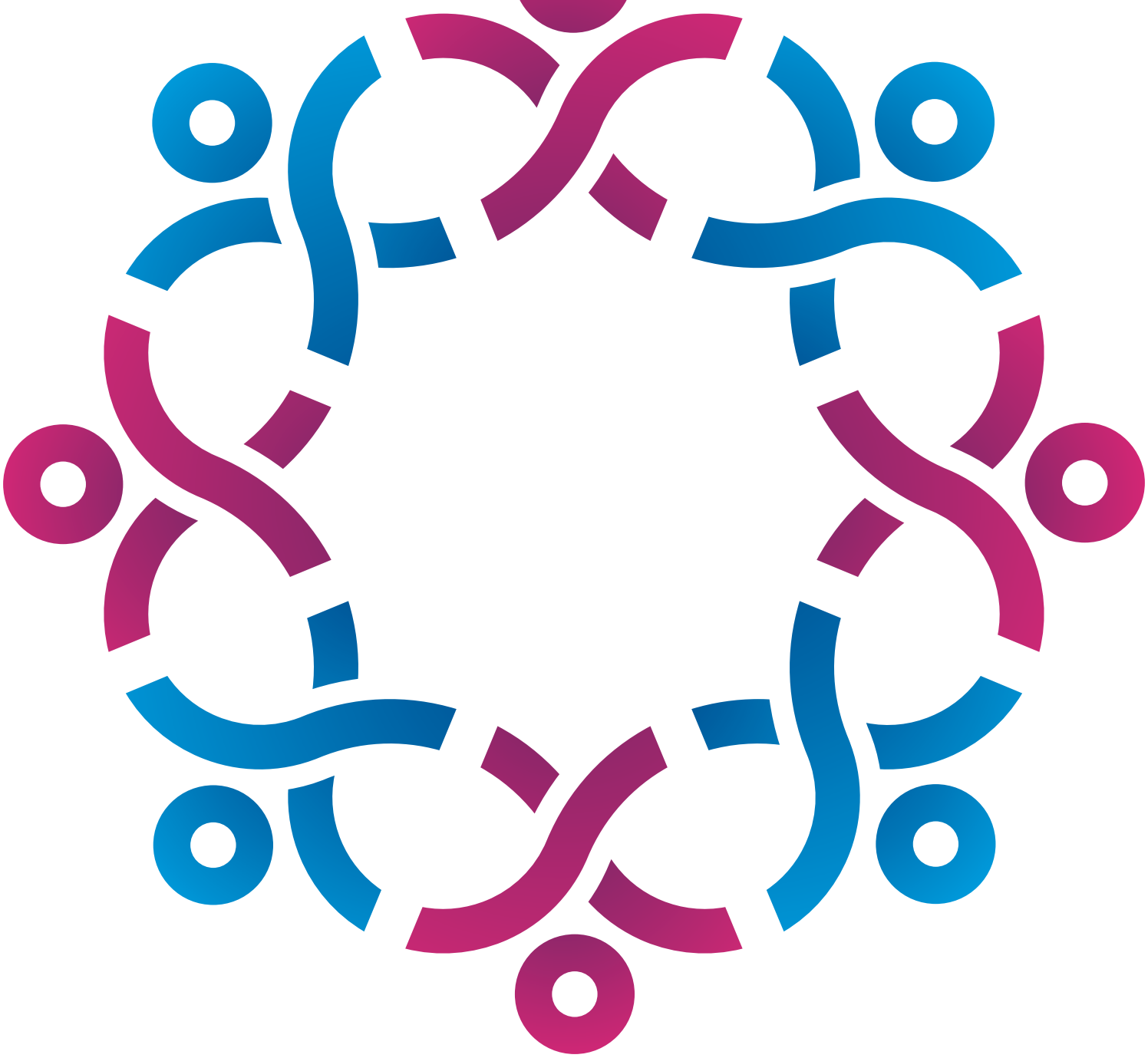

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय निर्यात–आयात बैंक (बैंक) की सामान्य निधि के संलग्न 31 मार्च, 2017 के तुलन–पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की सामान्य निधि के लाभ और हानि लेखे एवं समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी तथा लेखा नीतियों एवं अन्य विवरणात्मक आंकड़ों की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेवारी

2. बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम 1981 ('अधिनियम') तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेवारी में बैंक की आस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित लेखा अभिलेख रखने; उचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; उचित एवं तार्किक आकलन पद्धति अपनाने; तथा उसकी डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक आंतरिक नियंत्रण शामिल है ताकि वित्तीय विवरण तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने हेतु उपयुक्त लेखा रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि लेखा रिकॉर्ड धोखाधड़ी अथवा भूलवश आई गलत सूचनाओं से रहित सत्य और न्यायसंगत स्थिति बताते हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेवारी

3. हमारी जिम्मेवारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर रिपोर्ट देना है।

4. हमने यह लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार निष्पादित और नियोजित करें ताकि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण सूचना गलत नहीं है।

5. लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पूर्णतया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है जिसमें महत्त्वपूर्ण विवरणों के संबंध में भूल अथवा धोखाधड़ी के चलते भ्रामक मिथ्याकथन जोखिमों का आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में लेखा परीक्षकों के विचार से इन विवरणों को त्रुटिरहित ढंग से तैयार करने में बैंक के आंतरिक नियंत्रणों तथा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों एवं बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

6. हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य पर्याप्त और समुचित हैं तथा हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए तर्क संगत आधार प्रदान करते हैं।

अभिमत

7. हमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित लेखा विवरण तथा उन पर लेखा टिप्पणियां अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं तथा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा मानकों के अनुरूप सच्ची और सही स्थिति प्रदर्शित करती हैं:

   (i) यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक की सामान्य निधि का तुलन–पत्र;

   (ii) यथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा;

(iii) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी।

अन्य विधिक तथा विनियामक मामलों पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण अधिनियम के अंतर्गत विरचित विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

9. **हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:**

(i) लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।

(ii) बैंक के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं।

10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरणी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

11. **हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:**

(i) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन पत्र, लाभ–हानि लेखा बैंक की लेखा बहियों और विवरणों के अनुरूप हैं।

(ii) हमारे विचार में और हमारे परीक्षण के आधार पर बैंक द्वारा विधि निर्धारित अनुसार इन बहियों का उचित अभिलेख रखा गया है।

कृते **सोराब एस. इंजीनियर एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 110417 डब्ल्यू

सीए एन. डी. अंकलेसरिया
पार्टनर
सदस्यता सं-10250

नई दिल्ली, 17 मई, 2017

तुलन–पत्र यथा 31 मार्च, 2017 को

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2016 को) ₹
देयताएं	अनुसूचियां		
1. पूँजी	I	68,593,663,881	63,593,663,881
2. आरक्षित निधियां	II	51,645,199,126	51,274,380,950
3. लाभ और हानि खाता	III	41,300,000	315,800,000
4. नोट, बॉन्ड एवं डिबेंचर		806,929,554,112	758,415,735,967
5. देय बिल		-	-
6. जमा राशियां	IV	3,726,434,552	20,957,976,444
7. उधार राशियां	V	150,072,777,722	153,792,093,951
8. चालू देयताएं एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		46,637,552,503	54,223,325,895
9. अन्य देयताएं		44,427,210,251	49,604,540,404
योग		**1,172,073,692,147**	**1,152,177,517,492**
आस्तियां			
1. नकदी एवं बैंक शेष	VI	36,908,866,611	54,437,772,262
2. निवेश	VII	51,029,294,879	53,555,303,809
3. ऋण एवं अग्रिम	VIII	1,017,159,983,605	979,917,321,381
4. भुनाये गये/पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन पत्र	IX	9,250,000,000	11,250,000,000
5. अचल आस्तियां	X	1,298,367,915	1,001,849,707
6. अन्य आस्तियां	XI	56,427,179,137	52,015,270,333
योग		**1,172,073,692,147**	**1,152,177,517,492**
आकस्मिक देयताएं			
i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व		78,177,713,070	63,035,684,000
ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर		3,573,212,731	1,606,793,100
iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर		-	-
iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं		152,677,850	160,936,200
v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		1,971,000,000	1,851,000,000
vi) संग्रहण के लिए बिल		-	-
vii) सहभागिता प्रमाण–पत्रों पर		-	-
viii) भुनाये गये/पुनः भुनाए गए बिल		-	-
ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है		47,274,958,286	53,009,168,100
योग		**131,149,561,937**	**119,663,581,400**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

श्री देबाशिस मल्लिक
उप प्रबंध निदेशक

श्री पंकज जैन

डॉ. एम. डी. पात्रा

श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य

श्रीमती गीता मुरलीधर

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सोराब एस. इंजीनियर एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 110417डब्ल्यू

(सीए एन. डी. अंकलेसरिया)
पार्टनर
एम. सं. 010250

नई दिल्ली, 17 मई, 2017

लाभ और हानि लेखा यथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

सामान्य निधि

व्यय	अनुसूचियां	इस वर्ष ₹	गत वर्ष ₹
1. ब्याज		65,022,307,778	60,220,521,575
2. ऋण बीमा, शुल्क एवं प्रभार		628,067,389	557,465,467
3. स्टाफ़ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		563,929,962	573,498,843
4. निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		-	-
5. लेखा परीक्षा की फीस		1,008,000	1,008,000
6. भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमियम		213,215,395	180,182,761
7. संचार विषयक व्यय		43,815,361	41,107,755
8. विधि विषयक व्यय		78,086,494	46,859,764
9. अन्य व्यय	XII	825,636,786	733,331,105
10. मूल्यह्रास		170,933,494	158,350,644
11. ऋण हानियों/निवेशों पर आकस्मिकताओं, मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		21,679,974,939	20,764,754,808
12. आगे ले जाया गया लाभ		3,126,382,006	4,533,241,885
योग		**92,353,357,604**	**87,810,322,607**
आयकर के लिए प्रावधान [आस्थगित कर राशि ₹ 4,052,096,329 सहित (गत वर्ष आस्थगित कर राशि ₹ 6,276,735,814)]		2,714,263,830	1,375,539,641
तुलन–पत्र में अंतरित शेष लाभ		412,118,176	3,157,702,244
		3,126,382,006	**4,533,241,885**
आय			
1. ब्याज और बट्टा	XIII	84,410,889,852	82,937,552,343
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस		4,687,969,751	2,679,635,294
3. अन्य आय	XIV	3,254,498,001	2,193,134,970
4. तुलन–पत्र को ले जायी गयी हानि		-	-
योग		**92,353,357,604**	**87,810,322,607**
घटाया गया लाभ		3,126,382,006	4,533,241,885
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज–कर प्रावधान का प्रतिलेखन		-	-
		3,126,382,006	**4,533,241,885**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

श्री देबाशिस मल्लिक
उप प्रबंध निदेशक

श्री पंकज जैन

डॉ. एम. डी. पात्रा

श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य

श्रीमती गीता मुरलीधर

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सोराब एस. इंजीनियर एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 110417डब्ल्यू

(सीए एन. डी. अंकलेसरिया)
पार्टनर
एम. सं. 010250

नई दिल्ली, 17 मई, 2017

तुलन–पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2016 को) ₹
अनुसूची I: पूँजी:		
1. प्राधिकृत	100,000,000,000	100,000,000,000
2. निर्गमित एवं प्रदत्तः (केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	68,593,663,881	63,593,663,881
अनुसूची II: आरक्षित निधियां:		
1. आरक्षित निधि	36,049,880,062	35,679,061,886
2. सामान्य आरक्षित राशियां	-	-
3. अन्य आरक्षित राशियां:		
निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि	-	-
ऋण शोधन निधि (ऋण–व्यवस्थाएं)	1,955,319,064	1,955,319,064
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	13,640,000,000	13,640,000,000
	51,645,199,126	**51,274,380,950**
अनुसूची III: लाभ और हानि लेखा:		
1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखा के अनुसार शेष	412,118,176	3,157,702,244
2. घटाएं: विनियोजनः		
- आरक्षित निधि को अंतरित	370,818,176	525,902,244
- निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	-	-
- ऋण शोधन निधि को अंतरित	-	146,000,000
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	-	2,170,000,000
3. निवल लाभ का शेष (एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23 (2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय)	**41,300,000**	**315,800,000**
अनुसूची IV: जमा राशियां:		
(क) भारत में	3,726,434,552	20,957,976,444
(ख) भारत के बाहर	-	-
	3,726,434,552	**20,957,976,444**

	इस वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2016 को) ₹
अनुसूची V: उधार राशियां:		
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से:		
(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	-	-
(ख) विनिमय बिलों पर	-	-
(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	-	-
2. भारत सरकार से	-	-
3. अन्य स्रोतों से:		
(क) भारत में	27,626,427,635	27,982,259,380
(ख) भारत के बाहर	122,446,350,087	125,809,834,571
	150,072,777,722	**153,792,093,951**
अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक में शेष:		
1. हाथ में नकदी	504,612	441,091
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	242,081,708	1,166,198,086
3. अन्य बैंकों में शेष:		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	782,330,730	1,923,368,204
ii) अन्य जमा खातों में	265,000,000	17,235,150,000
(ख) भारत के बाहर	35,618,949,561	32,863,504,658
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ सीबीएलओ के अंतर्गत ऋण	-	1,249,110,223
	36,908,866,611	**54,437,772,262**

	इस वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2016 को) ₹
अनुसूची VII: निवेश:		
(मूल्य में ह्रास का निवल, यदि कोई है)		
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	30,635,592,765	30,641,326,101
2. इक्विटी शेयर और स्टॉक	2,646,452,566	1,925,667,391
3. अधिमान शेयर एवं स्टॉक	23,234,000	24,667,500
4. नोट, डिबेंचर एवं बॉन्ड	17,224,015,548	19,963,642,817
5. अन्य	500,000,000	1,000,000,000
	51,029,294,879	**53,555,303,809**
अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम:		
1. विदेशी सरकारें	325,481,477,107	311,369,649,152
2. बैंक:		
(क) भारत में	145,670,664,885	118,556,386,266
(ख) भारत के बाहर	10,573,270	-
3. वित्तीय संस्थाएं:		
(क) भारत में	-	-
(ख) भारत के बाहर	29,630,693,336	29,378,726,376
4. अन्य	516,366,575,007	520,612,559,587
	1,017,159,983,605	**979,917,321,381**
अनुसूची IX: भुनाये गये/पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन–पत्र:		
(क) भारत में	9,250,000,000	11,250,000,000
(ख) भारत के बाहर	-	-
	9,250,000,000	**11,250,000,000**

	इस वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2016 को) ₹
अनुसूची X: अचल आस्तियां:		
(लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
1. परिसर		
सकल राशि (आगे लाया गया)	1,734,522,255	1,699,706,684
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	329,506,302	34,815,571
वर्ष के दौरान निपटान	-	-
वर्ष के अंत में सकल राशि	2,064,028,557	1,734,522,255
संचित ह्रास	928,184,582	847,175,825
निवल राशि	1,135,843,975	887,346,430
2. अन्य		
सकल राशि (आगे लाया गया)	896,880,632	845,735,505
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	135,003,614	84,937,149
वर्ष के दौरान निपटान	18,825,084	33,792,022
वर्ष के अंत में सकल राशि	1,013,059,162	896,880,632
संचित ह्रास	850,535,222	782,377,355
निवल राशि	162,523,940	114,503,277
	1,298,367,915	**1,001,849,707**
अनुसूची XI: अन्य आस्तियां:		
1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज:		
(क) निवेशों/बैंक शेष राशियां	10,791,054,440	10,120,323,475
(ख) ऋण एवं अग्रिम	14,151,386,600	13,606,131,376
2. विविध पक्षों के पास जमा राशियां	37,238,334	33,666,234
3. प्रदत्त अग्रिम आयकर (निवल)	7,930,845,159	9,425,982,298
4. अन्य [आस्थगित कर आस्तियों सहित ₹ 18,567,743,802 (गत वर्ष – ₹ 14,515,647,472)]	23,516,654,604	18,829,166,950
	56,427,179,137	**52,015,270,333**
अनुसूची XII: अन्य व्यय:		
1. निर्यात संवर्द्धन व्यय	34,330,480	46,065,093
2. डाटा प्रोसेसिंग और संबद्ध व्यय	14,547,043	18,424,976
3. मरम्मत और रख–रखाव	197,215,272	169,754,863
4. मुद्रण और लेखन सामग्री	12,261,031	10,741,599
5. अन्य	567,282,960	488,344,574
	825,636,786	**733,331,105**

	इस वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2016 को) ₹
अनुसूची XIII: ब्याज एवं बट्टा:		
1. ऋणों और अग्रिमों/बिलों की भुनाई/ पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	54,462,592,775	52,846,706,783
2. निवेशों/बैंक शेष राशियों पर आय	29,948,297,077	30,090,845,560
	84,410,889,852	**82,937,552,343**
अनुसूची XIV: अन्य आय:		
1. निवेशों की बिक्री/पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	3,108,552,970	1,937,820,580
2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	944,930	303,034
3. अन्य	145,000,101	255,011,356
	3,254,498,001	**2,193,134,970**

टिप्पणी:

'देयताओं' [अनुसूची IV (क) देखिए] के अंतर्गत 39.66 मिलियन यूएस डॉलर की 'ऑन शोर' विदेशी मुद्रा जमा राशियां (गत वर्ष 294.11 मिलियन यूएस डॉलर) शामिल हैं जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्ज़िम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/बॉन्डों के पेटे रखी गई हैं। आस्तियां अनुसूची सं. VI 3.(क) (ii) देखिए के अंतर्गत नकदी तथा बैंक जमाओं में ''शून्य'' (गत वर्ष ₹ 16.72 बिलियन) की रुपया जमा शामिल है जो कि स्वैप्स संव्यवहारों के कारण है। आस्तियों के अंतर्गत निवेश में [अनुसूची सं. VII 4. देखिए] कुल ₹ 1.79 बिलियन (गत वर्ष ₹ 1.99 बिलियन) की बॉन्ड राशि शामिल है जो स्वैप्स के कारण है।

यथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

राशि (₹ मिलियन में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2017	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2016
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	3,126.4	4,533.2
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
– अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(0.9)	(0.3)
– निवेशों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(3,108.6)	(1,937.8)
– मूल्यह्रास	170.9	158.4
– बट्टे में डाले गए बॉन्ड निर्गमों पर छूट/व्यय	229.2	152.7
– निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	-	-
– ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते डालना	21,680.0	20,764.8
– अन्य	-	-
	22,097.0	**23,671.0**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
– अन्य आस्तियां	(2,040.7)	(4,648.0)
– चालू देयताएं	(33,434.1)	(12,462.4)
परिचालनों से नकदी निर्माण	**(13,377.8)**	**6,560.6**
आय कर/ब्याज कर का भुगतान	(6,280.2)	(7,675.3)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	**(19,658.0)**	**(1,114.7)**
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– अचल आस्तियों की निवल खरीद	(466.5)	(118.9)
– निवेशों में निवल परिवर्तन	5,634.6	(1,797.4)
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से अर्जित निवल नकदी	**5,168.1**	**(1,916.3)**
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– प्राप्त इक्विटी पूँजी	5,000.0	13,000.0
– लिए गए ऋण (चुकौती घटाकर)	27,519.5	145,746.9
– दिए गए ऋणों, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त चुकौती घटाकर) से	(35,242.7)	(142,067.6)
– इक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केन्द्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष)	(315.8)	(4,330.0)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से अर्जित निवल नकदी प्रवाह	**(3,039.0)**	**12,349.3**
नकदी और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(गिरावट)	**(17,528.9)**	**9,318.3**
प्रारंभिक नकदी एवं समतुल्य	54,437.8	45,119.5
अंतिम नकदी एवं समतुल्य	36,908.9	54,437.8

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

श्री देबाशिस मल्लिक
उप प्रबंध निदेशक

श्री पंकज जैन

डॉ. एम. डी. पात्रा

श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य

श्रीमती गीता मुरलीधर

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सोराब एस. इंजीनियर एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 110417डब्ल्यू

(सीए एन. डी. अंकलेसरिया)
पार्टनर
एम. सं. 010250

नई दिल्ली, 17 मई, 2017

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों की टिप्पणियां

I. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां

i) वित्तीय विवरण

क) तैयारी का आधार

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि लेखा (सामान्य निधि एवं निर्यात विकास निधि), भारत में प्रचलित लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियां गत वर्ष प्रयोग की गई लेखा नीतियों के अनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 में दिए गए रूप में तथा ढंग से तैयार किए गए हैं, जिसे भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.एफआईडी.सं. सी-108/01.02.000/2015-16, दिनांकित 23 जून, 2016 और उसके बाद में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आंकड़े, ''लेखों की टिप्पणियां'' के खंड के रूप में दर्शाए गए हैं।

ख) आकलन का प्रयोग

निर्धारित तिथि को वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा आय और व्यय को रिपोर्ट करने के दौरान आस्ति तथा देयताओं की राशि रिपोर्ट करने के लिए (आकस्मिक देयताओं सहित) प्रबंधन को कुछ अनुमानों/आकलनों का सहारा लेना पड़ता है। प्रबंधन की राय के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयोग किए गए यह आकलन/अनुमान समुचित और तार्किक हैं।

ii) राजस्व की गणना

गैर–निष्पादक आस्तियों, गैर निष्पादक निवशों और ''दबावग्रस्त आस्तियों'' पर ब्याज, एसडीआर के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज, वचनबद्धता प्रभार और लाभांश जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। गैर–निष्पादक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बॉन्डों पर दिया जाने वाला बट्टा/मोचन प्रीमियम बॉन्ड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

तुलन–पत्र में दर्शायी गई ऋण और अग्रिम राशियों में गैर–निष्पादक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियां शामिल हैं। प्राप्य ब्याज को ''अन्य आस्तियों'' में समूहित किया गया है।

खाते की कमज़ोरी और वसूली हेतु कोलैटरल सिक्यूरिटी पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मानक आस्तियां, अवमानक आस्तियां, संदिग्ध आस्तियां और हानि आस्तियां। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है।

iv) निवेश

संपूर्ण निवेश–पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क) ''परिपक्वता तक धारित''(परिपक्वता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियां),

ख) ''क्रय–विक्रय के लिए धारित'' (प्रतिभूतियां इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार–चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय–विक्रय किया जाए) और

ग) ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है:

i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश

ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश

iii) शेयरों में निवेश

iv) डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश

v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेश

vi) अन्य (वाणिज्यिक–पत्र, म्युचुअल फंड की यूनिटें आदि में) निवेश

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन और निवेशों का मूल्य निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मानदंडों के अनुसार किया गया है।

v) अचल आस्तियां तथा मूल्यह्रास

क) अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर परंपरागत लागत अर्जन के समय मूल लागत पर दर्शाया गया है।

ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया गया है:

आस्तियां	मूल्यह्रास दर
स्वयं के भवन	5%
फर्नीचर एवं फिक्चर	25%
कार्यालय उपकरण	25%
अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	25%
कम्प्यूटर व कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25%
मोटर वाहन	25%
मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर मूल्यह्रास प्रौद्योगिकी के पुराने होने के आधार पर लिया गया है।	33.33%

ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के बारे में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

घ) जहां किसी अवक्षयी आस्ति को बेच दिया गया है, त्याग दिया गया है, ढहा दिया गया है अथवा नष्ट कर दिया गया है ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

vi) अवक्षय

आस्तियों के रख–रखाव की राशि को हर तुलन–पत्र की तारीख को आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से आस्ति के मूल्य में हुए अवक्षय के लिए प्रावधान अथवा गत अवधियों में हुई अवक्षय हानियों के प्रावधानों को रिवर्स करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है। अवक्षय हानि तब होती है जब किसी आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

vii) विदेशी मुद्रा लेन–देनों के लिए लेखांकन

क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दर पर अंतरित किया गया है।

ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।

ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है तथा इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।

घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

viii) गारंटियां

ईसीजीसी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

ix) डेरिवेटिव

बैंक अपनी आस्ति देयताओं की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव संव्यवहारों जैसे ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप, अंतर करेंसी ब्याज दर स्वैप तथा वायदा दर करारों में भी डील करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ये संव्यवहार हेजिंग के उद्देश्य से किए जाते हैं तथा उपचित आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। बकाया डेरिवेटिव संव्यवहारों के बारे में मात्रात्मक तथा गुणात्मक प्रकटन ''लेखों की टिप्पणियों'' में वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटन मानक विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुरूप किए जाते हैं।

x) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

क) बैंक में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि और पेंशन बैंक द्वारा चलाई जा रही परिभाषित कर्मचारी लाभ निधि योजनाएं हैं। इन निधियों में बैंक का अंशदान संबंधित वर्ष के लिए लाभ–हानि खाते को नामे कर किया जाता है।

ख) ग्रेच्युटी तथा पेंशन परिभाषित कर्मचारी लाभ देयताएं हैं। इन देयताओं के लिए प्रावधान बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित एकक जमा पद्धति के आधार पर किया जाता है।

ग) छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता के लिए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है।

xi) आय पर करों का लेखांकन

क) संबंधित संविधि के अधीन भुगतान योग्य कर के अनुसार वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है।

ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से आस्थगित कर की गणना विद्यमान कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन–पत्र की सम दिनांक को प्रमुखतः अधिनियमित विधि के अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां'' भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 29 के अनुसार हिसाब में लिए जाते हैं। बैंक केवल उन प्रावधानों को हिसाब में लेता है जब वर्तमान दायित्व किसी विगत घटना का परिणाम हो। हालांकि यह संभव है कि इस दायित्व से उपजे आर्थिक लाभ संबंधी राशि का भुगतान दायित्व की राशि के सही आकलन के निर्धारण के बाद किया जाए।

आकस्मिक देयताएं तभी प्रकट की जाती हैं जब आर्थिक लाभ संबंधी राशि का भुगतान किए जाने की संभावना बहुत ही कम हो।

आकस्मिक आस्तियों को न ही हिसाब में लिया जाता है तथा न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

II लेखों की टिप्पणियां – सामान्य निधि

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्ज़िम बैंक इराक में भारतीय संविदाकारों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए केवल एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है अतएव भारत सरकार को समनुदेशित ₹ 44.57 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 45.54 बिलियन) की राशि सहित बैंक को सूचित की गई एजेंसी खाते में धारित ₹ 40.27 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 41.15 बिलियन) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियां उपर्युक्त तुलन–पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. आयकर

बैंक की पूँजी संपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा धारित है तथा बैंक में कोई अन्य शेयर पूँजी नहीं है। अतः भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम 1981 की धारा 23 (2) के अनुसार केन्द्र सरकार को अंतरणीय लाभ अधिशेष को लाभांश नहीं कहा जा सकता। परिणामस्वरूप वाद सं. आईटीए सं. 2025/मुंबई/2000 में 18 दिसंबर, 2006 को कर अपील न्यायाधीकरण (टीएटी) द्वारा पारित निर्णय के आलोक में लाभांश वितरण पर कोई कर देय नहीं है, अतः इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. क) आकस्मिक देयताएं

गारंटियों में ₹ 2.01 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 1.92 बिलियन) की समाप्त गारंटियां शामिल हैं, जिन्हें बहियों में से निरस्त किया जाना बाकी है।

ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत ''बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है'' के रूप में दिखाई गई ₹ 1.97 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 1.85 बिलियन) की राशि अधिकांशतः बैंक के उधारकर्ता/चूककर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध किए गए दावों/प्रतिदावों से संबंधित है जो बैंक द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई विधिक कार्रवाई के कारण है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा गुणवत्ता योग्य नहीं है तथा कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है; अतः व्यावसायिक सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

ग) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा/ब्याज दर स्वैप

i) यथा 31 मार्च, 2017 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूरी तरह से हेजिंग की गई है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई, 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एमपीडी.बीसी.187/07.01.279/1999-2000 एवं उसके बाद जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति–देयता प्रबंध के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर स्वैप, वायदा कर करार तथा मुद्रा–सह–ब्याज दर स्वैप) करता है। बैंक अपनी आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर सौदे करता है तथा उनका निपटान करता है। बकाया डेरिवेटिव सौदों को ब्याज दर के उतार–चढ़ाव के आधार पर निपटाया जाता है जिसकी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा निगरानी और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव के ऋण समतुल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'मौजूदा ऋण जोखिम' पद्धति के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पीवी 01) के उचित मूल्य तथा कीमत मूल्य को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों की टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ या हानि को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय/व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

ii) बैंक को ग्राहकों/गैर–ग्राहकों के लिए 'लॉन्ग डेटेड फॉरेन करेंसी – रूपी स्वैप्स' संव्यवहारों के लिए 'मार्केट मेकर' की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है।

घ) मुद्रा विनिमय दर के उतार–चढ़ाव पर लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वार्षिक औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालनों से अर्जित एवं धारित आय के अंतरणों पर सांकेतिक लाभ ₹ 0.22 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.12 बिलियन) है।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों संबंधित प्रकटीकरण: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार अतिरिक्त सूचना

5.1 पूँजी

क)

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2017 को	यथा 31 मार्च, 2016 को
(i)	जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर)	15.81%	14.55%
(ii)	मुख्य सीआरएआर	14.29%	13.04%
(iii)	अनुपूरक सीआरएआर	1.52%	1.51%

ख) यथा 31 मार्च, 2017 को टीयर–II पूँजी के रूप में जुटाए गए और बकाया गौण ऋण की राशिः ₹ कुछ नहीं (गत वर्षः ₹ कुछ नहीं)

ग) जोखिम भारित आस्तियां

(₹ बिलियन)

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2017 को	यथा 31 मार्च, 2016 को
(i)	तुलन–पत्र में 'शामिल' मदें	590.05	587.32
(ii)	तुलन–पत्र में 'शामिल नहीं की गई' मदें	126.71	146.78

घ) तुलन–पत्र की तारीख को शेयरधारित का स्वरूपः भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त पूँजी।

- जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) और अन्य संबंधित मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- बासेल III मानकों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित संशोधित रूपरेखा अभी मसौदा चरण में है। बैंक सीआरएआर के निर्धारण हेतु बासेल III मानकों को 1 अप्रैल, 2018 से लागू करेगा, जो बासेल III मानकों को लागू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित तारीख है।

5.2 निर्बंध आरक्षित निधियां एवं प्रावधान

क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2016-17	2015-16
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(9.22)	4.11

ख) अस्थायी प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2016-17	2015-16
(क) अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	-	-
(ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कम हुई राशि	-	-
(घ) अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	-	-

5.3 आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

क) अनर्जक अग्रिम

(₹ बिलियन)

	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	4.688%	0.86%
(ii)	अनर्जक आस्तियों में घट–बढ़ (सकल)		
(क)	प्रारंभिक शेष	42.75	25.53
(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	68.10	21.33
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	11.23	4.11
(घ)	अंतिम शेष	99.62	42.75
(iii)	निवल अनर्जक आस्तियों में घट–बढ़		
(क)	प्रारंभिक शेष	8.55	5.10
(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	45.85	9.80
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	6.36	6.35
(घ)	अंतिम शेष	48.04	8.55
(iv)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट–बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क)	प्रारंभिक शेष	34.20	20.43
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	31.94	15.28
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	14.55	1.51
(घ)	अंतिम शेष	51.59	34.20

ख) अनर्जक निवेश

(₹ बिलियन)

	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	निवल निवेशों की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.008%	0%
(ii)	अनर्जक निवेशों में घट-बढ़ (सकल)		
(क)	प्रारंभिक शेष	0.65	0.59
(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	1.01	0.10
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	0.03	0.04
(घ)	अंतिम शेष	1.63	0.65
(iii)	निवल अनर्जक निवेशों में घट-बढ़		
(क)	प्रारंभिक शेष	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.0042	-
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	-	-
(घ)	अंतिम शेष	0.0042	-
(iv)	अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क)	प्रारंभिक शेष	0.65	0.59
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1.01	0.10
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	0.03	0.04
(घ)	अंतिम शेष	1.63	0.65

ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ बिलियन)

	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	4.688%	0.86%
(ii)	अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क)	प्रारंभिक शेष	43.40	26.12
(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	69.11	21.43
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	11.26	4.15
(घ)	अंतिम शेष	101.25	43.40
(iii)	अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़		
(क)	प्रारंभिक शेष	8.55	5.10
(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	45.8542	9.80
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	6.36	6.35
(घ)	अंतिम शेष	48.0442	8.55
(iv)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
(क)	प्रारंभिक शेष	34.85	21.02
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	32.95	15.38
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	14.58	1.55
(घ)	अंतिम शेष	53.22	34.85

5.4 पुनर्संरचित किए गए खातों का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार		कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत					अन्य					कुल
	आस्ति वर्गीकरण	विवरण	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	22	6	11	-	39	7	3	2	-	12	19	4	5	-	28	79
		बकाया राशि	26.00	1.40	6.93	-	34.33	0.33	0.13	0.04	-	0.50	19.74	3.29	3.05	-	26.08	60.91
		उस पर प्रावधान	5.56	0.58	6.93	-	13.07	0.03	0.04	0.04	-	0.11	2.61	1.25	3.05	-	6.91	20.09
2	नवीन पुनर्संरचना/ वर्ष के दौरान बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	7	-	7	-	-	2	-	2	-	1	6	-	7	16
		बकाया राशि	-	-	3.81	-	3.81	-	-	0.11	-	0.11	-	1.09	8.24	-	9.33	13.25
		उस पर प्रावधान	-	-	2.32	-	2.32	-	-	0.06	-	0.06	-	0.26	3.93	-	4.19	6.57
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और/अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउनग्रेडेशन/ घटत	उधारकर्ताओं की संख्या	7	6	7	-	20	5	3	1	-	9	7	4	2	-	13	42
		बकाया राशि	14.88	1.40	5.27	-	21.55	0.30	0.13	0.03	-	0.46	11.51	3.29	2.09	-	16.89	38.90
		उस पर प्रावधान	1.72	0.58	5.27	-	7.57	0.03	0.04	0.02	-	0.09	1.71	1.25	0.69	-	3.65	11.31
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	15	-	11	-	26	2	-	3	-	5	12	1	9	-	22	53
		बकाया राशि	11.12	-	5.47	-	16.59	0.03	-	0.12	-	0.15	8.23	1.09	9 .20	-	18.52	35.26
		उस पर प्रावधान	3.84	-	3.98	-	7.82	-	-	0.08	-	0.08	0.90	0.26	6.29	-	7.45	15.35

5.5 अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़

(₹ बिलियन)

विवरण	2016-17	2015-16
यथा 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष)	42.75	25.53
वर्ष के दौरान बढ़त (नई अनर्जक आस्तियां)	68.10	20.44
ब्याज निधीयन	(0.39)	(0.02)
विनिमय दर घट-बढ़	-	0.90
उपखंड योग (क)	110.46	46.85
घटाएं:		
(i) उन्नयन	1.55	2.55
(ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)	2.70	0.84
(iii) तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते	5.31	0.71
(iv) बट्टे खाते, उपर्युक्त (iii) के अलावा	0.76	-
(v) विनिमय दर घट-बढ़	0.52	-
उपखंड योग (ख)	10.84	4.10
यथा आगामी वर्ष की 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (क-ख)	99.62	42.75

डीबीआर परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 2/21.04.048/2015-16 दिनांकित 1 जुलाई, 2015 के अनुलग्नक भाग सी-2 के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां

5.6 बट्टे खाते और वसूली

(₹ बिलियन)

विवरण	2016-17	2015-16
बट्टे खाते डाले गए खातों का यथा 1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते	0.75	0.75
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते	5.31	-
उपखंड योग (क)	6.06	0.75
घटाएं: वर्ष के दौरान पुराने तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते डाले गए खातों से की गई वसूली (ख)	0.02	-
यथा 31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख)	6.04	0.75

5.7 विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

(₹ बिलियन)

विवरण	2016-17	2015-16
कुल आस्तियां	121.52	119.76
कुल अनर्जक आस्तियां	6.64	5.37
कुल राजस्व	7.20	5.58

उपर्युक्त आंकड़े बैंक की लंदन शाखा से संबंधित हैं, जिसका परिचालन अक्टूबर 2010 में शुरू हुआ।

5.8 निवेशों पर मूल्यह्रास और प्रावधान

(₹ बिलियन)

	विवरण	2016-17	2015-16
(1)	निवेश		
(i)	सकल निवेश	61.54	58.63
(क)	भारत में	61.54	58.63
(ख)	भारत से बाहर	-	-
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	10.52	5.07
(क)	भारत में	10.52	5.07
(ख)	भारत से बाहर	-	-
(iii)	निवल निवेश	51.03	53.56
(क)	भारत में	51.03	53.56
(ख)	भारत से बाहर	-	-
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों में घट–बढ़		
(i)	प्रारंभिक शेष	5.07	2.49
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	5.47	2.82
(iii)	वर्ष के दौरान निवेश अस्थिर आरक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई है	-	-
(iv)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों पर बट्टा खाता/प्रतिलेखन	0.02	0.24
(v)	घटाएं: अस्थिर आरक्षित निधि खाते में हस्तांतरण, यदि कोई है	-	-
(vi)	अंतिम शेष	10.52	5.07

5.9 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

(₹ बिलियन)

लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए प्रावधानों और आकस्मिक व्यय का विवरण	2016-17	2015-16
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	5.50	2.58
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	17.91	13.82
आयकर के लिए किए गए प्रावधान	2.71	1.38
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय (विवरण सहित)	(0.07)	(0.13)

5.10 प्रावधान कवरेज अनुपात

विवरण	2016-17	2015-16
प्रावधान कवरेज अनुपात	54.54%	80.35%

6. निवेश पोर्टफोलियोः संघटक एवं परिचालन

6.1 रेपो लेन-देन

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2017 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2016 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

6.2 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निवेशकर्ता की जमाराशियों का प्रकटीकरण

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	''निवेश ग्रेड से नीचे'' धारित प्रतिभूतियां	धारित ''अश्रेणीकृत'' प्रतिभूतियां	धारित ''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	0.04	-	-	0.04	0.04
2	वित्तीय संस्थाएं	2.03	1.79	-	0.24	2.03**
3	बैंक	0.27	0.10	-	0.17	0.17
4	निजी कॉर्पोरेट	27.47	27.41	-	27.47	24.94*
5	अनुषंगी संस्थाएं/संयुक्त उपक्रम	0.0032	-	-	0.0032	0.0032
6	अन्य	0.50	-	-	-	0.50
7	मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान#	9.92	-	-	-	-
	कुल	**30.31**	**29.30**	**-**	**27.92**	**27.68**

कॉलम 3 में प्रकट किए जाने वाले प्रावधान की केवल कुल राशि

* जिसमें से ₹ 22.13 बिलियन जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश को दर्शाती हैं और ₹ 2.76 बिलियन का निवेश ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में है।

** जिसमें से ₹ 1.79 बिलियन जमा राशियां भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से किए गए यूएस डॉलर/भारतीय रुपए में स्वैप के जरिए थीं।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से संबंधित नहीं हैं।

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	''निवेश ग्रेड से नीचे'' धारित प्रतिभूतियां	धारित ''अश्रेणीकृत'' प्रतिभूतियां	धारित ''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	0.04	-	-	0.04	0.04
2	वित्तीय संस्थाएं	2.23	1.99	-	0.24	2.23**
3	बैंक	0.27	0.10	-	0.17	0.17
4	निजी कॉर्पोरेट	24.02	22.90	-	24.02	22.42*
5	अनुषंगी संस्थाएं/संयुक्त उपक्रम	0.0032	-	-	0.0032	0.0032
6	अन्य	1.00	-	-	1.00	1.00
7	मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान#	4.64	-	-	-	-
	कुल	**27.56**	**24.99**	**-**	**25.47**	**25.86**

कॉलम 3 में प्रकट किए जाने वाले प्रावधान की केवल कुल राशि

* जिसमें से ₹ 21.87 बिलियन जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश को दर्शाती हैं और ₹ 0.50 बिलियन का निवेश ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में है।

** जिसमें से ₹ 1.99 बिलियन जमा राशियां भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से किए गए यूएस डॉलर/भारतीय रुपए में स्वैप के जरिए थीं।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से संबंधित नहीं हैं।

6.3 एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और हस्तांतरण

कोई बिक्री या हस्तांतरण नहीं हुआ

7. खरीदी/बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

7.1 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

क) बिक्री का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	खातों की संख्या	2	3
(ii)	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण के लिए बेचे गए खातों (प्रावधानों का निवल) का कुल मूल्य	0.39	0.97
(iii)	कुल प्राप्ति	0.34	0.58
(iv)	गत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त राशि	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल प्राप्ति/(हानि)	(0.05)	(0.39)

- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई आस्तियों को आरबीआई के मास्टर परिपत्र डीबीओडी संख्या एफआईडी.एफआईसी.2/01.02.00/2006-07 दिनांकित 01 जुलाई, 2006 और उसके बाद परिभाषित अनुसार माना गया है।

ख) प्रतिभूति जमा में निवेशों के बही मूल्य का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य	
		2016-17	2015-16
(i)	बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित	13.67	17.65
(ii)	बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित	-	-
	कुल	**13.67**	**17.65**

7.2 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1)	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-
	(ख) कुल बकाया	-	-
2)	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	-	-
	(ख) कुल बकाया	-	-

ख) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

	विवरण	2016-17	2015-16
1)	बेचे गए खातों की संख्या	-	-
2)	कुल बकाया	-	-
3)	कुल प्राप्त राशि	-	-

8. परिचालन परिणाम

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.63	8.12
(ii)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.72	0.48
(iii)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.24	2.48
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.04	0.30
(v)	प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ (₹ बिलियन में)	0.001	0.010

- परिचालन परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत तथा रिपोर्ट के अंतर्गत लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है (''कार्यशील निधियों'' का संदर्भ कुल आस्तियों से है)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना के लिए सभी कैडरों के स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को लिया गया है।

9. ऋण संकेंद्रण जोखिम

9.1 पूँजी बाजार एक्सपोजर

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी राशि केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही निवेश नहीं की गई है;	-	-
(ii)	शेयरों/बॉन्ड/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले अथवा व्यक्तियों को अच्छे रिकार्ड के आधार पर शेयरों (आईपीओ/ईएसपीओ सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों में निवेश के लिए अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-

(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के संपार्श्विक प्रतिभूतित किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम अर्थात ऐसे उद्देश्य जहां प्राथमिक प्रतिभूति शेयरों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के अलावा अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती;	-	-
(v)	शेयर दलालों को प्रतिभूतित और अप्रतिभूतित अग्रिम तथा शेयर दलालों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट्स को नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान के लिए शेयरों/बॉन्ड/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के बदले ऋणों की मंजूरी;	-	-
(vii)	संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के बदले पूरक ऋण;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा लिखित में दी गई प्रतिबद्धताएं;	-	-
(ix)	शेयर दलालों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण;	-	-
(x)	जोखिम पूँजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए सभी एक्सपोजर	-	-
	पूँजी बाजार के लिए कुल एक्सपोजर	-	-

9.2 देशगत जोखिम एक्सपोजर

(₹ बिलियन)

जोखिम श्रेणी	यथा मार्च 2017 को एक्सपोजर (नेट)	मार्च 2017 को प्रावधान@	यथा मार्च 2016 को एक्सपोजर (नेट)	मार्च 2016 को प्रावधान@
नगण्य	108.78	-	107.57	-
न्यून	452.30	-	390.91	-
मध्यम	626.28	-	522.12	-
उच्च	73.55	-	97.52	-
बहुत ज्यादा	-	-	-	-
प्रतिबंधित	114.78	-	75.41	-
ऑफ क्रेडिट	-	-	-	-
कुल	**1,375.69**	**-**	**1,193.53**	**-**

@ बैंक द्वारा देश संकेंद्रण जोखिम प्रदान किया जाना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वित्तीय संस्थाओं को संबोधित करता कोई परिपत्र नहीं है।

9.3 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना के अंतर्गत एक्सपोजर

(₹ बिलियन)

खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	इक्विटी में परिवर्तित एक्सपोजर राशि
7	5.24	0.68

9.4 दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना (एस4ए) के अंतर्गत एक्सपोजर

(₹ बिलियन)

विवरण	एस4ए लागू खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	राशि बकाया		किया गया प्रावधान
			भाग क में	भाग ख में	
मानक के रूप में वर्गीकृत	1	2.43	1.28	1.15	1.22
अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	-	-	-	-	-

9.5 निर्धारित ऋण सीमा से अधिक ऋण संबंधी मामले–एकल उधारकर्ता सीमा/समूह उधारकर्ता सीमा

क) वर्ष के दौरान विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण संबंधी मामले– संख्या और राशि

क्र. सं.	पैन नंबर	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	सेक्टर	निधिक राशि	गैर–निधिक राशि	पूँजी निधियों के % के रूप में एक्सपोजर
1.	AABCG5231F	एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड	11101	पेट्रोलियम उत्पाद	निजी	17.11	-	16.01

टीसीएफ के 5% के अतिरिक्त एक्सपोजर के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था।

ख) पूँजी निधियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में क्रेडिट एक्सपोजर

	विवरण	पूँजी निधियों का प्रतिशत*	कुल ऋण का प्रतिशत (टीसीई)@	कुल अस्तियों का प्रतिशत
(i)	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	16.01	0.77	1.46
(ii)	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	31.45	1.52	2.87
(iii)	20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	193.26	9.35	17.61
(iv)	20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	281.99	13.65	25.70

* यथा 31 मार्च, 2016 को पूँजी निधियां

@ टीसीईः ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर क्रेडिट एक्सपोजर

1) बैंकों और भारत सरकार द्वारा/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत गारंटी प्रदत्त विदेशी संस्थाओं को क्रेडिट एक्सपोजर को एकल/समूह उधारकर्ता में नहीं रखा गया है।

2) यथा 31 मार्च, 2017 को 1 उधारकर्ता था, जिसके लिए एक्सपोजर बोर्ड के अनुमोदन से पूँजी निधियों के 15% से ज्यादा स्वीकृत किया गया था। यथा 31 मार्च, 2017 को इस उधारकर्ता को एक्सपोजर बैंक की पूँजी निधियों का 16.01% रहा।

गत वर्ष:

	विवरण	पूँजी निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल क्रेडिट एक्सपोजर की तुलना में प्रतिशत (टीसीई)@	कुल अस्तियों की तुलना में प्रतिशत
(i)	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	19.61	0.95	1.64
(ii)	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	37.15	1.80	3.10
(iii)	20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	217.18	10.50	18.15
(iv)	20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	296.28	14.32	24.76

* यथा 31 मार्च, 2015 को पूँजी निधियां

@ टीसीई: ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर क्रेडिट एक्सपोजर

1) बैंकों और भारत सरकार द्वारा/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत गारंटी प्रदत्त विदेशी संस्थाओं को क्रेडिट एक्सपोजर को एकल/समूह उधारकर्ता में नहीं रखा गया है।

2) यथा 31 मार्च, 2016 को 1 उधारकर्ता था, जिसके लिए एक्सपोजर बोर्ड के अनुमोदन से पूँजी निधियों के 15% से ज्यादा स्वीकृत किया गया था। यथा 31 मार्च, 2016 को इस उधारकर्ता को एक्सपोजर बैंक की पूँजी निधियों का 19.61% रहा।

ग) पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण

	क्षेत्र	कुल क्रेडिट एक्सपोजर की तुलना में प्रतिशत (टीसीई)	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
(i)	इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण सेवाएं	10.09	7.49
(ii)	लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	9.68	7.18
(iii)	तेल और गैस	7.68	5.70
(iv)	टेक्सटाइल और गारमेंट	6.53	4.85
(v)	निर्माण	5.16	3.83

गत वर्ष:

	क्षेत्र	कुल क्रेडिट एक्सपोजर की तुलना में प्रतिशत (टीसीई)	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
(i)	लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	9.41	7.16
(ii)	इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण सेवाएं	8.59	6.53
(iii)	टेक्सटाइल और गारमेंट	7.78	5.92
(iv)	तेल और गैस	7.39	5.62
(v)	दवाएं और फार्मासूटिकल्स	6.31	4.80

- ''क्रेडिट एक्सपोजर'' की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।

  उद्योग एक्सपोजर की गणना के लिए विदेशी बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिया गया वह ऋण जिसके लिए भारत सरकार द्वारा/भारत सरकार की ओर से गारंटी दी गई है को, भारत सरकार की ओर से दिया गया ऋण माना गया है और उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है।

घ. गैर जमानती अग्रिम

कुल ₹ 60.14 बिलियन के गैर जमानती अग्रिमों के लिए कॉर्पोरेट/व्यक्तिगत गारंटियां, वचन पत्र, ट्रस्ट रसीदें आदि ली गई है, जिसका आकलित मूल्य ₹ 10.05 बिलियन है।

ड. फैक्टरिंग एक्सपोजर

एक्ज़िम बैंक ने फैक्टरिंग के लिए कोई ऋण नहीं दिया है।

च. ऐसे मामले जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान निर्धारित एक्सपोजर सीमा को पार किया

क्रम. सं.	पैन नंबर	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	सेक्टर	निधिक राशि	गैर–निधिक राशि	पूँजी निधियों के % के रूप में एक्सपोजर
1.	AABCG5231F	एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड	11101	पेट्रोलियम उत्पाद	निजी	17.11	-	16.01

यथा 31 मार्च, 2017 को 1 उधारकर्ता था, जिसके लिए एक्सपोजर बोर्ड के अनुमोदन से पूँजी निधियों के 15% से ज्यादा स्वीकृत किया गया था। यथा 31 मार्च, 2017 को इस उधारकर्ता को एक्सपोजर बैंक की पूँजी निधियों का 16.01% रहा।

10. उधारियों/ऋण–व्यवस्थाओं, ऋणों और अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

क) उधारियों और ऋण–व्यवस्थाओं का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2016-17	2015-16
20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	103.48	119.61
बैंक की कुल उधारियों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियों का प्रतिशत	10.77%	12.82%

ख) ऋणों का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2016-17	2015-16
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल उधारियां	206.45	209.13
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं को कुल उधारियों का प्रतिशत	19.15	20.40
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	206.45	209.13
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	9.35%	10.50%
एक्ज़िम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोजर की तुलना में शीर्ष दस देशों के कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	37.30%	45.79%

ऋण और निवेश एक्सपोजर की गणना वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोजर मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र संख्या डीबीआर.एफआईडी.एफआईसी.संख्या 4/01.02.00/2015-16 दिनांकित 01 जुलाई, 2015 के अनुसार की गई है।

ग) ऋणों और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			गत वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
क)	**घरेलू क्षेत्र**	**356.40**	**62.02**	**17%**	**347.59**	**20.90**	**6%**
1)	**कुल निर्यात वित्त**	**307.51**	**60.52**	**20%**	**286.99**	**20.89**	**7%**
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	272.88	49.25	18%	259.40	16.86	6%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	44.26	20.39	46%	39.64	2.53	6%
	तेल और गैस	7.89	0.93	12%	6.13	0.93	15%
	टेक्सटाइल और गारमेंट	-	-	-	41.12	1.41	3%
	सेवा क्षेत्र	34.63	11.27	33%	27.58	4.04	15%
	उड्डयन सेवाएं	2.94	-	-	3.04	-	-
	ईपीसी सेवाएं	14.75	10.04	68%	17.99	2.64	15%
	जहाजरानी सेवाएं	9.29	0.62	7%	1.21	0.65	54%
2)	**कुल आयात वित्त**	**48.89**	**1.50**	**3%**	**60.60**	**0.01**	**0.01%**
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	41.97	0.01	0.02%	51.93	0.01	0.01%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	1.44	-	-	0.21	-	-
	तेल और गैस	11.37	-	-	11.90	-	-
	सेवा क्षेत्र	6.92	1.49	22%	8.68	-	-
	ईपीसी सेवाएं	1.92	1.49	78%	3.97	-	-
	जहाजरानी सेवाएं	3.51	-	-	3.20	-	-
3)	(क) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोजर	-	-	-	-	-	-
ख)	**विदेशी क्षेत्र**	**184.67**	**37.60**	**20%**	**175.58**	**21.85**	**12%**
1)	**कुल निर्यात वित्त**	**184.67**	**37.60**	**20%**	**175.58**	**21.85**	**12%**
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	152.74	25.03	16%	148.47	10.87	7%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	26.29	1.62	6%	23.75	-	-
	तेल और गैस	29.98	8.19	27%	29.75	0.30	1%
	टेक्सटाइल और गारमेंट	-	-	-	5.91	2.23	38%
	सेवा क्षेत्र	31.93	12.56	39%	27.11	10.97	40%
	उड्डयन सेवाएं	5.10	-	-	-	-	-
	ईपीसी सेवाएं	12.25	4.33	35%	7.14	3.56	50%
	जहाजरानी सेवाएं	4.45	3.38	-	8.64	4.36	50%
2)	**कुल आयात वित्त**	-			-	-	-
	कृषि क्षेत्र		-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	सेवा क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3)	**(ख) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोजर**	-	-	-	-	-	-

ग)	अन्य एक्सपोजर#	536.93	-	-	502.19	-	-
घ)	कुल एक्सपोजर (क+ख+ग)	1,078.00	99.62	9.24%	1,025.37	42.75	4.17%

इसमें ऋण–व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसी–एनईआईए), रियायती वित्त योजना, वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त और बैंकों द्वारा प्रति–गारंटित अग्रिम शामिल हैं।

11. डेरिवेटिव

11.1 वायदा दर करार एवं ब्याज दर स्वैप पर प्रकटीकरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2015-16	
		हेजिंग	ट्रेडिंग	हेजिंग	ट्रेडिंग
1.	स्वैप करारों का मूल सांकेतिक मूल्य	290.75	-	224.74	-
2.	प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	0.37	-	0.65	-
3.	स्वैप करार के समय बैंक द्वारा अपेक्षित कोलैटरल	-	-	-	-
4.	स्वैप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।	-	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।	-
5.	स्वैप बही का सही मूल्य	(6.73)	-	1.68	-

स्वैप की प्रकृति तथा शर्तें: सभी संव्यवहार बैंक की आस्ति–देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति–देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

11.2 एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव के संबंध में प्रकटन

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की सांकेतिक मूल राशि (लिखत–वार)	-
2.	यथा 31 मार्च, 2017 को एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि (लिखत–वार)	-
3.	एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि किंतु ''हाइली इफेक्टिव'' नहीं (लिखत–वार)	-
4.	एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव का बकाया मार्क–टू–मार्केट मूल्य किंतु ''हाइली इफेक्टिव'' नहीं (लिखत–वार)	-

11.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यतः अपने तुलन–पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरिवेटिव आदि का ही उपयोग करता है।

2. डेरिवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम (i) बाजार जोखिम अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि (ii) ऋण जोखिम अर्थात प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति लागू है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण आस्ति देयता स्थिति तथा संव्यवहार स्तर पर ही जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने, नियंत्रण तथा निगरानी उपायों की स्थापना सहित नियामक प्रलेखन तथा लेखा संबंधी मुद्दों को परिभाषित किया गया है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा प्रीसेटलमेंट लिमिट, पीवी 01 लिमिट आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।

3. बैंक की आस्ति–देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस, जो डेरिवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आकलन और निगरानी करता है, की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य की देख–रेख करती है।

4. यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्देश्य से लिया गया है तथा आस्ति–देयता बहियों में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।

5. आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत बकाया वायदा दर संविदाओं में ब्याज दर स्वैप शामिल नहीं हैं जो कि डेरिवेटिव नीति के अनुपालन के संदर्भ में है।

ख) मात्रात्मक प्रकटन

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2015-16	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
1	डेरिवेटिव (सांकेतिक मूल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	371.84	290.75	348.75	224.74
	ख) ट्रेडिंग के लिए				
2	मार्क्ड–टू–मार्केट स्थितियां				
	क) आस्ति (+)	-	-	-	1.68
	ख) देयता (–)	32.72	6.73	38.01	-
3	ऋण सहायता	21.50	1.64	22.77	4.41
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी 01)				

	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	13.69	16.44	14.78	9.14
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर				
	i) अधिकतम	14.66	18.22	15.75	9.85
	ii) न्यूनतम	13.69	8.98	13.60	7.98
	ख) ट्रेडिंग पर				
	i) अधिकतम	-	-	-	-
	ii) न्यूनतम	-	-	-	-

12. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को कुल ₹ 2.00 बिलियन (गत वर्ष बैंक ऑफ इंडिया को कुल ₹ 0.22 बिलियन) का लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया गया। यथा 31 मार्च, 2017 को उपर्युक्त प्रतिबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं रहा।

13. आस्ति–देयता प्रबंधन

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	4.72	10.22	105.12	48.39	47.17	30.41	23.17	37.44	306.64
रुपया निवेश	-	0.10	0.57	0.56	0.11	2.85	1.53	45.24	50.96
रुपया अन्य आस्तियां	26.22	4.71	27.18	17.71	29.87	154.99	95.15	298.10	653.93
रुपया जमा राशियां	1.37	0.02	0.37	23.93	9.50	0.54	0.19	-	35.92
रुपया उधारियां	27.63	0.40	100.89	6.00	7.30	83.27	52.43	158.97	436.89
रुपया अन्य देयताएं	3.20	4.94	28.81	26.56	33.76	103.78	32.88	194.31	428.24
विदेशी मुद्रा आस्तियां	36.95	10.40	39.91	95.66	115.11	185.74	168.12	320.54	972.43
विदेशी मुद्रा देयताएं	5.69	2.49	11.08	89.38	90.06	246.75	209.80	304.98	960.23

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से साल 1 तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	14.48	20.16	61.07	50.21	72.76	37.20	28.37	28.94	313.19
रुपया निवेश	-	-	0.06	0.03	0.70	3.66	0.55	47.94	52.94
रुपया अन्य आस्तियां	40.21	0.30	17.94	13.30	47.60	164.40	106.04	258.44	648.23
रुपया जमाराशियां	0.19	0.07	0.30	1.08	45.70	1.88	0.25	-	49.47
रुपया उधारियां	27.98	-	86.12	5.41	46.38	81.97	29.23	143.57	420.66
रुपया अन्य देयताएं	25.05	1.55	8.20	30.75	39.41	96.26	31.07	180.47	412.76
विदेशी मुद्रा आस्तियां	51.48	14.61	31.17	62.96	86.20	232.52	204.66	343.07	1,026.67
विदेशी मुद्रा देयताएं	26.67	14.48	38.91	65.51	71.56	299.16	241.15	262.36	1,019.80

14. आरक्षित निधियों से आहरण

बैंक द्वारा आरक्षित निधियों से किसी राशि का आहरण नहीं किया गया।

15. व्यवसाय अनुपात

विवरण	2016-17	2015-16
इक्विटी पर रिटर्न	0.62%	5.58%
आस्तियों पर रिटर्न	0.04%	0.30%
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ बिलियन)	0.001	0.010

16. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा अधिनियम, आदेश, नियम अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अपेक्षित शर्त के उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया।

17. शिकायतों का प्रकटीकरण

ग्राहक शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2015-16
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान मिली शिकायतें	2	-
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2	-
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	-	-

18. तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुरूप समेकित किया जाना है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
-	-

विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

19. अचल आस्तियों के विवरण

अचल आस्तियों के विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखा मानक-10 के अनुसार नीचे दिए गए हैं।

(₹ बिलियन)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 31 मार्च, 2016 को लागत	1.73	0.90	2.63
परिवर्द्धन	0.33	0.14	0.47
निपटान	0.00	0.02	0.02
यथा 31 मार्च, 2017 को लागत (क)	2.06	1.02	3.08
मूल्यह्रास			
यथा 31 मार्च, 2016 को संचित	0.84	0.79	1.63
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.08	0.09	0.17
निपटान पर हटाया गया	0.00	0.02	0.02
यथा 31 मार्च, 2017 को संचित (ख)	0.92	0.86	1.78
निवल ब्लॉक (क-ख)	**1.14**	**0.16**	**1.30**

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 31 मार्च, 2015 को लागत	1.70	0.85	2.55
परिवर्द्धन	0.03	0.08	0.11
निपटान	0.00	0.03	0.03
यथा 31 मार्च, 2016 को लागत (क)	1.73	0.90	2.63
मूल्यह्रास			
यथा 31 मार्च, 2015 को संचित	0.77	0.73	1.50
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.07	0.09	0.16
निपटान पर हटाया गया	0.00	0.03	0.03
यथा 31 मार्च, 2016 को संचित (ख)	0.84	0.79	1.63
निवल ब्लॉक (क–ख)	**0.89**	**0.11**	**1.00**

20. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, विदेशी बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण–व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

21. व्यवसाय खंड रिपोर्टिंग

बैंक के परिचालनों में केवल वित्तीय कार्यकलाप शामिल हैं अतः इसे एकल व्यवसाय खंड में शामिल किया गया है। बैंक के भौगोलिक खंडों को घरेलू परिचालनों एवं अंतरराष्ट्रीय परियोजना में वर्गीकृत किया गया है। इन परिचालनों का घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकरण मुख्यतः संव्यवहार के जोखिम तथा प्रतिफल पर आधारित हैं।

(₹ बिलियन)

विवरण	घरेलू परिचालन		अंतरराष्ट्रीय परिचालन		कुल	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	85.15	82.31	7.20	5.50	92.35	87.81
आस्तियां	1,050.53	1,032.40	121.54	119.78	1,172.07	1,152.18

22. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अंतर्गत संबंधित पक्षकार प्रकटन किया गया है:

- संबंध

  (i) संयुक्त उपक्रम:

  – ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टैंट्स लिमिटेड

  (ii) शीर्ष प्रबंधन:

  – **श्री यदुवेन्द्र माथुर,** (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) (19 फरवरी, 2017 तक)

  – **श्री डेविड रस्कीना** (उप प्रबंध निदेशक) (19 फरवरी, 2017 तक) और (प्रबंध निदेशक – अतिरिक्त प्रभार) (20 फरवरी, 2017 से)

  – **श्री देबाशिस मल्लिक** (उप प्रबंध निदेशक)

- **बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियां तथा लेन–देनों का सारांश नीचे दिया गया है:**

(₹ मिलियन)

विवरण	संयुक्त उपक्रम		मुख्य कार्मिक	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
मंजूर ऋण	-	-	-	-
जारी गारंटियां	-	3.26	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-
प्राप्त गारंटी कमीशन	0.02	0.02	-	-
प्रदत्त सेवाओं के एवज में प्राप्त भुगतान	-	0.03	-	-
स्वीकार की गई जमा राशियां	6.62	10.20	0.50	1.00
सावधि जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज	0.81	0.74	0.49	0.75
बट्टाकृत/अपलेखीकृत की गई राशि	-	-	-	-
बकाया सावधि जमा राशियां	6.62	10.20	3.44	5.17
वर्ष के अंत में बकाया ऋण राशि	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां	3.26	3.26	-	-
वर्ष के दौरान बकाया निवेश राशि	3.23	3.23	-	-
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम ऋण राशि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम गारंटियां	3.26	3.26	-	-
भत्ते सहित वेतन	-	-	9.36	7.00
भाड़े का भुगतान	-	-	0.25	0.24

23. आय पर कर का लेखांकन

क) चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान का विवरण:

	(₹ बिलियन)
(i) आय पर कर	6.76
(ii) घटाकर: निवल आस्थगित कर आस्तियां	4.05
	2.71

ख) आस्थगित कर आस्तियां:

प्रमुख करों के संदर्भ में आस्थगित कर देयताओं तथा आस्तियों का संयोजन नीचे दिया गया है:

विवरण	(₹ बिलियन)
आस्थगित कर आस्तियां	
1) अस्वीकार्य प्रावधान (निवल)	23.56
2) अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.05
	23.61
घटाएं: आस्थगित कर देयताएं	
1) बॉन्ड निर्गम खर्च का परिशोधन	0.55
2) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व	4.49
	5.04
निवल आस्थगित कर आस्तियां (तुलन–पत्र के 'आस्तियां' पक्ष में 'अन्य आस्तियों' में शामिल)	18.57

24. संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

I.

	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था	**देश**	**धारिता का प्रतिशत**	
			वर्तमान वर्ष	**गत वर्ष**
क	ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सलटैंट्स लिमिटेड	भारत	28%	28%

II. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में हित से संबंधित आस्तियों, देयताओं और आय तथा व्यय की कुल राशि निम्नलिखित है:

(₹ मिलियन)

देयताएं	**2016-17**	**2015-16**	**आस्तियां**	**2016-17**	**2015-16**
पूँजी एवं आरक्षित निधियां	24.40	21.75	अचल आस्तियां	0.09	0.14
ऋण	-	-	निवेश	10.09	9.27
अन्य देयताएं	5.62	3.41	अन्य आस्तियां	19.84	15.75
कुल	**30.02**	**25.16**	**कुल**	**30.02**	**25.16**

आकस्मिक देयताएं: शून्य (गत वर्ष: शून्य)

(₹ मिलियन)

व्यय	2016-17	2015-16	आय	2016-17	2015-16
अन्य व्यय	12.52	8.96	परामर्शी आय	15.62	11.80
प्रावधान	1.26	1.40	ब्याज आय तथा निवेश से आय	0.35	0.56
कर पश्चात लाभ	2.93	2.17	अन्य आय	0.74	0.17
कुल	**16.71**	**12.53**	**कुल**	**16.71**	**12.53**

नोट: जीपीसीएल के वित्तीय वर्ष 2016-17 के आंकड़े अलेखापरीक्षित एवं अनंतिम हैं।

25. आस्तियों का अनर्जन

बैंक की आस्तियों में से अधिकांश आस्तियां वित्तीय आस्तियां हैं जिन पर 'आस्तियों के अनर्जन' संबंधी लेखामानक-28 लागू नहीं होता है। बैंक के मत से यथा 31 मार्च, 2017 को आस्तियों का कोई अनर्जन नहीं हुआ है जिससे इस लेखा मानक के अंतर्गत प्रावधान किया जाए।

26. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संगठन द्वारा कर्मचारी लाभों पर, यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखामानक -15 को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है जिसमें तुलन–पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।

क) बैंक के तुलन–पत्र में हिसाब में ली गई राशि

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
अवधि के अंत में आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य	0.826	0.116
अवधि के अंत में हित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	0.919	0.135
निधीयन स्थिति	(0.093)	(0.019)
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई परिवर्ती देयताएं	-	-
अवधि के अंत में तुलन पत्र में हिसाब में ली गई निवल देयता	0.093	0.019

ख) बैंक के लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
वर्तमान सेवा लागत	0.023	0.010
ब्याज मूल्य	0.060	0.009
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(0.055)	(0.007)
बीमांकिक हानि/(लाभ)	0.023	0.006
विगत सेवा लागत – गैर निहित लाभ	-	-
विगत सेवा लागत – निहित लाभ	-	-
परिवर्ती दायित्व	-	-
लाभ एवं हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय	0.049	0.019
नियोक्ता द्वारा योगदान	(0.011)	(0.027)

ग) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.09%	7.52%
आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर (प्रति वर्ष)	7.09%	7.52%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निधिक देयताओं के वर्तमान मूल्य में वृद्धि के लिए छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ देयता ₹ 0.10 बिलियन हो गई है, जिसका पूर्ण रूप से प्रावधान कर दिया गया है।

27. सेबी के दिनांक 29 अक्तूबर, 2013 के परिपत्र के अनुपालन में भारतीय निर्यात–आयात बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न बॉन्डों के लिए डिबेंचर ट्रस्टियों का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

डिबेंचर ट्रस्टी

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.

प्राधिकृत व्यक्ति: श्री जयेंद्र पी. शेट्टी, मुख्य परिचालन अधिकारी

पता:

एक्सिस हाउस,
बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड,
पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वर्ली, मुंबई - 400 025.
फोन: (022) 6226 0050/54
फैक्स: (022) 4225 3000
ईमेल: debenturetrustee@axistrustee.com
वेबसाइट: www.axistrustee.com

28. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

श्री देबाशिस मल्लिक
उप प्रबंध निदेशक

श्री पंकज जैन

डॉ. एम. डी. पात्रा

श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य

श्रीमती गीता मुरलीधर

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सोराब एस. इंजीनियर एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि नं. 110417डब्ल्यू

(सीए एन. डी. अंकलेसरिया)
पार्टनर
एम सं. 010250

नई दिल्ली, 17 मई, 2017

निर्यात विकास कोष

निदेशकों की रिपोर्ट

भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 (एक्ज़िम बैंक एक्ट) की धारा 15 के अनुसार एक्ज़िम बैंक अपनी स्थापना या ऐसी किसी तिथि से जब भारत सरकार इस संबंध में अधिसूचित करे, एक विशेष निधि को स्थापित करेगी जिसे निर्यात विकास निधि के नाम से जाना जाएगा। तदनुसार सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार 31 मार्च, 1986 को बैंक द्वारा इसे निर्यात विकास निधि की विधिवत स्थापना की गई।

भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 1986 को इस निधि में ₹ 100 मिलियन की प्रारंभिक राशि अंतरित की गई। इसके बाद भारत सरकार द्वारा 23 मार्च, 1987 को इस निधि में ₹ 35 मिलियन तथा 29 मार्च, 1989 को ₹ 6.52 मिलियन उपचित ब्याज और कर आदि को निकाल कर यथा 31 मार्च, 1996 को कुल राशि बढ़कर ₹ 350.60 मिलियन हो गई थी। बोर्ड/भारत सरकार के अनुमोदन से इस निधि में से ₹ 250 मिलियन की राशि बैंक की सामान्य निधि के एक रिज़र्व फंड जिसे 'सिंकिंग फंड रिज़र्व' नाम दिया गया, में अंतरित कर दी गई। इस सिंकिंग फंड का उद्देश्य ऐसी ऋण–व्यवस्थाओं/क्रेता–ऋणों से उत्पन्न हानियों को समायोजित करना था जिन्हें भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) द्वारा बीमा कवर प्राप्त नहीं हो सकता है। 31 मार्च, 1997 से 31 मार्च, 2017 तक इस ईडीएफ के अंतर्गत राशि बढ़कर ₹ 6,323.14 मिलियन हो गई।

भारतीय निर्यात–आयात बैंक की स्थापना संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करते समय दिए गए कथन के उद्देश्यों में यह उल्लिखित है कि निर्यात विकास निधि का उपयोग मुख्य रूप से देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित शोध, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, मार्केट इंटेलीजेंस, सहित ऐसे वित्तपोषण प्रस्तावों को सहयोग देने के लिए किया जाएगा जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अन्यथा सहयोग किया जाना संभव नहीं होगा। निर्यात विकास निधि के उपयोग संबंधी शर्तें एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 17 में उल्लिखित हैं। जो इस प्रकार हैं:

क. अधिनियम की धारा 17(1) एक्ज़िम बैंक को यह अनुमति देती है कि बैंक केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत से या भारत के बाहर ऋण अथवा अग्रिम मंजूर कर सकता है।

ख. अधिनियम की धारा 17(2) में यह अपेक्षित है कि ऐसे किसी प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजने से पहले एक्ज़िम बैंक स्वयं इस बात से संतुष्ट होगा कि ''... बैंकों या वित्तीय संस्थाओं या अन्य एजेंसियों द्वारा सामान्य व्यावसायिक शर्तों पर प्रस्तावित ऋण या अग्रिम दिया जाना या इस तरह की कोई व्यवस्था करना संभव नहीं है।''

ग. अधिनियम की धारा 17(3) में यह निर्देशित किया गया है कि ऐसा अनुमोदन देने से पहले भारत सरकार इस तथ्य से संतुष्ट होगी कि भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह सुविधा दिया जाना आवश्यक है और यह इसके हित में है।

देश : ईरान

कार्यक्रम : क्रेता–ऋण

परियोजना मूल्य : ₹ 8.19 बिलियन

उद्देश्य : ईरान इस्लामिक गणराज्य के रेलवे को भारत से 150,000 टन स्टील रेल की आपूर्ति।

प्रभाव : स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से खरीदी गई स्टील रेल के कुछ हिस्से का उपयोग तेहरान रेलवे स्टेशन में हुआ है। इस परियोजना से इस क्षेत्र में रेलवे में सुधार और रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अतः इस प्रकार निर्यात विकास निधि सुविधा भारत सरकार को ऐसे विदेशी व्यापार या निवेश को करने के लिए एक रास्ता देती है जिसे सामान्य व्यावसायिक सिद्धांतों पर एक्ज़िम बैंक या अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाना संभव नहीं है।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 17(1) के अधीन ईडीएफ के अंतर्गत राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के तहत क्रेता–ऋण सुविधा जिसकी राशि ₹ 9 बिलियन होगी, स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया। इस सुविधा का उद्देश्य चुनिंदा ईरानी बैंकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना था ताकि वे भारत से ईरान को माल व सेवाओं के निर्यात का वित्तपोषण कर सकें। सभी आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त करने के उपरान्त 23 दिसम्बर, 2014 को ईडीएफ के अंतर्गत ईरान के सात बैंकों को ₹ 9 बिलियन राशि की क्रेता–ऋण सुविधा हेतु एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर किए गए। यह सुविधा 12 वर्ष के लिए दी गई जिसमें 4 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि (मोरेटोरियम) ईरानी बैंकों को दी गई। इस ऋण सुविधा को ईरान सरकार की संप्रभु गारंटी प्राप्त है। फ्रेमवर्क करार की शर्तों के अनुसार ₹ 9 बिलियन की इस राशि को भारत सरकार की अनुमति और परस्पर सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है।

तत्पश्चात, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा इस फ्रेमवर्क करार के तहत दी गई ऋण सुविधा को ₹ 9 बिलियन से बढ़ाकर ₹ 30 बिलियन करने का अनुमोदन दिया गया। तदनुसार, ईडीएफ द्वारा 4 मई, 2016 को इस फ्रेमवर्क करार के अंतर्गत संशोधन करते हुए उक्त 7 ईरानी बैंकों के साथ ₹ 30 बिलियन की ऋण सुविधा प्रदान करने संबंधी करार किया गया। इस ₹ 30 बिलियन की राशि का इस्तेमाल भारत से स्टील रेल की आपूर्ति और चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए किया जाएगा।

इस करार के तहत ₹ 8.19 बिलियन की राशि बैंक ऑफ इंडस्ट्री एंड माइन, ईरान के जरिए भारत से ईरान को 150,000 टन स्टील रेल आपूर्ति के लिए प्रदान की जा चुकी है और यह संविदा पूरी हो गई है। इस संबंध में ईरान की ओर से एक साख–पत्र (एलसी) जारी किया गया है और इसके आधार पर ईडीएफ से ₹ 5.80 बिलियन की राशि का संवितरण हो चुका है। शेष राशि का भुगतान माल भेजने की प्रगति के आधार पर किया जाएगा।

निर्यात विकास निधि का कर पूर्व लाभ वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹ 47.94 मिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 101.67 मिलियन रहा। कर हेतु ₹ 35.19 मिलियन का प्रावधान करने के बाद कर पश्चात लाभ वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹ 31.29 मिलियन की तुलना में ₹ 66.49 मिलियन रहा। लाभ के रू प में प्राप्त ₹ 66.49 मिलियन की इस राशि को अगले वर्ष के खाते में ले जाया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय निर्यात–आयात बैंक ('बैंक') की निर्यात विकास निधि के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2017 को तुलन–पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की निर्यात विकास निधि के लाभ और हानि लेखे एवं समाप्त वर्ष के लिए महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं अन्य विवरणात्मक आंकड़े शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेवारी

2. बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम 1981 ('अधिनियम') तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेवारी में बैंक की आस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रखने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित लेखा प्रविष्टियां; उचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; उचित एवं मितव्ययी अनुमानों को तैयार करना; तथा उसकी डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक आंतरिक नियंत्रण शामिल है ताकि इन विवरणों में धोखाधड़ी अथवा भूलवश भी कोई मिथ्या सूचना न आने पाए।

लेखा परीक्षक की जिम्मेवारी:

3. हमारी जिम्मेवारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर रिपोर्ट देना है।

4. हमने यह लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार निष्पादित और नियोजित करें ताकि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है।

5. लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पूर्णतया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है जिसमें महत्त्वपूर्ण विवरणों के संबंध में भूल अथवा धोखाधड़ी के चलते भ्रामक मिथ्याकथन जोखिमों का आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में लेखा परीक्षकों के विचार से इन विवरणों को त्रुटिरहित ढंग से तैयार करने में बैंक के आंतरिक प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों एवं बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

6. हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य पर्याप्त और समुचित हैं तथा हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए तर्क संगत आधार प्रदान करते हैं।

अभिमत

7. हमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखा विवरण तथा उन पर लेखा टिप्पणियां अधिनियम 1981 तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं तथा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा मानकों के अनुरूप सच्ची और सही स्थिति प्रदर्शित करते हैं:

   (i) यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक की निर्यात विकास निधि के मामले में;

   (ii) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता;

अन्य विधिक तथा विनियामक मामलों पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र, तथा लाभ हानि खाता अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

9. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

   (i) लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।

   (ii) बैंक के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं।

10. हमारी राय में तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप हैं।

11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

   (i) तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता बैंक की लेखा बहियों और विवरणों के अनुरूप हैं।

   (ii) हमारे विचार में और हमारे परीक्षण के आधार पर बैंक द्वारा विधि निर्धारित अनुसार इन बहियों का उचित अभिलेख रखा गया है।

कृते **सोराब एस. इंजीनियर एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 110417डब्ल्यू

सीए एन.डी. अंकलेसरिया
पार्टनर
सदस्यता सं -10250
नई दिल्ली, 17 मई, 2017.

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2017 को

निर्यात विकास निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2016 को) ₹
देयताएं		
1. ऋण:		
(क) सरकार से	-	-
(ख) अन्य स्रोतों से	5,374,610,504	-
2. अनुदान:		
(क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
(ख) अन्य स्रोतों से	-	-
3. उपहार, दान, उपकृतियां:		
(क) सरकार से	-	-
(ख) अन्य स्रोतों से	-	-
4. अन्य देयताएं	309,162,861	182,248,318
5. लाभ और हानि लेखा	511,063,467	444,577,173
योग	**6,323,144,619**	**755,133,278**
आस्तियां		
1. बैंक की शेष राशियां		
(क) चालू खातों में	163,809	476,740
(ख) अन्य जमा खातों में	204,000,000	563,000,000
2. निवेश	-	-
3. ऋण एवं अग्रिम:		
(क) भारत में	-	-
(ख) भारत के बाहर	5,809,030,094	8,505,318
4. भुनाए गए, पुनर्भुनाए गए विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
(क) भारत में	-	-
(ख) भारत के बाहर	-	-
5. अन्य आस्तियां		
(क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
i) ऋण एवं अग्रिम	98,617,251	-
ii) निवेश/बैंक शेष	10,301,762	9,519,517
(ख) प्रदत्त अग्रिम आय कर	201,031,703	173,631,703
(ग) अन्य	-	-
योग	**6,323,144,619**	**755,133,278**

निर्यात विकास निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2016 को) ₹
आकस्मिक देयताएं		
i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व	-	-
ii) वायदा विनियम संविदाओं की बकाया राशियों पर	-	-
iii) हामीदारी एवं वचनबद्धताओं पर	-	-
iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं	-	-
v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	-	-
vi) संग्रहण के लिए बिल	-	-
vii) सहभागिता प्रमाण–पत्रों पर	-	-
viii) भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल	-	-
ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	-	-

टिप्पणी:

भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम) की धारा 15 की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा निर्यात विकास निधि की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी से पहले अथवा ऐसी कोई व्यवस्था करने से पहले भारतीय निर्यात–आयात बैंक को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

श्री देबाशिस मल्लिक
उप प्रबंध निदेशक

श्री पंकज जैन

डॉ. एम. डी. पात्रा

श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य

श्रीमती गीता मुरलीधर

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सोराब एस. इंजीनियर एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि नं. 110417डब्ल्यू

(सीए एन. डी. अंकलेसरिया)
पार्टनर
एम सं. 010250

नई दिल्ली, 17 मई, 2017

लाभ और हानि लेखा यथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

निर्यात विकास निधि

	इस वर्ष ₹	गत वर्ष ₹
व्यय		
1. ब्याज	90,924,855	-
2. अन्य व्यय	794,779	-
3. आगे ले जाया गया लाभ	101,673,294	47,941,508
योग	**193,392,928**	**47,941,508**
आयकर के लिए प्रावधान	35,187,000	16,650,000
तुलन–पत्र में अंतरित शेष लाभ	66,486,294	31,291,508
	101,673,294	**47,941,508**
आय		
1. ब्याज और बट्टा		
(क) ऋण एवं अग्रिम	98,617,251	-
(ख) निवेश/बैंक शेष	43,277,262	47,941,508
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस	51,498,415	-
3. अन्य आय	-	-
4. तुलन–पत्र को ले जायी गयी हानि	-	-
योग	**193,392,928**	**47,941,508**
लाभ नीचे लाया गया	101,673,294	47,941,508
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज कर के प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
	101,673,294	**47,941,508**

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

श्री देबाशिस मल्लिक
उप प्रबंध निदेशक

श्री पंकज जैन

डॉ. एम. डी. पात्रा

श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य

श्रीमती गीता मुरलीधर

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सोराब एस. इंजीनियर एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि नं. 110417डब्ल्यू

(सीए एन. डी. अंकलेसरिया)
पार्टनर
एम सं. 010250

नई दिल्ली, 17 मई, 2017

भारतीय निर्यात–आयात बैंक के कार्यालय

प्रधान कार्यालय

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई – 400 005.
फोन: (91 22) 22172600 । फैक्स: (91 22) 22182572
ई–मेल: ccg@eximbankindia.in । वेबसाइट: www.eximbankindia.in

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद
साकार ।।, पहली मंज़िल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के पास,
एलिसब्रिज पी. ओ., अहमदाबाद – 380 006.
फोन: (91 79) 26576852/26576843 । फैक्स: (91 79) 26577696
ई–मेल: eximahro@eximbankindia.in

बैंगलोर
रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल, 18, एम. जी. रोड, बैंगलोर – 560 001.
फोन: (91 80) 25585755/25589101-04
फैक्स: (91 80) 25589107
ई–मेल: eximbro@eximbankindia.in

चंडीगढ़
सी–213, दूसरी मंज़िल, एलान्ते कार्यालय,
औद्योगिक क्षेत्र फेज–1, चंडीगढ़.
फोन: (91 172) 4629171-73 । फैक्स: (91 172) 4629175
ई–मेल: eximcro@eximbankindia.in

चेन्नै
ओवरसीज टॉवर्स, चौथी एवं पांचवी मंज़िल, 756–एल,
अन्ना सलाई, चेन्नै - 600 002.
फोन: (91 44) 28522830/31 । फैक्स: (91 44) 28522832
ई–मेल: eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी
नेडफी हाउस, चौथी मंज़िल, जी. एस. रोड, दिसपुर,
गुवाहाटी - 781 006.
फोन: (91 361) 2237607/609 । फैक्स: (91 361) 2237701
ई–मेल: eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640,
राज भवन रोड, खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद - 500 004.
फोन: (91 40) 23307816-21 । फैक्स: (91 40) 23317843
ई–मेल: eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता
वाणिज्य भवन, चौथी मंज़िल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र),
1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016.
फोन: (91 33) 22833419/20 । फैक्स: (91 33) 22891727
ई–मेल: eximkro@eximbankindia.in

नई दिल्ली
स्टेट्समैन हाउस, तल मंज़िल, 148, बाराखंबा रोड,
नई दिल्ली - 110 001.
फोन: (91 11) 23474800 । फैक्स: (91 11) 23322758/23321719
ई–मेल: eximndro@eximbankindia.in

पुणे
44, शंकरशेठ रोड, पुणे - 411 037.
फोन: (91 20) 26403000 । फैक्स: (91 20) 26458846
ई–मेल: eximpro@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

आबिदजान
5वीं मंज़िल, अज्यूर बिल्डिंग, 18-दॉक्तर क्रोज़े रोड,
प्लेत्यो–आबिदजान, कोत दि'वार.
फोन: (225) 20 24 29 51 । मोबाइल: (225) 79707149
फैक्स: (225) 20 24 29 50
ई–मेल: eximabidjan@eximbankindia.in

अदिस अबाबा
बोले कीफले केटेमा, केबेले – 19 (03/05),
हाउस नं. 015–बी, अदिस अबाबा, इथियोपिया.
फोन: (251 116) 630079 । फैक्स: (251 116) 610170
ई–मेल: aaro@eximbankindia.in

ढाका
मधुमिता प्लाज़ा कॉनकॉर्ड, 12वीं मंज़िल, प्लॉट सं. 11, रोड नं. 11,
ब्लॉक जी, बानानी ढाका - 1213.
फोन: +88 01 708 520 444
ई–मेल: eximdhaka@eximbankindia.in

दुबई
लेवल 5, टेनेंसी 1बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं. 3,
दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र, पीओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, यूएई.
फोन: (971 4) 3637462 । फैक्स: (971 4) 3637461
ई–मेल: eximdubai@eximbankindia.in

जोहांस्बर्ग
दूसरी मंज़िल, सैंडटन सिटी ट्विन टॉवर्स ईस्ट, सैंडहर्स्ट एक्सटेंशन 3,
सैंटन 2196, जोहांस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका.
फोन: (27 11) 3265103/13 । फैक्स: (27 11) 7844511
ई–मेल: eximjro@eximbankindia.in

सिंगापुर
20, कोलियर क्वे, #10-02, सिंगापुर - 049319.
फोन: (65) 65326464 । फैक्स: (65) 65352131
ई–मेल: eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंगटन डी. सी.
1750 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एन. डब्ल्यू, सूइट 1202,
वाशिंगटन डी. सी. 20006, संयुक्त राज्य अमेरिका.
फोन: (1202) 223 3238 । फैक्स: (1202) 785 8487
ई–मेल: eximwashington@eximbankindia.in

यांगून
हाउस नं. 54/ए, तल मंज़िल, बोरान्युत मार्ग, डैगन टाउनशिप, यांगून, म्यांमार.
फोन: (95) 1389520 । मोबाइल: (95) 1389520
ई–मेल: eximyangon@eximbankindia.in

लंदन शाखा
5वीं मंज़िल, 35 किंग स्ट्रीट, लंदन ईसी 2वी 8 बीबी, यूनाइटेड किंगडम.
फोन: (44) 20 77969040 । फैक्स: (44) 20 76000936
ई–मेल: eximlondon@eximbankindia.in

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ परेड, मुंबई - 400 005.
Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

+91-22-22172600 +91-22-22182572 ccg@eximbankindia.in www.eximbankindia.in